Vol. 270
No. 17

Thursday,
12 March, 2026
21 Phalguna, 1947 (Saka)

PARLIAMENTARY DEBATES

RAJYA SABHA

OFFICIAL REPORT (FLOOR VERSION)

(PART-II)

CONTENTS

Papers Laid on the Table (pages 1 — 5)

Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Coal, Mines and Steel — *Laid on the Table* (page 5)

Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Energy — *Laid on the Table* (page 5)

Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Finance — *Laid on the Table* (pages 5 — 6)

Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Housing and Urban Affairs — *Laid on the Table* (page 6)

Statements by Minister —

Withdrawal of funds made from Contingency fund of India for servicing interest obligation on SGBs raised by MTNL — *Laid on the Table* (page 6)

©
RAJYA SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

Status of implementation of Observations/Recommendations contained in the Twentieth Report (Eighteenth Lok Sabha) of Department related Parliamentary Standing Committee on Communications and Information Technology — *Laid on the Table* (pages 6 — 7)

Recommendations of the Business Advisory Committee (pages 7 — 8)

Regarding attack on Farooq Abdullah in Jammu and Kashmir (pages 8 — 10 and Pages 12 — 14)

Matters raised with Permission —

Need for banning pornographic content on social media (pages 10 — 12)

Demand for inclusion of Bhojpuri language in the Eighth Schedule to the Constitution (pages 15 — 16)

Need for institutionalising a National Scientific Transliteration Standard for Hindi in all Government records (pages 16 — 17)

Demand to reconsider the decision to allow 100 per cent FDI in the insurance sector (pages 17 — 18)

Demand for restricting non-academic work assigned to Primary School Teachers (pages 18 — 20)

Concern over encroachment and non-utilisation of enemy properties in West Bengal (pages 20 — 21)

Demand for grant of a Legislatie Assembly to Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu to ensure democratic representation (pages 21 — 22)

Concern over growing cancer crisis in the country (pages 23 — 24)

Demand for establishment of a Paddy Cluster in Chandauli District of Uttar Pradesh (pages 24 — 25)

Website : http://rajyasabha.nic.in
http://parliamentofindia.nic.in
E-mail: rsedit-e@rss.sansad.in

Contents Page

Demand for ban on Paraquat Dichloride due to serious health and environmental risks (pages 25 – 26)

Concern over problems faced by paramilitary personnel in the country (pages 27 – 28)

Need for a special plan to tackle potential water scarcity and drought-like conditions in several districts of South Bihar due to extreme heat (pages 28 – 29)

Need for greater accountability and local utilisation of CSR funds by private companies (pages 29 – 30)

Concern over rising incidents of forest fires in several States and need for additional financial assistance from the Centre (pages 30 – 31)

Need for comprehensive judicial reforms to ensure speedy justice (pages 31 – 32)

Oral Answers to Questions (pages 32 – 71)

[Answers to Starred and Un-starred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part -I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link https://sansad.in/rs/debates/officials *]*

Discussion on the Working of the Ministry of Rural Development– *Discussion not concluded* (pages 71 – 122)

Special Mentions –

Demand for allocation of funds to Cantonment Boards for the development of cantonment areas (pages 122 – 123)

Concern over decline in the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Sector in Madhya Pradesh (pages 123 – 124)

Concern over nexus of coaching institutes in India (pages 124 – 125)

Demand for establishment of a National Commission for Persons with Disabilities (pages 125 – 126)

Contents Page

Demand for exemption of senior teachers from mandatory requirement of TET (page 126)

Demand for completion of railway underpass in Phulwari Sharif area of Patna (pages 126 – 127)

Need for revival of large cardamom cultivation in Sikkim (pages 127 – 128)

Demand for construction of a Rail over Bridge in Mehshana, Gujarat (page 128)

Demand for establishment of AIIMS hospitals in Sambalpur, Koraput and Baleshwar in Odisha (page 129)

Demand for comprehensive plan and special incentives to boost the dairy industry (pages 129 – 130)

Need to enhance allocation under MPLADS (pages 130 – 131)

Need to address the issues of linkage between academia and industry (pages 131 – 132)

Concern over the incident of adulterated milk in Rajamahendravaram, Andhra Pradesh (page 132)

Contents Page

RAJYA SABHA

Thursday, the 12th March, 2026/21 Phalguna, 1947 (Saka)

The House met at eleven of the clock,
MR. CHAIRMAN *in the Chair.*

PAPERS LAID ON THE TABLE

MR. CHAIRMAN: Now, papers to be laid on the Table. ...(*Interruptions*)...

Notification of the Ministry of External Affairs

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI S. JAISHANKAR): Sir, I lay on the Table, a copy (in English and Hindi) of the Ministry of External Affairs Notification No. G.S.R. 818(E)., dated the 4th November, 2025, publishing the Sustainable Harnessing of Fisheries in the Exclusive Economic Zone Rules, 2025, under sub-section (4) of Section 15 of the Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and Other Maritime Zones Act, 1976, along with a delay statement.

[Placed in Library. See No. L.T. 6511/18/26]

...(Interruptions)...

Reports and Accounts (2024-25) of CBCS, Tawang, Arunachal Pradesh; LTWA, Dharamshala, Himachal Pradesh and related papers

THE MINISTER OF CULTURE (SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT): Sir, I lay on the Table, acopy each (in English and Hindi) of the following papers:-

(i) (a) Annual Report and Accounts of the Centre for Buddhist Cultural Studies (CBCS), Tawang, Arunachal Pradesh, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Centre.

[Placed in Library. See No. L.T. 6522/18/26]

(ii) (a) Annual Report and Accounts of the Library of Tibetan Works and Archives (LTWA), Dharamshala, Himachal Pradesh, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

Contents Page

(b) Review by Government on the working of the above Library.

[Placed in Library. See No. L.T. 6523/18/26]

...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Let the Ministers lay the papers.

Report (2023-24) of UPSC, New Delhi and related papers

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (DR. JITENDRA SINGH): Sir, I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following papers, under clause (1) of article 323 of the Constitution:-

(a) Seventy-fourth Annual Report of the Union Public Service Commission (UPSC), New Delhi, for the year 2023-24.

(b) Memorandum explaining the reasons for non-acceptance of the advice tendered by the Union Public Service Commission in respect of five cases referred to in Chapter 9 of the above Report.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6497/18/26]

...(*Interruptions*)...

Report and Accounts (2023-24) of IIAC, New Delhi and related papers

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following papers:-

(a) Annual Report and Audited Accounts of the India International Arbitration Centre (IIAC), New Delhi, for the year 2023-24.

(b) Review by Government on the working of the above Centre.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6727/18/26]

Contents Page

...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Ask them to sit down. Let the papers be laid on the Table. ...(Interruptions)... I am not going to yield if you keep on shouting. Now, it is up to you. ...(Interruptions)... Do not come into the Well. Please go back to your seats. ...(Interruptions)... If you want me to give time to the Leader of the Opposition, you go back to your seats. ...(Interruptions)... Go back to your seats first. ...(Interruptions)...

DR. SYED NASEER HUSSAIN: The LoP wants to speak. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: I know. ...(Interruptions)... Khargeji, I will call you. Let all the Papers be laid on the Table. ...(Interruptions)... Two more Ministers have to lay the Papers on the Table. Let this be over, I will call you.

Notification of the Ministry of Communications

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (DR. CHANDRA SEKHAR PEMMASANI): Sir, I lay on the Table, a copy (in English and Hindi) of the Ministry of Communications (Department of Posts) Notification No. S.O. 659(E)., dated the 6th February, 2026, publishing the Post Office (Amendment) Regulations, 2026, under Section14 of the Post Office Act, 2023.

[Placed in Library. See No. L.T. 6498/18/26]

Notifications of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, on behalf of Shri Kirtivardhan Singh, I lay on the Table:—

(i) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change Notification No. S.O. 3973(E)., dated the 29th August, 2025, publishing the Environment Audit Rules, 2025, under Section 26 of the Environment (Protection) Act, 1986, along with a delay statement.

[Placed in Library. See No. L.T. 6288/18/26]

Contents Page

(ii) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change Notification No. G.S.R. 55(E)., dated the 22nd January, 2026, publishing the Management Authority (Conditions of Service of Officers) Recruitment Rules, 2026, under sub-section (2) of Section 63 of the Wild Life (Protection) Act, 1972.

[Placed in Library. See No. L.T. 6541/18/26]

I. Notifications of the Ministry of Youth Affairs and Sports

II. Report and Accounts (2023-24) of LNIPE, Gwalior, Madhya Pradesh and related papers

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (SHRIMATI RAKSHA NIKHIL KHADSE): Sir, I lay on the Table:—

I. A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Youth Affairs and Sports (Department of Sports), under Section 33 of the National Sports Governance Act, 2025:—

(1) S.O. 6152(E)., dated the 31st December, 2025, notifying the commencement of provisions of Sections 1 to 3, sub-sections (1), (2) and (4) of Section 4, sub-sections (1) and (2) of Section 5, sub-section (5) of Section 8, sub-section (1) of Section 11, Sections 14 and 15, sub-sections (1) to (7) and (10) of Section 17, Sections 30 and 31, Sections 33 to 38 of the said Act with effect from 01.01.2026.

(2) G.S.R. 12(E)., dated the 8th January, 2026, publishing the National Sports Board (Search-cum-Selection Committee) Rules, 2026.

(3) G.S.R. 18(E)., dated the 12th January, 2026, publishing the National Sports Governance (National Sports Bodies) Rules,2026.

[Placed in Library. For (1) to (3), see No. L.T. 6477/18/26]

II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(a) Annual Report and Accounts of the Lakshmibai National Institute of Physical Education (LNIPE), Gwalior, Madhya Pradesh, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts.

Contents Page

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 6545/18/26]

REPORT OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON COAL, MINES AND STEEL

श्री प्रदीप कुमार वर्मा (झारखंड): महोदय, मैं खान मंत्रालय की 'अनुदान मांगों (2026-27)' के संबंध में विभाग-संबंधित कोयला, खान और इस्पात संबंधी संसदीय स्थायी समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूं।

REPORTS OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON ENERGY

डा. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं विभाग संबंधित ऊर्जा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूं:-

(i) Eleventh Report of the Committee on 'Demands for Grants (2026-27)' pertaining to the Ministry of Power; and

(ii) Twelfth Report of the Committee on 'Demands for Grants (2026-27)' pertaining to the Ministry of New and Renewable Energy.

REPORTS OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON FINANCE

डा. दिनेश शर्मा (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं विभाग संबंधित वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूं:-

(i) Thirtieth Report of the Committee on 'Demands for Grants (2026-27)' pertaining to the Ministry of Finance (Department of Revenue);

Contents Page

(ii) Thirty-first Report of the Committee on 'Demands for Grants (2026-27)' pertaining to the Ministry of Corporate Affairs; and

(iii) Thirty-second Report of the Committee on 'Demands for Grants (2026-27)' pertaining to the Ministry of Finance (Department of Financial Services).

REPORT OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON HOUSING AND URBAN AFFAIRS

SHRIMATI JAYA AMITABH BACHCHAN (Uttar Pradesh): Sir, I lay on the Table, a copy (in English and Hindi) of the Ninth Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Housing and Urban Affairs (2025-26) on 'Demands for Grants (2026-27)' pertaining to the Ministry of Housing and Urban Affairs.

STATEMENTS BY MINISTER

Withdrawal of funds made from Contingency fund of India for servicing interest obligation on SGBs raised by MTNL

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (DR. CHANDRA SEKHAR PEMMASANI): Sir, I lay a copy of the statement (in English and Hindi) regarding withdrawal of funds made from Contingency Fund of India by the Department of Telecommunications, Ministry of Communications on 30th January, 2026, to provide loan to Mahanagar Telephone Nigam Limited (MTNL) for servicing interest obligation on Sovereign Guarantee Bonds (SGBs) of Series VII and VIII raised by MTNL.

Status of implementation of Observations/Recommendations contained in the Twentieth Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Communications and Information Technology

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (DR. CHANDRA SEKHAR PEMMASANI): Sir, I lay a statement regarding Status of implementation of Observations/Recommendations contained in the Twentieth Report (Eighteenth Lok Sabha) of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Communications and Information Technology on 'Real Estate

Contents Page

Management in the Department of Posts' pertaining to the Ministry of Communications (Department of Posts).

RECOMMENDATIONS OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

MR. CHAIRMAN: I have to inform the Members... ...*(Interruptions)*... I am coming; I am coming. Definitely, I will come to you. ...*(Interruptions)*... I have to inform the Members that the Business Advisory Committee, in its meeting held yesterday, i.e., 11th March, 2026, has allotted time for Government Legislative and Other Business, as follows:-

SL. No.	BUSINESS	TIME PROPOSED
01.	Consideration and return of the Appropriation Bills relating to Second and final Batch of Supplementary Demands for Grants for the year 2025-26, after it is passed by Lok Sabha.	**Seven Hours**
02.	(i) Consideration and return of the Appropriation Bills relating to Demands for Grants for the year 2026-27, after it is passed by Lok Sabha; and	**Seven Hours**
	(ii) Consideration and return of the Finance Bill, 2026, after it is passed by Lok Sabha.	**(To be discussed together)**

The Committee recommended that the remaining Ministries for discussion on their working may be finalised by consultation between the Government and the Opposition parties at the earliest, failing which the Chairman may identify the Ministries for discussion on their working.

The Committee, after some deliberations, also recommended that in order to ensure the coverage of more Questions during the Question Hour, the Direction by the Chairman regarding asking of crisp supplementaries by Members and precise replies by Ministers to Questions/Supplementaries may be strictly adhered to.

The Committee further recommended that one supplementary may be allowed to the Member in whose name a Starred Question is listed and three other Members may be allowed one Supplementary each. This recommendation may, however, be

Contents Page

implemented from the next Session of Rajya Sabha.

REGARDING ATTACK ON FAROOQ ABDULLAH IN JAMMU AND KASHMIR

MR. CHAIRMAN: Now, hon. Leader of the Opposition. ...*(Interruptions)*... Why? He is there.

विपक्ष के नेता (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): सर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आपने आज पढ़ा होगा कि जम्मू-कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला साहब के ऊपर हमला किया गया है। ...(**व्यवधान**)... उनकी सुरक्षा खतरे में है। आज वहाँ पर ऐसा माहौल इसलिए बना, उनकी सुरक्षा खतरे में इसलिए है ...(**व्यवधान**)... पहले जम्मू-कश्मीर के पास स्टेट का स्टेटस था। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: I will come to you. Please sit down. ...*(Interruptions)*...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: वहाँ पर जो सिक्योरिटी है और पुलिस है... ...(**व्यवधान**)... बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please take your seats. ...*(Interruptions)*... Aggarwalji, you please take your seat. Let him speak.

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: सर, वहाँ की पूरी सिक्योरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। ...(**व्यवधान**)... यहाँ के होम मिनिस्टर के कंट्रोल में सिक्योरिटी रहने की वजह से आज वहाँ पर यह हालत हो रही है। ...(**व्यवधान**)... लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो रहा है और इम्पोर्टेंट लीडर्स को मारे जाने के मंसूबे बनाये जा रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... अगर एकाध मिनट भी इधर-उधर होते, तो फारूक अब्दुल्ला को मार देते। ...(**व्यवधान**)... वह तो यह हुआ कि वहां जो उनके साथ रहने वाली जो लोकल सिक्योरिटी थी, उसने उनको बचा लिया। मैं पूछ रहा हूं कि क्या गवर्नमेंट का इरादा फारूक अब्दुल्ला साहब को मारने का है? ...(**व्यवधान**)... सर, यह क्या है? ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: I will ask the Government to respond. ...(*Interruptions*)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: मैं यह पूछ रहा हूं, क्योंकि ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: I will ask the Government to respond. ...(*Interruptions*)... All of you please take your seats. ...(*Interruptions*)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: अगर उनको सेफगार्ड करना चाहते थे, तो उनके लिए फुल सिक्योरिटी होनी चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

Contents Page

MR. CHAIRMAN: After the LoP finishes, I will ask the Government to respond. ...(*Interruptions*)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: अगर आप वहां के लोगों को सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please ask your Members to take their seats. ...(*Interruptions*)... Please take your seats.

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: अगर वहां स्टेट गवर्नमेंट बनेगी, तभी लोग सुरक्षित रहेंगे। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please take your seat. ...(*Interruptions*)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: आपके हाथ में कश्मीर के लोग सुरक्षित नहीं हैं ...(**व्यवधान**)... क्योंकि आप सब लोग मिलकर एक मंसूबा कर रहे हैं। जो वहां के लोग सेक्युलरिज़्म, सोशलिज़्म और देश को एक रखने के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, आप उनको खत्म कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please conclude. ...(*Interruptions*)... Now, hon. Leader of the House to respond. ...(*Interruptions*)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: इसीलिए इसकी ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please. ...(*Interruptions*)...

सभा के नेता (श्री जगत प्रकाश नड्डा): सभापति जी ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: No, no. ...(*Interruptions*)... Please take your seat. ...(*Interruptions*)... I have asked him to respond. ...(*Interruptions*)... You please take your seat. I am not going to allow every Member to speak. Already, the Leader of the Opposition has pulled in it. ...(*Interruptions*)...

श्री जगत प्रकाश नड्डा: सभापति जी, कल रात जो घटना घटी है, जम्मू-कश्मीर के वरिष्ठ नेता और देश के भी वरिष्ठ नेता श्रीमान फारूक अब्दुल्ला जी, जो कई बार मुख्य मंत्री रहे, उन पर जानलेवा हमला हुआ। यह बहुत ही चिंता का विषय है और यह बहुत ही गंभीर मामला है। भारत सरकार इस बारे में बहुत गंभीर है। मैं भारत सरकार की ओर से इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि जितनी भी इसमें इनक्वायरी की आवश्यकता होगी, वह पूरी की जाएगी। जो दोषी है, जिसे पकड़ लिया गया है, उसके मंसूबों की भी बहुत गहराई से जानकारी ली जाएगी। इस तरह की घटना दोबारा न हो, क्योंकि भारत सरकार हर नागरिक के जीवन की चिंता करती है और वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला जी के जीवन की रक्षा की दृष्टि से जो आवश्यक होगा, वह ज़रूर किया जाएगा, यह मैं सरकार की तरफ से विश्वास दिलाता हूं। हर बात को राजनीतिक चश्मे से देखना और उसको पोलिटिकल एंगल देना, यह उचित नहीं है। ...(**व्यवधान**)... स्टेटहुड नहीं मिला

Contents Page

इसलिए यह हुआ है, इस निष्कर्ष पर पहुंचना और सरकार पर गंभीर आरोप लगा देना कि उनकी जान लेने का एक तरीके से मंसूबा है, मैं समझता हूं कि यह निंदनीय है। ...(**व्यवधान**)... हमारे विपक्ष के नेता ने कहा है कि सरकार का मंसूबा उनकी जान लेने का है। इस पर मैं यह कह सकता हूं यह कांग्रेस पार्टी की सोच का नतीजा है। ...(**व्यवधान**)... मैं यह बोलना चाहूंगा कि इनके मंसूबे हमेशा इसी प्रकार केरहे हैं। ...(**व्यवधान**)... जम्मू-कश्मीर में डा. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जी की संदेहास्पद तरीके से मौत हुई ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except what the Leader of the House speaks.

श्री जगत प्रकाश नड्डा: उसका जवाब आज तक नहीं दिया। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except what the Leader of the House speaks.

श्री जगत प्रकाश नड्डा: यह कांग्रेस पार्टी का रिकॉर्ड है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: I will give you another chance. ...(*Interruptions*)... Kharge ji, I will give you another chance. Please ask your Members to take their seats. ...(*Interruptions*)... This is not the way. ...(*Interruptions*)... This is not the way to debate. I will call him again. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Now, Matters raised with Permission, Shriman Harbhajan Singh. ...(*Interruptions*)... We will discuss it later. Harbhajan ji, please start speaking. ...(*Interruptions*)... You give your speech. ...(*Interruptions*)...

MATTERS RAISED WITH PERMISSION

Need for banning pornographic content on social media

श्री हरभजन सिंह (पंजाब): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Harbhajan ji, you please continue. Otherwise, I am going to call the next speaker. ...(*Interruptions*)... You please speak.

श्री हरभजन सिंह: सर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे एक ऐसे जरूरी मुद्दे पर बोलने का मौका दिया है। ...(**व्यवधान**)... आज मैं आपके सामने यह बात रखना चाहता हूं कि सोशल

Contents Page

मीडिया पर अश्लील (पोर्नोग्राफी) कंटेंट पर रोक क्यों जरूरी है। ...(**व्यवधान**)... यह तकनीकी या कानूनी मुद्दा नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज और नैतिकता से जुड़ा मुद्दा है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except Harbhajan Singh ji's speech. ...(Interruptions)...

श्री हरभजन सिंह: आज डिजिटल युग ने हमें बहुत मौके दिए हैं। ...(**व्यवधान**)... सोशल मीडिया हमें बहुत कुछ सिखाता है, ...(**व्यवधान**)... बात करने के नए-नए आइडियाज़ देता है ...(**व्यवधान**)... और काम करने के नए-नए आइडियाज़ देता है। लेकिन दुख की बात यह है कि इसी प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेंट बहुत तेजी से फैल रहा है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: I will come back to you. Please take your seat. ...(*Interruptions*)...

श्री हरभजन सिंह: आज एक बच्चा कुछ ही सेकंड में उस कंटेंट तक पहुंच जाता है ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: I will come back to you. Please take your seat. I am telling you that I will come back to you. ...(*Interruptions*)...

श्री हरभजन सिंह: जो उसके सोचने और समझने के तरीके को खराब कर रहा है। ...(**व्यवधान**)... रिसर्च से पता चलता है कि बहुत सारे बच्चे अश्लील सामग्री देखते हैं ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except Harbhajan Singh ji's speech. ...(Interruptions)...

श्री हरभजन सिंह: जिससे उनके सोचने का तरीका और महिलाओं के प्रति उनका नजरिया गलत हो जाता है। ...(**व्यवधान**)... यह सिर्फ व्यक्तिगत नैतिकता का मामला नहीं है, बल्कि यह सामाजिक सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य का भी सवाल है। ...(**व्यवधान**)...

माननीय सभापति महोदय, मैं सरल उदाहरण देना चाहता हूं कि 13-14 साल का बच्चा, जो अभी जीवन का सही और गलत सीख रहा है, वह सोशल मीडिया पर लगातार अश्लील वीडियो और तस्वीरें देखता है, तो उसके मन में महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना कैसे जाग सकती है? ऐसे कंटेंट से बच्चा महिलाओं को सिर्फ एक वस्तु की तरह देखने लग जाता है, जो समाज में अपराध और उत्पीड़न बढ़ा रहा है। दुनिया के कई देशों ने इस खतरे को समझा है और कदम उठाए हैं। फ्रांस में कानून बना कर अश्लील वेबसाइट्स पर सख्त आयु जांच अनिवार्य कर दी गई है। नियम न मानने वाली साइट को ब्लॉक करने का अधिकार रेगुलेटर्स को दिया गया है। यूनाइटेड किंगडम ने ऑनलाइन सुरक्षा कानून के तहत पोर्न वेबसाइट पर पहचान और उम्र की पुष्टि की मांग की है। ऑस्ट्रेलिया में भी बच्चों की सुरक्षा के लिए ऑनलाइन अश्लील सामग्री पर कड़ी जांच और भारी जुर्माने का प्रावधान है। इन उदाहरणों से साफ जाहिर है कि दुनिया के

Contents Page

विकसित देश इस सारी चीज को मान रहे हैं कि यह आने वाले समाज के लिए और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कितना खतरनाक है।

भारत जैसे देश में, जिसकी सभ्यता नारी सम्मान, संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों पर आधारित है, इस विषय पर गंभीर सोच और असरदार नीति की जरूरत है। हमें तकनीकी उपाय करने होंगे, जैसे आयु जांच, कंटेंट की निगरानी और सख्त सजा, ताकि सोशल मीडिया का उपयोग सीखने और रचनात्मक कामों के लिए हो, न कि समाज को गंदा करने और नुकसान पहुंचाने के लिए।

अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन जब वह समाज और बच्चों को नुकसान पहुंचाए, तब रोक जरूरी है।

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Harbhajan Singh:

Shrimati Priyanka Chaturvedi (Maharashtra), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Dr. John Brittas (Kerala), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shri Ajit Kumar Bhuyan (Assam), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Shri Narain Dass Gupta (NCT Delhi), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shrimati Rajathi (Tamil Nadu), Shri Madan Rathore (Rajasthan), Ms. Swati Maliwal (NCT Delhi), Shri Imran Pratapgarhi (Maharashtra), Shri Anil Kumar Yadav Mandadi(Telangana), Shri Khiru Mahto (Bihar), Shri Haris Beeran (Kerala), Shri Sanjay Yadav (Bihar), Shri Sajjad Ahmad Kichloo (Jammu and Kashmir) and Shri Ramji (Uttar Pradesh).

Now, Chowdry Mohammad Ramzan ji.

REGARDING ATTACK ON FAROOQ ABDULLAH IN JAMMU AND KASHMIR - *Contd.*

श्री चौधरी मोहम्मद रमज़ान (जम्मू-कश्मीर): सर, सारा हाउस जानता है कि कल डा. फारूक अब्दुल्ला साहब एक मैरिज फंक्शन में गए थे और उस मैरिज फंक्शन में पॉइंट ब्लैंक रेंज से उन पर फायर किया गया है। उनके पास जो एसपीजी का कवर था,

MR. CHAIRMAN: No running commentary please.

श्री चौधरी मोहम्मद रमज़ान: और आसपास उनके जो अपने वर्कर्स थे, यह उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने उस एसेलेंट को ओवरपावर किया और उनकी जिंदगी बची। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो रियासी पुलिस थी, वह कहीं नहीं थी। इस इंसिडेंट में डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, जो ऑनरेबल फारूक साहब के साथ थे, वे ज़ख्मी हो गए। In spite of that डिप्टी चीफ मिनिस्टर

Contents Page

साहब ने उस एसेलेंट को ओवरपावर किया और उनके जो साथी थे, वे अपनी गाड़ी में बैठे और फिर थाने में गए और उसको थाने में बंद करा दिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि पुलिस गई कहां थी! मैं यह कहना चाहता हूं कि रियासत में कोई सिक्योरिटी नहीं है। आपने पहलगाम में भी देखा, एलजी ने ओन किया कि मैं उस इंसिडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। डा. फारूक अब्दुल्ला साहब, जिनका वहां contribution है, वे वहां के तीन बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं। 90s में रियासी जम्मू-कश्मीर खो गई थी, लेकिन यह डा. फारूक साहब की ही मेहरबानी है कि उन्होंने कश्मीर को फिर से national mainstream में लाया। अगर आज यह incident हो गया होता, तो सारा कश्मीर turmoil में घिर जाता।

MR. CHAIRMAN: The incident has been taken note of. ...*(Interruptions)*... Everybody is concerned about it. ...*(Interruptions)*... Please conclude now. ...*(Interruptions)*...

श्री चौधरी मोहम्मद रमज़ान: सर, मैं यह चाहता हूं कि एक तो security वापस रियासत को मिलनी चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please conclude now. ...*(Interruptions)*...

श्री चौधरी मोहम्मद रमज़ान: उसको स्टेटहुड वापस मिलनी चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please conclude now. ...*(Interruptions)*...

श्री चौधरी मोहम्मद रमज़ान: सर, डा. फारूक अब्दुल्ला साहब की जो security है, उसको upgrade किया जाना चाहिए। इस सदन से यही मेरी गुजारश है।

MR. CHAIRMAN: Shri Gulam Ali. ...*(Interruptions)*...

श्री गुलाम अली (नामनिर्देशित): सर, ...(**व्यवधान**)... सर, पिछले 40 सालों में जम्मू-कश्मीर में...(**व्यवधान**)...

†**جناب غلام علی (نامزد) :** سر، ...(**مداخلت**)... سر، پچھلے 40 سالوں میں جموں کشمیر میں...(**مداخلت**)...

MR. CHAIRMAN: He is from Kashmir. ...*(Interruptions)*... Let him speak. ...*(Interruptions)*...

श्री गुलाम अली: एक गरीब कश्मीरी को, जो ...(**व्यवधान**)...

†**جناب غلام علی :** ایک غریب کشمیری کو، جو ...(**مداخلت**)...

† Transliteration in Urdu script.

Contents Page

MR. CHAIRMAN: Please take your seat. ...*(Interruptions)*...

श्री गुलाम अली : सर, जो ...(**व्यवधान**)...

†**جناب غلام علی :** سر، جو ---(**مداخلت**)---

MR. CHAIRMAN: No. You cannot question the Chair. ...*(Interruptions)*... Please take your seat. ...*(Interruptions)*...

श्री गुलाम अली : सर, इन्होंने उसको इन्होंने मजबूर किया। ...(**व्यवधान**)...

†**جناب غلام علی :** سر، انہوں نے اس کو انہوں نے مجبور کیا ---(**مداخلت**)---

MR. CHAIRMAN: I have the right to call him. ...*(Interruptions)*...

श्री गुलाम अली : इन्होंने तख़रीबकारी को बढ़ावा दिया। ...(**व्यवधान**)...

†**جناب غلام علی :** انہوں نے تخریب کاری کو بڑھاوا دیا۔ ---(**مداخلت**)---

MR. CHAIRMAN: I called him. ...*(Interruptions)*... I have given an opportunity to him. ...*(Interruptions)*...

श्री गुलाम अली : सर, इन्होंने पिछले 40 सालों में मासूम कश्मीरियों को गन पॉइंट पर मजबूर किया। ...(**व्यवधान**)... इन्होंने मैनेज किया है। ...(**व्यवधान**)...

†**جناب غلام علی :** سر، انہوں نے پچھلے 40 سالوں میں معصوم کشمیریوں کو گن پوائنٹ پر مجبور کیا۔ ---(**مداخلت**)--- انہوں نے مینیج کیا ہے۔ ---(**مداخلت**)---

MR. CHAIRMAN: Please conclude. ...*(Interruptions)*... Now please conclude. ...*(Interruptions)*...

श्री गुलाम अली : सर, इन्होंने मैनेज किया है। ...(**व्यवधान**)...

†**جناب غلام علی :** سر انہوں نے مینیج کیا ہے۔ ---(**مداخلت**)---

MR. CHAIRMAN: Shri Manan Kumar Mishra. ...*(Interruptions)*... This is a matter raised with the permission of the Chair. Shri Manan Kumar Mishra. ...*(Interruptions)*... Nothing else will go on record. ...*(Interruptions)*...

† Transliteration in Urdu script.

Contents Page

MATTERS RAISED WITH PERMISSION- *Contd.*

Demand for inclusion of Bhojpuri language in the Eighth Schedule to the Constitution

श्री मनन कुमार मिश्र (बिहार): माननीय सभापति महोदय, भारत विविध भाषाओं और संस्कृतियों का देश है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please take your seat.

श्री मनन कुमार मिश्र: यहां प्रत्येक भाषा की अलग-अलग पहचान है, महत्व है।...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: All of you please take your seat.

श्री मनन कुमार मिश्र: महोदय, भोजपुरी भाषा आज देश के करोड़ों नागरिकों की मातृभाषा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली सहित देश के अनेक राज्यों में भोजपुरी भाषा बोली जाती है। इसके अलावा, भोजपुरी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा भी है, जो मॉरीशस, फिजी, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद और टोबैगो, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर, नेपाल तथा कैरीबियन देशों में भी बोली जाने वाली भाषा है। अब तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलों की कमेंट्री भी भोजपुरी में होने वाली है।

एक माननीय सदस्य: हो रही है।

श्री मनन कुमार मिश्र: मान्यवर, भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य, इस भाषा की जननी हैं। अगर भाषा की उन्नति और भाषा का विकास होता है और अगर हम इस भाषा के लिए शिक्षक-प्राध्यापक बनाएंगे, तो हजारों की संख्या में इनकी मांग इन उपरोक्त देशों में हो जाएगी।

मान्यवर, इसके इतने व्यापक उपयोग और समृद्ध साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत के बावजूद, आज तक भोजपुरी भाषा को संवैधानिक मान्यता एवं राष्ट्रीय स्तर पर अपेक्षित प्राथमिकता प्राप्त नहीं हो पाई है। इसके कारण शिक्षा, प्रशासन और सरकारी योजनाओं में भोजपुरी भाषा का समुचित उपयोग सुनिश्चित नहीं हो पाता है।

अत: मेरा आग्रह है कि भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कर, इसको संवैधानिक मान्यता दी जाए। जब देश की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण और प्रोत्साहन की बात की जा रही है, तो भोजपुरी भाषा के साथ भी समान व्यवहार किया जाना चाहिए। भोजपुरी भाषा को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। इससे न केवल करोड़ों नागरिकों के भाषाई सम्मान की रक्षा होगी, बल्कि देश की एकता भी सुदृढ़ होगी, धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Manan Kumar Mishra:

Contents Page

Shri Brij Lal (Uttar Pradesh), Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh), Shrimati Darshana Singh (Uttar Pradesh), Dr. Radha Mohan Das Agrawal (Uttar Pradesh), Shri Neeraj Shekhar (Uttar Pradesh), Shri Satnam Singh Sandhu (Nominated), Shrimati Seema Dwivedi (Uttar Pradesh), Shri Rajendra Gehlot (Rajasthan), Shri Ratanjit Pratap Narain Singh (Uttar Pradesh), Shrimati S. Phangnon Konyak (Nagaland), Dr. Bhim Singh (Bihar), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shrimati Priyanka Chaturvedi (Maharashtra), Shri Sanjay Yadav (Bihar), Shri P. Wilson (Tamil Nadu) and Dr. John Brittas (Kerala).

Shri Tiruchi Siva. He is not there. Shrimati Mahua Maji.

Need for institutionalising a National Scientific Transliteration Standard for Hindi in all Government records

श्रीमती महुआ माजी (झारखंड): महोदय, हिंदी एक ऐसी वैज्ञानिक और ध्वनियात्मक भाषा है, जिसमें हम जैसा उच्चारण करते हैं, वैसा ही हुबहू लिखा जाता है। इसके विपरीत, अंग्रेजी एक deep orthography वाली भाषा है, जहां sound, spelling, correspondence, etc., highly irregular है। English is a non-phonetic language where what we write, what we pronounce and what we speak are often three different things. जैसे, go 'गो' होता है, तो to 'टू' हो जाता है, no 'नो' होता है, तो know का उच्चारण भी 'नो' ही होता है, मगर उसका अर्थ बदल जाता है। But 'बट' होता है, तो put 'पुट' हो जाता है। यानी अंग्रेजी में लिखे हुए शब्दों के उच्चारण में कोई एक समान तार्किक पैटर्न ही नहीं है। इस वैज्ञानिक भिन्नता को समझे बिना हमारे सरकारी रिकॉर्ड में हिंदी names and terms को लिखते समय भारी phonetic distortion हो रहा है। अंग्रेजी की अवैज्ञानिक orthography के आधार पर हिंदी नामों का transliteration किया जा रहा है। इससे ध्वनियों की वैज्ञानिक संरचना टूट रही है। हिंदी शब्दों में आए दीर्घ 'ई' और छोटी 'इ', दीर्घ 'ऊ' और छोटा 'उ' को अंग्रेजी में लिखते समय काफी ज्यादा अशुद्धियां पाई जाती हैं। पार्लियामेंट में भी सांसदों के नाम के साथ 'श्री' और 'श्रीमती' लिखते वक्त अंग्रेजी में 'Shri' और 'Shrimati' लिखा जाता है। हिंदी के हिसब से वह अशुद्ध है, क्योंकि हिंदी में 'श्री' और 'श्रीमती' में दीर्घ 'ई' लिखा जाता है, छोटी 'इ' नहीं और दीर्घ 'ई' लिखते समय अंग्रेजी का double 'e' और छोटी 'इ' लिखते समय इंग्लिश का 'i' लिखना शुद्ध होता है। इसके हिसाब से किसी के नाम के पहले 'श्री' लगाना हो, तो 'Shree' लिखना चाहिए, न कि 'Shri'. ये errors phonological mismatch पैदा करते हैं।

नाम के पहले लगाए जाने वाले 'श्री' शब्द को हल्के में कभी नहीं लेना चाहिए। इसका अपना समृद्ध इतिहास है, अपनी गरिमा है। आज हम जो हिंदी या देवनागरी का 'श्री' लिखते हैं, वह लगभग दो-ढाई हजार साल के विकास के बाद ब्राह्मी से बदल कर संस्कृत, हिंदी, मराठी, बंगाली, असमिया, गुजराती जैसी अलग-अलग भारतीय लिपियों में आया है। भारत के इतिहास में 'श्री' केवल एक सम्मान सूचक शब्द ही नहीं था, बल्कि इसे राजकीय मोहरों, प्राचीन मंदिरों,

Contents Page

शिलालेखों, ताम्र पत्रों और प्राचीन सिक्कों पर भी लिखा जाता था। अतः 'श्री' को अंग्रेजी में 'Shree' न लिख कर 'Shri' (श्रि) लिखना सिर्फ भाषा की गलती नहीं, बल्कि नागरिकों का identity error है। इसलिए मेरा सरकार से विनम्र व दृढ़ आग्रह है कि पार्लियामेंट के दस्तावेजों में माननीय सांसदों के नाम के आगे 'श्री' और 'श्रीमती' लिखते वक्त 'Shri' और 'Shrimati' न लिख कर सही उच्चारण के हिसाब से सही स्पेलिंग 'Shree' और 'Shreemati' लिख कर भाषाई शुद्धता का मिसाल कायम करे ताकि देश भर के लोग संसद की पहल को देखते हुए अपने या दूसरों के नाम के सामने हो रहे इस गलत प्रयोग को सुधारे।

आज भारत में कोई भी scientific national transliteration standard मौजूद ही नहीं है, इसलिए देश भर में पासपोर्ट, आधार, बैंकिंग, सरकारी भर्ती, संपत्ति रिकॉर्ड - लगभग हर जगह गलत स्पेलिंग के कारण भी लोग बार-बार अभिलेख सुधरवाने पर मजबूर होते हैं। कई मामलों में digitally mismatched records के कारण legal complications तक खड़े हो जाते हैं। इसलिए सरकार से मेरा विनम्र आग्रह है कि हिंदी के लिए एक national scientific transliteration standard बनाया जाए।

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shrimati Mahua Maji:

Shri Niranjan Bishi (Odisha), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shri Ajit Kumar Bhuyan (Assam), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Shrimati Rajathi (Tamil Nadu),Shri Naresh Bansal (Uttarakhand), Prof. Ram Gopal Yadav (Uttar Pradesh), Shri Madan Rathore (Rajasthan), Shri Khiru Mahto (Bihar), Shri Kesridevsinh Jhala (Gujarat), Shri Ram Chander Jangra (Haryana) and Shri Sanjay Yadav (Bihar).

Shriman Sandosh Kumar P.

Demand to reconsider the decision to allow 100 per cent FDI in the insurance sector

SHRI SANDOSH KUMAR P (Kerala): Mr. Chairman, Sir, the decision to allow 100 per cent FDI in insurance sector was notified by the Commerce Ministry in the month of February. So, I take this opportunity to make an earnest demand that this must be withdrawn. Sir, there were huge public cries and strikes by trade unions, especially by the employees of this sector. But, succumbing to the pressure of international monopolies, Modi Government had to amend the existing provisions and finally it is notified. Insurance has a history of legacy of more than 200 years in our country. It is not an ordinary business; it is the repository of hard-earned savings of millions of Indians. Now, it is under threat. Can this Government ensure that LIC will not be in the

Contents Page

hands of foreigners in the coming days? Because, नाम जो भी हो, इनका काम surrender है। So, they are going to hand over LIC also. The point is: It is not an ordinary business. These people did not create or build up even a single public sector undertaking during these ten years, but they are busy in dismantling all the existing structures and all the public sector undertakings. This needs to be stopped, especially in the emerging geo-economic situation. We need to protect our economy and our insurance sector. Insurance is not only an ordinary business. It is the lifeline of this country and it is going to affect hundreds of our workers. Multinational companies are coming. Now, they have 70 per cent share in the industry. But, if it is 100 per cent, what will be fate of our workers? Who is going to protect them? These companies may start their own subsidiaries or they may buy out the existing Indian companies. This is going to create a big impact in our economy. Sir, through you, I request the Government to kindly reconsider this policy of allowing 100 per cent FDI in the insurance sector. Thank you.

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Sandosh Kumar P:

Shri Niranjan Bishi (Odisha), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Dr. John Brittas (Kerala), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shrimati Priyanka Chaturvedi (Maharashtra), Shri Ajit Kumar Bhuyan (Assam), Shri Ravi Chandra Vaddiraju (Telangana), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Shrimati Rajathi (Tamil Nadu), Prof. Manoj Kumar Jha (Bihar), Shri Narain Dass Gupta (National Capital Territory of Delhi), Shri Sanjay Yadav (Bihar), Shrimati Sulata Deo (Odisha) and Shri Javed Ali Khan (Uttar Pradesh).

Shri Javed Ali Khan.

Demand for restricting non-academic work assigned to Primary School Teachers

श्री जावेद अली खान (उत्तर प्रदेश): सभापति जी, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा का जो सरकारी तंत्र है, गवर्नमेंट नेटवर्क ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, वह लगभग ध्वस्त हो चुका है। स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है। हमारे यहां शिक्षकों की इतनी भारी कमी है कि डेढ़ लाख शिक्षा मित्र नाम मात्र के मानदेय पर कार्य कर रहे हैं। उनको स्थायी नहीं किया जा रहा है। सर, शिक्षकों के 85 हजार स्थायी पद खाली पड़े हैं। प्राथमिक शिक्षा में 4 लाख, 18 हजार पद हैं, 85 हजार खाली पड़े हैं। 2,586 एकल विद्यालय हैं, मतलब कक्षा एक से कक्षा पांच तक एक अध्यापक पढ़ाता है। 27 हजार स्कूल बंद हो चुके हैं या एक-दूसरे में मर्ज कर दिए गए हैं। सर, वहां की यह स्थिति है। इसके और कारण क्या हैं? जो बचे-खुचे शिक्षक हैं, वे पढ़ाने के अलावा दूसरे काम कर रहे हैं। कौन-से काम?

Contents Page

एक एसआईआर नाम की आफत उत्तर प्रदेश में हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई। सारे अध्यापक पिछले पांच महीने से एसआईआर में लगे हुए हैं, कहीं कोई पढ़ाई का काम नहीं हो रहा है। जनगणना वे करते हैं, बाल गणना वे करते हैं, पशु गणना वे करते हैं, महिला, विधवा, वृद्धा पेंशन का सत्यापन और सर्वे वे करते हैं, राशन कार्ड का सत्यापन करते हैं, आवास योजनाओं के लाभार्थियों का सत्यापन करते हैं, मिड डे मील बनवाने से लेकर खिलवाने तक का काम करते हैं। स्कूल के भवन का निर्माण अध्यापक कराते हैं। वे स्वास्थ्य योजनाओं में आयुष्मान कार्ड और आभा आईडी बनवाने में सहयोग करते हैं। वे उज्ज्वला, शौचालय और घर-घर जल का डेटा कलेक्शन करते हैं। कुछ राज्यों में तो आवारा पशुओं और कुत्तों को नियंत्रण करने की भी जिम्मेदारी का आर्डर प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को दिया गया था। सर, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि इनसे गैर-शैक्षणिक कार्य न लिए जाएँ।

सर, मेरी मांग यह है कि शिक्षा के अतिरिक्त जो भी काम इन प्राइमरी एजुकेशन के शिक्षकों से लिए जाते हैं, उनको स्थायी रूप से बंद किया जाना चाहिए। इसके लिए आरटीई एक्ट में भी संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि आरटीई एक्ट में जनगणना, आपदा राहत और चुनाव की ड्यूटी का काम इनको दे दिया गया है। उसमें आपदा राहत तो ठीक है, लेकिन चूंकि जनगणना और चुनाव की ड्यूटी बारहों महीने चलती हैं, इसलिए उनको उससे संशोधन करके हटाया जाए और सरकार स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा को पूरे तरीके से संचालित करने की गारंटी करे। इन्हीं शब्दों के साथ, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

जناب جاوید علی خان (اتر پردیش) : سبھاپتی جی، اتر پردیش میں پراتھمک شکشا کا جو سرکاری تنتر ہے، گورنمنٹ نیٹ ورک آف پرائمری ایجو کیشن، وہ لگ بھگ تباہ ہو چکا ہے۔ اسکولوں میں پڑھائی نہیں ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں شِکشکوں کی اتنی بھاری کمی ہے کہ ڈیڑھ لاکھ شکشا متر نام ماتر کے ماندیہ پر کاریہ کر رہے ہیں۔ انکو استھائی نہیں کیا جا رہا ہے۔ سر، شِکشکوں کے 85 ہزار استھائی عہدے خالی پڑے ہیں۔ پراتھمک شکشا میں 4 لاکھ، 18 ہزار عہدے ہیں، 85 ہزار خالی پڑے ہیں۔ 2,586 ایکل ودیالیہ ہیں، مطلب ککشا ایک سے ککشا پانچ تک ایک ادھیاپک پڑھاتا ہے۔ 27 ہزار اسکول بند ہو چکے ہیں یا ایک دوسرے میں مرج کر دیے گئے ہیں۔ سر، وہاں کی یہ حالت ہے۔ اسکے اور کارن کیا ہیں؟ جو بچے کھچے شِکشک ہیں، وہ پڑھانے کے علاوہ دوسرے کام کر رہے ہیں۔ کون سے کام؟ ایک ایس آئی آر نام کی آفت اتر پردیش میں ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی۔ سارے ادھیاپک پچھلے پانچ مہینے سے اس میں لگے ہوئے ہیں، کہیں کوئی پڑھائی کا کام نہیں ہو رہا ہے۔ جن گننا وہ کرتے ہیں، بال گننا وہ کرتے ہیں، پشو گننا وہ کرتے ہیں، مہیلا، وِدھوا، وِردھا پنشن کا ستیاپن اور سروے وہ کرتے ہیں، راشن کارڈ کا ستیاپن کرتے ہیں، آواس یوجناؤں کے لابھارتھیوں کا ستیاپن کرتے ہیں، مڈ ڈے میل بنوانے سے لیکر کھلوانے تک کا کام کرتے ہیں۔ اسکول کے بھون کا نرمان ادھیاپک کراتے ہیں۔ وہ سواستھیہ یوجناؤں میں آیوشمان کارڈ اور آبھا آئی ڈی بنوانے میں سہیوگ کرتے ہیں۔ وے اجولا، شوچالیہ اور گھر گھر جل کا ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں۔ کچھ راجیوں میں تو آوارہ پشوؤں اور کتوں کو نینترن کرنے

† Transliteration in Urdu script.

Contents Page

کی بھی ذمہ داری کا آرڈر پراتھمک ودیالیوں کے شکشکوں کو دیا گیا تھا۔ سر، الہ آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ان سے غیر شیکشنک کاریہ نہ لیے جائیں۔

سر، میری مانگ یہ ہے کہ شکشا کے علاوہ جو بھی کام ان پرائمری ایجو کیشن کے شکشکوں سے لیے جاتے ہیں، انکو استھائی روپ سے بند کیا جانا چاہیئے۔ اسکے لیے آرٹی آئی ایکٹ میں بھی سنشودھن کرنا پڑےگا، کیونکہ آرٹی آئی ایکٹ میں جن گننا، آپدا راحت اور چناؤ کی ڈیوٹی کا کام انکو دے دیا گیا ہے۔ اس میں آپدا راحت تو ٹھیک ہے، لیکن چونکہ جن گننا اور چناؤ کی ڈیوٹی بارہوں مہینے چلتی ہیں، اسلئے انکو اس سے سنشودھن کرکے ہٹایا جائے اور سرکار اسکولوں میں پراتھمک شکشا کو پورے طریقے سے سنچالت کرنے کی گارنٹی کرے۔ انہیں شبدوں کے ساتھ، آپ کا بہت بہت دھنیواد۔

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the issue raised by the hon. Member, Shri Javed Ali Khan:

Shri Niranjan Bishi (Odisha), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Dr. John Brittas (Kerala), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shrimati Priyanka Chaturvedi (Maharashtra), Shri Ajit Kumar Bhuyan (Assam), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Prof. Manoj Kumar Jha (Bihar), Shri Sandosh Kumar P (Kerala), Shrimati Rajathi (Tamil Nadu), Shrimati Jaya Amitabh Bachchan (Uttar Pradesh), Shri Subhasish Khuntia (Odisha), Prof. Ram Gopal Yadav (Uttar Pradesh), Dr. Sarfraz Ahmad (Jharkhand), Shri Imran Pratapgarhi (Maharashtra), Shri Haris Beeran (Kerala), Shri Sanjay Yadav (Bihar), Shri Narain Dass Gupta (NCT Delhi), Shrimati Sulata Deo (Odisha) and Shri Subhas Chandra Bose Pilli (Andhra Pradesh)

Shri Samik Bhattacharya.

Concern over encroachment and non-utilisation of enemy properties in West Bengal

श्री सामिक भट्टाचार्य (पश्चिमी बंगाल): सर, मैं एक बहुत गंभीर विषय के ऊपर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सर, देश की स्वतंत्रता के बाद बहुत सारे पकिस्तानी और चीनी यह देश छोड़कर चले गए थे और उसके साथ-साथ वे अपनी प्रॉपर्टी भी छोड़कर चले गए थे। उन सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर 1968 में एक एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट बना और उसके बाद 2017 में एनिमी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन एक्ट भी बना। ऐसी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, उन सारी प्रॉपर्टीज की रक्षा का दायित्व भारत सरकार का है और वह उसकी रक्षा करती है। पूरे देश में ऐसी करीब 12 हजार प्रॉपर्टी है और सबसे ज्यादा 4,376 प्रॉपर्टीज हमारे पश्चिमी बंगाल में हैं। उनमें से 4,320

Contents Page

पाकिस्तानी है एंड 56 चाइनीज का है। पिछले दो सालों से सरकार को इनसे 70 लाख रुपये की आमदनी हुई है। अभी सबसे गंभीर विषय यह है कि 536 प्रॉपर्टीज इल्लीगली एनक्रोच्ड हैं, जिसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। पूरे पश्चिमी बंगाल में चाहे वक्फ प्रॉपर्टी हो, चाहे एनिमी प्रॉपर्टी हो, चाहे रेल की जमीन हो, चाहे डीवीसी की जमीन हो, चाहे देवोत्तर संपत्ति हो, सारी की सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जा बनाकर बैठे हुए हैं। यह भी नहीं है। अभी तो पश्चिमी बंगाल के जितने गैस डीलर्स हैं, उनके पास जाकर gunpoint में गैस उठाकर artificial scarcity बनाने के लिए ले जाया जा रहा है। एक सरकार ने पूरी सीमा को खुला छोड़ दिया है। उसका सारा impeachment motion आदि कुछ नहीं है, बल्कि यह उसका emotion है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए इमोशन, रोहिंग्या के लिए इमोशन और जो स्वर्गवासी हो गए हैं, उनके लिए भी इमोशन है। ये सब कितने दिन तक करेंगे? हम अपने कांग्रेस के भाइयों से कहना चाहेंगे कि हमारे जयराम रमेश जी ने हमारे नेशनल बोटैनिकल गार्डन के लिए बहुत कुछ किया। उसका नाम भी बदला। सभी बांग्ला भाषा-भाषी लोग उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन आज उनके भीतर भी घुसपैठिये घुस गए हैं। जहाँ ज़मीन देखते हैं, वहाँ घुस जाते हैं और उनको electricity, water supply आदि भी मिल रही है। बंगाल में एक कॉमन स्लोगन है — [&] "We will not let Bengal become Gujarat." But, what is happening? गुजरात सरकार ने तो अपने राज्य के लोगों को 'Statue of Unity' दी और हमारी सरकार ने हमें गुलशन कॉलोनी दे दी।

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Samik Bhattacharya:

Shrimati Darshana Singh (Uttar Pradesh), Shri Madan Rathore (Rajasthan), Shri Mayankkumar Nayak (Gujarat), Shri Mahendra Bhatt (Uttarakhand), Dr. Meenakshi Jain(Nominated), Shri Kanad Purkayastha(Assam), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Shri Kesridevsinh Jhala (Gujarat), Shri Sat Paul Sharma (Jammu and Kashmir), Shri Satnam Singh Sandhu (Nominated), and Dr. Bhim Singh (Bihar).

Shriman Sanjay Raut.

Demand for grant of a Legislative Assembly to Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu to ensure democratic representation

श्री संजय राउत (महाराष्ट्र): महोदय, आपके माध्यम से मैं देश के ऐसे विशाल केंद्र शासित प्रदेश की जनता की मांग इस सदन में उठाना चाहता हूँ, जिस प्रदेश का कोई सदस्य इस सदन में नहीं है। दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव के लाखों नागरिक लंबे समय से अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि दादरा, नगर हवेली और दमन-दीव को एक

[&] English translation of the original speech delivered in Bengali.

Contents Page

विधान सभा दी जाए और अधिकारी राज, रेड टेप राज की बेड़ियों से हमें मुक्त कर अपने खुद के भविष्य का निर्माण करने का अधिकार दिया जाए।

माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2014 में गृह मंत्रालय की संसदीय समिति ने इस केंद्र शासित प्रदेश में विधान सभा के गठन की सिफारिश की थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट न केवल गृह मंत्रालय को, बल्कि राज्यसभा को भी सौंपी थी, लेकिन 12 साल बीत जाने के बाद भी यह सिफारिश धूल फांक रही है। क्या यह लोकतंत्र के प्रति हमारी कमिटमेंट पर सवाल नहीं उठाता?

सर, आज इस क्षेत्र में विधान सभा का अभाव एक गंभीर समस्या बन चुका है। चुने हुए जनप्रतिनिधियों — नगर पंचायत और जिला पंचायत — को शक्तिहीन कर दिया गया है और सारी सत्ता प्रशासनिक अधिकारियों के हाथों में केंद्रित हो रही है, जो अपने हिसाब से नियम-कानून बनाते हैं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को पूछते तक नहीं। विधान सभा न होने के कारण इस क्षेत्र का राज्यसभा में कोई प्रतिनिधि नहीं है। क्या आप इसे उचित समझते हैं कि भारत के एक हिस्से को संसद के उच्च सदन में अपनी आवाज उठाने का अधिकार ही न मिले? वहाँ के लोग सवाल उठाते हैं कि जब सिक्किम, गोवा और पुदुचेरी जैसे छोटे राज्य, जिनके पास एक या दो लोकसभा सीटें हैं और सीमित राजस्व है, उन्हें विधानसभा का दर्जा दिया जा सकता है, तो दादरा नगर हवेली और दमन-दीव को यह अधिकार क्यों नहीं? इस क्षेत्र के पास लोकसभा की दो सीटें हैं। इसका रेवेन्यू उन छोटे राज्यों से कई गुना ज्यादा है। आबादी बढ़ रही है, फिर भी उनके साथ यह सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है?

सर, पहले यह क्षेत्र Portuguese की गुलामी में जकड़ा हुआ था। आज आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी यह अधिकारी राज के चंगुल में फंसा हुआ है। क्या यह हमारी डेमोक्रेटिक व्यवस्था का मखौल नहीं है? वहाँ के लोग कहते हैं कि हमें इन परिस्थितियों से निकालकर संवैधानिक अधिकार दे दिए जाएँ और उनका यह कहना बिल्कुल सही है।

मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र को विधान सभा देने में तकलीफ क्या है? अगर छोटे-छोटे अन्य राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद आप विधान सभा का अधिकार देते हैं, तो दादरा नगर हवेली और दमन-दीव के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? वहाँ के लोग भी डेमोक्रेसी का पूरा लाभ पाने के हकदार हैं।

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Sanjay Raut:

Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Dr. John Brittas (Kerala), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shri Javed Ali Khan (Uttar Pradesh), Shri Ajit Kumar Bhuyan (Assam), Prof. Manoj Kumar Jha (Bihar), Shri Sandosh Kumar P (Kerala), Shrimati Phulo Devi Netam (Chhattisgarh), Shri Sanjay Yadav(Bihar) and Shrimati Rajathi (Tamil Nadu).

Contents Page

Shri B. Parthasaradhi Reddy Garu.

Concern over growing cancer crisis in the country

SHRI B. PARTHASARADHI REDDY (Telangana): Hon. Chairman Sir, I rise to draw the urgent attention of the Government to the rapidly growing cancer-related issues in the country, which is silently becoming a major public health emergency. As may be seen, the number of cancer cases in India is rising sharply every year due to the following main reasons. Many cancers are detected at a very late stage, i.e., Stage III and IV. There is lack of routine screening, etc., in rural and semi urban areas of the country. There is lack or low level of awareness about the early symptoms of Cancer-related problems. Cancer treatment and medication is very expensive in the country and poor and downtrodden people are unable to bear the cost of treatment. Keeping in view the rapidly increasing number of patients of cancer diseases across India, there is an urgent need of more medical, surgical, and Radiation Oncologists.

Most of the advanced centres are located in cities like Delhi, Mumbai, Hyderabad, and cancer- related patients, especially, from rural parts of India are constrained to travel long distances for treatment. There is a lot of gap in the infrastructure. Factors like unawareness of early symptoms of cancer lead to increase in the cases of breast, cervical, lung and colorectal cancers. Though the Government is making all out efforts to spread awareness among the people related to cancers that occur due to tobacco consumption and environmental pollution, still cancer remains a major concern. Millions of families, particularly, the average and middle income group people are being pushed into financial distress because of extremely high cost of treatment of cancer-related diseases.

Sir, I request your kind intervention for the Government to take the following urgent measures in order to reduce the occurrence of the cancers: Ensure accessibility and affordability of all life-saving oncology drugs; launch a national mass cancer screening mission for early detection; design an apt policy to support and encourage not-for-profit hospitals by way of providing grant in aids for costly surgical and diagnosis equipment. I, therefore, request the Government to treat this issue as a national priority and take immediate action in this regard. We ought to nip the evil in the bud. Sir, I am glad to inform this august House, through you, that as a part of my philanthropic activities, I have established South India's biggest not-for-profit ultra modern 1,500-bedded Cancer Hospital in Hyderabad, namely, Sindhu Hospitals. I appeal all the hon. Members of this august House to please visit and utilize such

Contents Page

facility by referring patients who are under-privileged irrespective of their socio-economic background to Sindhu Hospitals. We are ready to serve them. Thank you very much.

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri B. Parthasaradhi Reddy:

Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Dr. John Brittas (Kerala), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shri Subhas Chandra Bose Pilli (Andhra Pradesh), Shrimati Priyanka Chaturvedi (Maharashtra), Shri Ajit Kumar Bhuyan (Assam), Shri Ravi Chandra Vaddiraju (Telangana), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Shri Anil Kumar Yadav Mandadi (Telangana), Shri Subhasish Khuntia (Odisha), Shri Sandosh Kumar P (Kerala), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri Masthan Rao Yadav Beedha (Andhra Pradesh), Shri Haris Beeran (Kerala), Shri Devendra Pratap Singh (Chhattisgarh), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Shri Sanjay Yadav (Bihar), Shri Narain Dass Gupta (NCT Delhi), Shrimati Rajathi (Tamil Nadu), Shrimati Sulata Deo (Odisha) and Dr. Fauzia Khan (Maharashtra).

Now Shrimati Darshana Singh.

Demand for establishment of a Paddy Cluster in Chandauli District of Uttar Pradesh

श्रीमती दर्शना सिंह (उत्तर प्रदेश): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे जीरो आवर में अपना विषय रखने के लिए जो अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करती हूं। महोदय, आज का जो विषय है, वह मेरे गृह जनपद चंदौली जिले से जुड़ा हुआ है। मैं वहां पर धान के क्लस्टर की स्थापना के संदर्भ में अपनी बात रखना चाहती हूँ। चंदौली को पूर्वांचल का धान का कटोरा कहा जाता है। यहां के किसान प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में धान का उत्पादन करते हैं। ज्यादातर किसान छोटे और सीमांत हैं और वे पारंपरिक तथा आधुनिक, दोनों तरीकों से खेती करते हैं, लेकिन उनके पास धान को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती है। कटाई के बाद यदि धान में नमी रह जाती है, तो उसके खराब होने की आशंका बनी रहती है। ऐसे में कभी-कभी किसान अपना धान कम दाम पर बेचने को विवश हो जाते हैं और भंडारण न होने के कारण उन्हें उचित लाभ नहीं मिल पाता है।

महोदय, मैं बताना चाहती हूं कि 80 और 90 के दशक में भारत अनाज के लिए अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर रहा करता था, लेकिन आज माननीय प्रधान मंत्री जी के कुशल नेतृत्व के कारण भारत सबसे ज्यादा अनाज पैदा करने वाले देशों में शामिल हो गया है। मुझे आज यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वर्तमान समय में भारत चावल के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर

Contents Page

पहुंच गया है। पहले, कांग्रेस सरकार के समय में चावल गोदामों में सड़ जाते थे, लेकिन आज माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की गरीब कल्याणकारी सोच के कारण 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। महोदय, हमारा जो चंदौली जिला है, वह चावल उत्पादन में एक बड़ा योगदान दे रहा है। इसी कारण से इसको पूर्वांचल का धान का कटोरा भी कहा जाता है। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी से आग्रह करती हूं कि किसानों को अच्छा लाभ मिल सके, इसके लिए चंदौली जिले में धान के क्लस्टर की स्थापना की जाए। महोदय, चंदौली में धान के क्लस्टर के स्थापित होने से न सिर्फ चंदौली, बल्कि मिर्जापुर, सोनभद्र, जौनपुर, गाजीपुर समेत पूर्वांचल के अन्य जिलों में भी किसानों को इसका लाभ मिलेगा। चंदौली ऐसा क्षेत्र है, जहां देश के विभिन्न हिस्सों के लिए रेल की अच्छी कनेक्टिविटी है, जल मार्ग है और सड़क यातायात भी बहुत सुगम है, अतः धान के क्लस्टर की स्थापना के लिए यहाँ की परिस्थितियाँ बहुत अनकूल हैं।

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shrimati Darshana Singh:

Shri Satnam Singh Sandhu (Nominated), Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh), Shri Amar Pal Maurya (Uttar Pradesh), Shri Shambhu Sharan Patel (Bihar), Shrimati Seema Dwivedi (Uttar Pradesh), Dr. Sumer Singh Solanki (Madhya Pradesh), and Shrimati Rajathi (Tamil Nadu).

Now Shri K.R. Suresh Reddy.

Demand for ban on Paraquat Dichloride due to serious health and environmental risks

SHRI K.R. SURESH REDDY (Telangana): Mr. Chairman Sir, this is a request for permanently banning the Paraquat Dichloride because this herbicide is extremely poisonous. It is killing our constituents, destroying rural health and poisoning the soil, water and air that our farming communities depend upon. Primarily, this herbicide is used for weed control. This herbicide is easily available in pesticide stores across the country, including online platforms such as Amazon and Flipkart. Most of the suicides in our country, which are committed, are using Paraquat. There are also accidental deaths, especially among children who touch this, which is stored in a bottle, or consume it and, most of the deaths of children are also due to this Paraquat. It is reported that around 100 suicide deaths occur in Telangana alone, and nearly 1,000 deaths take place in India every month due to consumption of Paraquat. The Telangana High Court has recently directed the State and Central Governments to respond to this issue. Mr. Chairman, Sir, even in Miraj, Maharashtra, reports indicate

Contents Page

that about 50 deaths occur every month due to Paraquat. Unfortunately, there is no antidote for Paraquat. Normally, such herbicides are banned when they do not have an antidote. The emetic solution used in it should be 0.5 per cent but, in India, the product sold contains only 0.1 per cent. So, that does not create a vomiting sensation, which would have acted as antidote and have got the pesticide out of the system. The Indian Medical Association has recently held meetings across the country, including in Hyderabad, and has requested that this herbicide be banned immediately. Around 74 countries worldwide have already withdrawn Paraquat from the market, including major markets such as China, Brazil, the European Union and the United Kingdom as well as neighboring countries like Bangladesh and Sri Lanka. The Government should order deregistration and ban of Paraquat Dichloride under the Insecticides Act of 1968, establish a Paraquat Victim Relief Fund to support families who have lost members or are suffering long-term health damages. At the same time, alternative weed control methods such as brush cutters, power weeders, and less harmful chemicals like glyphosate and other pest-control options should be provided on subsidy. This is important because many farmers use Paraquat extensively without being aware of the severe danger it poses. Therefore, I request the Government to immediately respond and impose a national ban on this dangerous pesticide. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri K. R. Suresh Reddy:

Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shrimati Sudha Murty (Nominated), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Shrimati Jaya Amitabh Bachchan (Uttar Pradesh), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Subhas Chandra Bose Pilli (Andhra Pradesh), Shri B. Parthasaradhi Reddy (Telangana), Shri Haris Beeran (Kerala), Shrimati Rajathi (Tamil Nadu), Shrimati Priyanka Chaturvedi (Maharashtra), Shri Javed Ali Khan (Uttar Pradesh) and Shri Ravi Chandra Vaddiraju (Telangana).

Now, Prof. Ram Gopal Yadav. ...(*Interruptions*)... No, no. You are coming in between.

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI MALLIKARJUN KHARGE): Sir, the Chair is separate.

MR. CHAIRMAN: No, no. That slide is coming. Standard photo is coming.

Contents Page

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Purely, it is showing as RSS photo.

MR. CHAIRMAN: No; that is my old photo. It is coming. I am from RSS, no doubt about it; I will never deny it. ...(*Interruptions*)... The Chair is no RSS; Chair is no Congress. That I know. He said, 'It looks like RSS.' Now, Prof. Ram Gopal Yadav.

Concern over problems faced by paramilitary personnel in the country

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): सर, सभी लोग जानते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेज़ संसद से लेकर सीमा तक, औद्योगिक संस्थानों से लेकर हवाई अड्डों तक और अन्य सारे महत्वपूर्ण लोगों की सेवा में लगती हैं। वे अपना जीवन भी देते हैं। उनमें से तमाम जवान शहीद होते हैं। लेकिन दुखद बात यह है कि उनकी सेवा शर्तें इतनी खराब हैं कि जो असिस्टेंट कमांडेंट बन जाता है, वह दसियों साल तक डिप्टी कमांडेंट नहीं बन पाता है। इन संगठनों को मजबूरन सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने 23.05.2025 को यह फैसला दिया कि ये फोर्सेज़ के ग्रुप ए के कार्यकारी कैडर अधिकारी 1986 से संगठित ग्रुप ए सेवा में माने जाएंगे। यह भी कहा कि सेवा भर्ती नियमों में सभी परिणामी लाभों सहित छः माह के भीतर आवश्यक संशोधन किए जाएं। 6 माह के भीतर कैडर समीक्षा पूर्ण की जाए। 2 वर्षों के भीतर महानिरीक्षक स्तर तक प्रतिनियुक्ति पदों में चरणबद्ध कमी की जाए। जब इस पर कुछ नहीं किया, तो गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू कर दिया। रिव्यू की याचिका को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी की पीठ ने 28.10.2025 को निरस्त कर दिया। फिर भी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। यह बाध्यकारी फैसला था। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू नहीं किया, तो फिर इन संगठनों को कन्टेम्प्ट में जाना पड़ा। उसमें पहली तारीख 10.02.2026 पड़ी। उसमें गवर्नमेंट की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने पीठ के सामने यह कहा कि सरकार इस विषय में वैधानिक हस्तक्षेप पर विचार कर रही है। यह सारी फोर्सेज़ के लिए बहुत निराशाजनक है। इसी सुप्रीम कोर्ट ने टीचर्स के बारे में कहा, लोग 20 साल, 25 साल या 30 साल से नौकरी कर रहे हैं, सबको इम्तिहान देना पड़ेगा और फेल हो जाएंगे, तो हटा दिए जाएंगे। यह *prima facie* गलत फैसला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू करने के लिए गवर्नमेंट नहीं गई। इसको रिव्यू करने के लिए न यहां आई और न वहां गई। यहां संसद के द्वारा इसको निरस्त कराना चाहते हैं। आपकी रक्षा में वे लोग अपनी जान दे रहे हैं और अगर कोई हमला करता है, तो वे गोली खाने के लिए सबसे पहले तैयार रहते हैं। मुझे अफसोस है और आश्चर्य भी है कि गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पालन क्यों नहीं कर रही है। 12-13 हज़ार अधिकारियों का सारा career खराब है। मुझे यह दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो आईएएस और आईपीएस लॉबी है, वह इन लोगों को ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: श्रीमती धर्मशीला गुप्ता जी।

प्रो. राम गोपाल यादव: सर, अभी मेरी बात समाप्त नहीं हुई। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: प्लीज़, यादव जी। ...(**व्यवधान**)...

Contents Page

प्रो. राम गोपाल यादवः हम यह चाहते हैं कि यह dotted line पर न करें। आपके माध्यम से मेरा माननीय गृह मंत्री से अनुरोध है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू कराएं और देश की सेवा में अपनी जान देने वाले अधिकारियों के लिए काम करें।

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Prof. Ram Gopal Yadav:

Shri Mallikarjun Kharge (Karnataka), Shri Pramod Tiwari (Rajasthan), Shrimati Sonia Gandhi (Rajasthan), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shrimati Phulo Devi Netam (Chhattisgarh), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shrimati Jaya Amitabh Bachchan (Uttar Pradesh), Dr. John Brittas (Kerala), Dr. Sarfraz Ahmad (Jharkhand), Shri Sandosh Kumar P (Kerala), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Shrimati Renuka Chowdhury (Telangana), Shri Ajit Kumar Bhuyan (Assam), Shri Javed Ali Khan (Uttar Pradesh) Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Shrimati Priyanka Chaturvedi (Maharashtra), Shri Haris Beeran (Kerala), Shri Sanjay Yadav (Bihar), Shri Narain Dass Gupta (NCT Delhi), Shri Ramji (Uttar Pradesh) and Shri Imran Pratapgarhi (Maharashtra).

The next speaker is Shrimati Dharmshila Gupta.

Need for a special plan to tackle potential water scarcity and drought-like conditions in several districts of South Bihar due to extreme heat

श्रीमती धर्मशीला गुप्ता (बिहार): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान बिहार के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। आने वाले महीनों में देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और लू की आशंका व्यक्त की जा रही है, जिसका प्रभाव विशेष रूप से बिहार के दक्षिणी जिलों पर पड़ सकता है। बिहार राज्य के दक्षिणी भाग, जैसे गया, औरंगाबाद, नवादा, जमुई, बांका और जहानाबाद जिलों में लगभग हर वर्ष गर्मियों के दौरान जल संकट और सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार कई वर्षों में बिहार में सामान्य से काफी कम वर्षा दर्ज की गई है। उदाहरण के लिए, राज्य में सामान्य वर्षा लगभग 1,137 मिलीमीटर मानी जाती है, जबकि एक वर्ष में केवल लगभग 554 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई है, जो सामान्य से काफी कम है। इसी प्रकार, कुछ वर्षों में राज्य में लगभग 26 प्रतिशत तक वर्षा की कमी दर्ज की गई है, जिससे कृषि और जल उपलब्धता दोनों प्रभावित हुए हैं। दक्षिण बिहार के कई जिलों में तो स्थिति और अधिक गंभीर हो जाती है। उदाहरण के लिए, औरंगाबाद और गया जिला जैसे क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 950 से 1,000 मिलीमीटर के आसपास रहती है, जो राज्य के कई हिस्सों की तुलना में कम है। कई बार मानसून के दौरान भी इन जिलों में 12 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक वर्षा की कमी दर्ज की गई है, जिससे किसानों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, अपर्याप्त वर्षा और अत्यधिक गर्मी के कारण इन जिलों में भूजल

Contents Page

स्तर भी 10 से 20 प्रतिशत तक गिरने की रिपोर्ट सामने आई है, जिससे पेय जल संकट और बढ़ जाता है।

माननीय सभापति महोदय, इस स्थिति का सबसे अधिक प्रभाव किसानों, ग्रामीण गरीबों और पशुपालक पर पड़ता है। यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले महीनों में भीषण गर्मी के कारण इन क्षेत्रों में जल संकट और अधिक गंभीर रूप ले सकता है। अतः मैं सरकार से आग्रह करती हूं की दक्षिण बिहार के जल संकट ग्रस्त जिलों के लिए विशेष जल संरक्षण और प्रबंधन योजना बनाई जाए। और संभावित जल संकट को देखते हुए इन जिलों के लिए पेय जल और सिंचाई परियोजनाओं हेतु विशेष केंद्रीय सहायता पैकेज प्रदान किया जाए, धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shrimati Dharmshila Gupta:

Shri Shambhu Sharan Patel (Bihar), Dr. Meenakshi Jain (Nominated), Dr. Bhim Singh (Bihar), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh), Shrimati Sadhna Singh (Uttar Pradesh) and Shri Naveen Jain (Uttar Pradesh).

Shri Paka Venkata Satyanarayana Garu.

Need for greater accountability and local utilisation of CSR funds by private companies

SHRI PAKA VENKATA SATYANARAYANA (Andhra Pradesh): Thank you, hon. Chairman, Sir, for giving me an opportunity. I rise to draw the attention of the august House to the urgent need for the greater accountability and responsibility regarding the Corporate Social Responsibility funds. As far as the Companies Act is concerned, it has been stipulated that the profits which have been accrued by a particular company, at least, 2 per cent of the profits should be spent on the social responsibility.

As the statistics of the Government clearly show, in the Financial Year, 2023-24, nearly Rs. 34,908 crores have been allocated under this provision. But, actually, the talk among the common public is that the profits were vested with the producers and the pollution was left to the public. So, for curtailing the pollution, though so many laws have also been made, the profits which have been actually accrued by the companies, the producers, they are not utilizing it for cleaning the environment or they are not utilizing it for rectification of the atmosphere which has been polluted by these

Contents Page

particular companies.

So, in this regard, I urge the Government, through you, to make a special law so that the profits which have been acquired by those companies may be spent exclusively for rectification of the mistakes which have been committed by these industries, by way of cleaning the air pollution or other things. Though the Pollution Control Boards are there and a number of laws are in place, they are submitting their reports to the concerned judicial system admitting that public is suffering. But, at the same time, they are indicating that CSR funds are non-lapsable and assuring that the problem would be rectified in the forthcoming years. In this manner, they are postponing almost every issue. So, I urge, through you, to the Government, that the monies or funds which have been accrued by the companies should be exclusively utilised for a clean pollution so that the correct corporate social responsibility is discharged in this regard. Thank you, Sir, you for giving me this opportunity.

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Paka Venkata Satyanarayana:

Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Dr. Meenakshi Jain (Nominated), Shri Satnam Singh Sandhu (Nominated), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Ravi Chandra Vaddiraju (Telangana), Shri Kesridevsinh Jhala (Gujarat), Shri Sadanand Mhalu Shet Tanavade (Goa), Dr. Bhim Singh (Bihar), Shri Madan Rathore (Rajasthan), Shri Devendra Pratap Singh (Chhattisgarh), Shri Narain Dass Gupta (NCT Delhi) and Dr. Sangeeta Balwant (Uttar Pradesh).

Shri Mahendra Bhatt.

Concern over rising incidents of forest fires in several States and need for additional financial assistance from the Centre

श्री महेंद्र भट्ट (उत्तराखंड): महोदय, मैं आज के शून्य काल के दौरान लोक महत्व के एक अविलंबनीय विषय को उठाना चाहता हूं। देश के विभिन्न राज्यों, विशेषकर हिमालयी राज्यों, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य भारत के जंगलों में गर्मियों के दौरान वनाग्नि की घटनाएं एक गंभीर आपदा का रूप ले चुकी हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का लगभग 36 प्रतिशत वन क्षेत्र आग के प्रति संवेदनशील है। आग के कारण बहुमूल्य वन संपदा, जैवविविधता और वन्य जीवों का भारी विनाश हो रहा है। वनाग्नि से न केवल लकड़ी का नुकसान होता है, बल्कि मिट्टी की उर्वरता और जल स्रोतों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसका सीधा

Contents Page

असर स्थानीय समुदाय की आजीविका पर पड़ता है। जंगलों से निकलने वाला धुआं और कार्बन उत्सर्जन ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है और ग्लेशियरों के पिघलने की गति को तेज कर रहा है।

राज्यों के पास सीमित संसाधन और कठिन भौगोलिक परिस्थितियां होने के कारण मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि राज्य को फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट योजना के तहत अतिरिक्त फंड आवंटित किया जाए। आग की पूर्व सूचना के लिए बेहतर अर्ली वार्निंग सिस्टम और आग बुझाने हेतु आधुनिक उपकरणों, जैसे अग्निशमन हेलीकॉप्टर और ड्रोन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही, स्थानीय लोगों और वन पंचायतों को प्रशिक्षण और वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाए, ताकि वे शुरुआती स्तर पर आग को रोकने में मदद कर सकें। अतः मैं सरकार से इस संवेदनशील विषय पर तत्काल ध्यान देने का आग्रह करता हूं, धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Mahendra Bhatt:

Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Dr. John Brittas (Kerala), Dr. Sumer Singh Solanki (Madhya Pradesh), Shri Mayankkumar Nayak (Gujarat), Shri Madan Rathore (Rajasthan), Shri Sadanand Mhalu Shet Tanavade (Goa), Shri Naresh Bansal (Uttarakhand), Shri Sat Paul Sharma (Jammu and Kashmir) and Shri Devendra Pratap Singh (Chhattisgarh).

Shri P. Wilson.

Need for comprehensive judicial reforms to ensure speedy justice

SHRI P. WILSON (Tamil Nadu): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me this opportunity. Sir, the regional benches of Supreme Court are very important to be established as they are access to the justice. In the last five years, out of 593 Judges appointed to the High Court, 473 Judges, that is, nearly 80 per cent belongs to the forward communities. Even in the Supreme Court today, there is only one woman Judge, two Judges belonging to religious minority, one Judge from the Scheduled Caste, and there is no Judge from Scheduled Tribe. There is a need for a broader social representation so that the judiciary reflects the diversity of our society. Thirdly, the strength of Judges in our higher judiciary is grossly inadequate. The Judge population ratio in our country remains low. The High courts have numerous vacancies while even the sanctioned strength is not sufficient. Sir, we must legislate to offer a mechanism to suspend Judges facing serious allegations with clinching evidence without compromising the independence of judiciary to retain public faith in the judiciary. Impeachment is a long-drawn and extremely complicated process.

Contents Page

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri P. Wilson:

Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Sandosh Kumar P (Kerala), Shri Javed Ali Khan (Uttar Pradesh), Shri Ravi Chandra Vaddiraju (Telangana), Shri Gurwinder Singh Oberoi (Jammu and Kashmir), Shri Imran Pratapgarhi (Maharashtra), Shrimati Rajathi (Tamil Nadu), Shri Sanjay Yadav (Bihar), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Shri Subhas Chandra Bose Pilli (Andhra Pradesh) and Dr. V. Sivadasan (Kerala).

MR. CHAIRMAN: Now, Question Hour.

12.00 **noon**

ORAL ANSWER TO QUESTIONS

Protection of monuments in West Bengal

*211. SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Will the Minister of CULTURE be pleased to state.	
(a)	the details of Archaeological Survey of India (ASI) protected monuments in West Bengal;
(b)	the details of such monuments that are ticketed;
(c)	the passenger footfall in such monuments and the revenue generated since 2023, year-wise, monument-wise and district-wise; and
(d)	the funds released and utilised by ASI towards conservation and maintenance of such monuments since 2023, year-wise and monument-wise?
THE MINISTER OF CULTURE AND TOURISM (SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.	

Statement

(a) There are 135 monuments and archaeological sites and remains declared as of

Contents Page

national importance in the State of West Bengal, which are maintained by Archaeological Survey of India (ASI). The details are given at **Annexure-I**.

(b) and (c) There are 04 protected monuments in the State of West Bengal under Archeological Survey of India where entry fee is charged. The details including footfall and revenue collected out of sale of entry ticket are given at **Annexure-II**.

(d) The conservation and maintenance of protected monuments and protected areas (sites) is carried out as per requirement, priority and availability of resources, which is a regular phenomenon, following the National Conservation Policy, 2014. Monument-wise expenditure incurred on conservation and maintenance of protected monuments and areas located in the State of West Bengal since 2023 is given at **Annexure-I**.

Annexure-I

Details of protected monuments and areas (sites) under the Archaeological Survey of India in the State of West Bengal and their conservation and maintenance expenditure since 2022-23

(Amount in rupees)

Sl. No	Name of Monument / Site	District	Expenditure 2022-23	Expenditure 2023-24	Expenditure 2024-25	Expenditure 2025-26 (till)
1.	Ancient Temple	Bankura	139596	3493710	2143052	314562
2.	Brindaban Chandra Temple,	Bankura	2118318	54353	95039	--
3.	Radha Damodar Temple	Bankura	220336	242397	202273	118682
4.	Dalmadal Gun and the platform on which it is mounted	Bankura	168542	161510	118255	139628
5.	Gate of Old Fort	Bankura	2217757	164353	118255	138180
6.	Jora Mandir	Bankura	3167836	903940	574027	441890
7.	Jore-Bungla Temple	Bankura	1788614	236596	708101	399788
8.	Kala Chand Temple	Bankura	2496870	1070713	1186474	802729

Contents Page

9.	Lalji Temple	Bankura	2540534	223810	307897	429720
10.	Madan Gopal Temple	Bankura	158445	2754885	118255	141265
11.	Madanmohan Temple	Bankura	593438	352726	118255	148729
12.	Maleswar Temple	Bankura	315221	280453	182740	139358
13.	Muralimohan Temple	Bankura	211546	326527	117503	148729
14.	Nanda Lal Temple	Bankura	1994452	440343	319713	314585
15.	Patpur Temple	Bankura	121614	797885	372102	285431
16.	Radhabinode Temple	Bankura	--	210298	90520	--
17.	Radhagovinda Temple	Bankura	1975746	263809	243042	159774
18.	Radhamadhab Temple	Bankura	2562088	642493	1261845	235381
19.	Radhashyam Temple	Bankura	1748528	458577	308370	188797
20.	Rashmancha	Bankura	3142970	1452217	1398235	870056
21.	Shyam Rai Temple	Bankura	2894810	874469	322669	292247
22.	Small Gateway of Fort	Bankura	--	41600	95062	78412
23.	Stone Chariot	Bankura	-	46840	100136	74404
24.	Saileswar Temple	Bankura	121577	304496	621653	2099261
25.	Sareswar Temple	Bankura	1006681	16941127	5704557	616163
26.	Temple of Radha Damodar Jew	Bankura	115355	484447	190765	142542
27.	Gokulchand Temple	Bankura	2745802	277690	306970	269527
28.	Temple of Ratneswar	Bankura	--	157496	95061	82716
29.	Temple of Shyam Sundar	Bankura	--	12166	186820	84408
30.	Temple site now represented only by a Mound and a Statue of	Bankura	--	--	--	--

Contents Page

	Surya.					
31.	Temple site of an old Jain Temple now represented only by a Mound with a Jain statue.	Bankura	--	---	----	---
32.	Image of Durga slaying Mahisasura under a tree	Bankura	---	----	----	---
33.	Temple site now represented only by a Mound	Bankura	--	--	--	--
34.	Temple site now represented only by a Mound with statues of Ganesh and Nandi on it.	Bankura	-----	----	----	---
35.	Temple site now represented only by a Mound with an Image of Nandi on it.	Bankura	-----	----	---	---
36.	Rock Inscription of Chandra Varman	Bankura	3923	148292	95037	88568
37.	Two Mounds	Birbhum	31891	208721	182631	122313
38.	Temple of Radha Binode commonly known as Joydeb.	Birbhum	607797	229452	425414	208091
39.	Old temple of Dharmaraj	Birbhum	118629	238789	210950	194921
40.	The temple of Basuli and the mound together with fourteen other temples near them containing the “Linga” image of Siva	Birbhum	155762	351059	247726	184962
41.	Temple and Rasmancha	Birbhum	409208	228658	146201	195099

Contents Page

42.	Two Ancient Temples (Joined together)	Burdwan	1803331	374161	149206	182445
43.	Rudreswar Temple	Burdwan	180485	234507	204326	193293
44.	Group of four Ancient Temples	Burdwan	284716	3113692	6835010	778666
45.	Ancient Mound	Burdwan	154367	237954	310182	2411019
46.	The tombs of Baharam Sakka, Sher Afgan and Nawab Kutabuddin	Burdwan	150700	251257	190461	230941
47.	Jain Brick Temple known as Sat-Deul	Burdwan	189859	757121	577701	569013
48.	Stone Temple	Burdwan	38450	246426	305797	229430
49.	Temple of Ichai Ghose	Burdwan	301416	254883	490833	198559
50.	Group of Temples (12 nos. Temples) (i) Bijoy Vaidyanath Temple, (ii) Giri Gobardhan Temple, (iii) Gopalji Temple, (iv) Jaleswar Temple, (v) Krishna Chandraji Temple, (vi) Lalji Temple, (vii) Naba-Kailasha Temple, (viii) Pancharatna Temple, (ix) Pratapeswar Siva Temple in Rajbari Complex, (x)Rameswar Temple, (xi) Ratneswar Temple, (xii) Rupeswar Temple	Burdwan	2794842	2450734	5518413	2738924
51.	The area situated	Burdwan	33880	328301	185872	169805

Contents Page

	between the road to Amlajore and the river Damodar					
52.	Ancient Site and Remains of Pandurajar Dhipi	Burdwan	5502243	232051	148427	191906
53.	Hansesvari and Vasudeva Temples	Hooghly	833452	1394588	923604	1372050
54.	Dupleix Palace (Institute de Chandan Nagar)	Hooghly	1676692	1097051	1046091	1697793
55.	Dutch Cemetery together with all tombs & monuments contained therein	Hooghly	591957	1344414	4733773	949060
56.	Dutch Memorial monument of Susenne Anne Maria	Hooghly	862249	769244	304312	506838
57.	Group of temples known as Brindaban Chandra's Math	Hooghly	228296	251584	281976	253549
58.	Mounds	Hooghly	167668	187551	168943	168581
59.	Minar	Hooghly	38037	231013	410731	326786
60.	Mosque	Hooghly	226746	256214	224459	196429
61.	Mosque & Tombs	Hooghly	226049	220818	412514	133155
62.	i) Danish Cemetery ii) All ancient structures, all tombs stone monument remains and inscriptions within the area enclosed by the said walls.	Hooghly	607149	881507	510444	--
63.	Dargah of Zafar Khan Ghazi	Hooghly	620451	938998	850680	763193
64.	Sri Mayer Ghat	Howrah	524088	348935	255796	261933
65.	Currency Building	Kolkata	15227805	13881347	2923799	3805695
66.	St. John's Church	Kolkata	1171263	1219832	433414	345750
67.	Metcalfe Hall	Kolkata	6493469	5976832	3664638	3647032

Contents Page

68.	Old Building of the Asiatic Society	Kolkata	1653103	1413789	1456011	1868623
69.	Beth-el-Synagogue	Kolkata	1231564	711073	317698	415973
70.	Maghen David Synagogue	Kolkata	1177293	596763	143028	311638
71.	Dharmaraj Temple	Midanapur	--	--	138820	84705
72.	Temples of Bandyopadhyay Family	Midanapur	84330	213136	183497	145729
73.	Sitala Temples	Midanapur	--	--	137820	74391
74.	Nava Ratna Temple Complex	Midanapur	195890	242309	707990	141163
75.	Karambera Fort	Midnapore	2967706	1793957	771649	2654982
76.	John Pierce's Tomb	Midnapore	177511	224689	330818	111755
77.	Ruins of Fort	Nadia	203715	265410	272865	251365
78.	Temple	Nadia	539841	494648	223171	187843
79.	Warren Hasting's House	North 24 Parganas	7202426	1108621	680262	702350
80.	26 Shiva Temples	North 24 Parganas	1416027	5176222	830142	1210036
81.	Chandra Ketu's Fort	North 24 Parganas	426893	489952	378573	384439
82.	Ancient Mound known as Varahamihirer Dhipi	North 24 Parganas	285535	338491	251532	471348
83.	Clive's House known as Barakothi	North 24 Parganas	636580	759474	527250	619295
84.	Tamluk Rajbati, West Bengal	Purba Medinipur	710759	619459	708683	231840
85.	Old Temple at Banda	Purulia	2386593	384384	183524	140673

Contents Page

86.	Temple at Jhater Deul	South 24 Parganas	228189	438005	173194	401633
87.	Cooch Behar Palace	Cooch Behar	15445091	3458167	5965184	11305707
88.	Rajpat Site	Cooch Behar	584435	375614	910150	6498545
89.	Tomb of Alexander-Cosma de Koros	Darjeeling	118110	27991	143285	96262
90.	Tomb of General Lloyd	Darjeeling	195206	110313	142588	97752
91.	Mounds	Dinajpur (South)	208577	96285	803241	5586895
92.	Dargah of Shah Ata	Dinajpur (South)	180047	142515	836527	743136
93.	Baisgazi Wall	Malda	806841	263026	209906	189104
94.	Baraduary Masjid or the Great Golden Mosque	Malda	4218685	803320	545443	1035370
95.	Bhita of Chand Sadagar	Malda	634544	564830	215324	412218
96.	Chamkatti Masjid	Malda	673630	550169	927751	609642
97.	Chika Masjid	Malda	1031615	973522	1905209	1693614
98.	Dakhil Darwaza or the northern Gate of the Fort	Malda	5016755	3101296	971382	978369
99.	Firoz Minar or the tower of Firoz Shab	Malda	521369	458785	742737	1028596
100.	Gunti gateway	Malda	653792	508608	625895	533144
101.	Gunmant Mosque	Malda	831707	970709	1074113	1319339
102.	Kotowali Darwaza	Malda	451277	459975	3896114	817320
103.	Lotton Masjid	Malda	3268049	409275	309609	348055

Contents Page

104.	Lukachuri gateway	Malda	901905	3589452	418701	184280
105.	Qudam Rasul Masjid	Malda	649796	720839	471716	602304
106.	Tomb of Fath Khan	Malda	642745	454777	796637	641003
107.	Tantipara Masjid	Malda	3644524	876294	1091301	1143176
108.	Two tombs in front of Tantipara Masjid	Malda	720964	371584	769393	1296797
109.	Two Stone Pillars	Malda	178635	143971	770194	1332564
110.	The tower of Nimasarai	Malda	148650	177814	762734	650311
111.	Eklakhi Mausoleum	Malda	348767	2977487	1058902	900160
112.	Kutub Shahi Masjid	Malda	325886	2542765	85849	155279
113.	Adina Mosque	Malda	9521711	3650436	1019279	1632448
114.	Tomb of Azimunnessa Begum, daughter of Murshid Kuli Khan	Murshidabad	194140	1492759	848030	974755
115.	Residency Cemetery also known as Station Burial ground	Murshidabad	441101	4375744	441552	281775
116.	Bhavanisvar Mandir	Murshidabad	80002	489369	458177	250596
117.	Char Bangla group of four Siva mandirs	Murshidabad	292813	1507618	3702056	418762
118.	Tomb of Mir Madan	Murshidabad	80003	235246	16956	--
119.	Dutch Cemetery	Murshidabad	80003	345466	504863	227435
120.	Old English Cemetary or the old Residency	Murshidabad	79379	346300	465566	339358

Contents Page

	burial-ground					
121.	Ancient Monument	Murshidabad	153805	401224	32103	--
122.	The tomb and the mosque of Aliverdi Khan and the tomb of Seraj-ud-Dowla	Murshidabad	2381894	4301759	921864	1481903
123.	Hazarduari Palace & Imambara (Murshidabad)	Murshidabad	5444201	14589019	18019971	4382173
124.	South Gate, Kella Nezamat	Murshidabad	75628	314494	257077	101882
125.	Immambara, Kella Nezamat	Murshidabad	1840837	6849814	648920	605235
126.	White Mosque, Kella Nezamat	Murshidabad	96661	1004211	264680	116823
127.	Yellow Mosque with vacant land	Murshidabad	98350	235896	254580	261259
128.	Tripolia Gate, Kella Nizamat	Murshidabad	80004	219189	260755	114102
129.	Nil Kuthi Mound	Murshidabad	153168	415204	33419	--
130.	Motijhil Jama Masjid	Murshidabad	171285	526446	483173	4682942
131.	Two mounds called the Barkona Deul mound	Murshidabad	80002	203783	16956	--
132.	Mounds known as the Devil's Mound and Raja Karna's Palace	Murshidabad	778778	4159677	1744929	971190
133.	Tomb of Sujauddin	Murshidabad	1190050	643050	618359	702677
134.	Tank & Mosque of Murhsid Kuli Khan	Murshidabad	1448343	2175929	905001	1039374
135.	Jahan Kosa Gun	Murshidabad	80002	286339	257795	176225

Contents Page

Annexure-II

Details of footfall and revenue earned from the protected ticketed monuments under Archaeological Survey of India in the State of West Bengal since 2022-23

(Amount in rupees)

Sl. No.	Name of Monument	District	2022-2023		2023-2024		2024-2025		2025-26 (till December, 2025)	
			footfall	Revenue	footfall	Revenue	footfall	Revenue	footfall	Revenue
1	Cooch Bihar Palace	Cooch Behar	608874	15192515	685366	17119905	682704	17050295	478751	11940770
2	Hazarduari Palace	Murshida-bad	911484	22632860	984479	24883725	908899	23141470	640776	16156400
3	Bishnupur Temples	Bankura	186105	4671865	197455	4962641	183663	4645605	118280	2953300
4	Metcalfe Hall	Kolkata	17936	424845	22849	491331	32505	684910	37112	811140

MR. CHAIRMAN: First supplementary; Shri Sukhendu Sekhar Ray.

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Sir, the ancient twin cities of Gaur and Pandua in West Bengal served as the capital of Pala and Sena empires of Bengal for more than 400 years. The place has been mentioned even in our old scriptures. The Archaeological Survey of India maintains 21 monuments, archaeological sites and remains which are situated in Malda district of West Bengal. In the 1930s, the British Government made an aerial survey in the Pandua or Pandunagar area and decided for vigorous excavation, but it has not materialized so far for one reason or the other. There is a similar situation with the Mounds of Dinajpur district, which is also a 2,400 year old fortified city of Devikot, mentioned in our ancient scriptures. It was first excavated by the Calcutta University in 1938. Now, recently, excavation was resumed by the Government, but for some unknown reasons, it has been stopped. Similar situation is with Chandraketugarh, another ancient site of Bengal, which has relevance with the history of Mohenjo Daro and Harappa. Sir, my first supplementary...

MR. CHAIRMAN: You may straightaway come to the question, please.

Contents Page

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Sir, my question to the hon. Minister is whether Government will consider further excavating the ancient sites of Pandua or Pandunagar in Malda district and Mounds of Devikot in Dinajpur in West Bengal.

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT: Sir, excavation is a continuous process और देश में प्रायोरिटीज़ के हिसाब से, उपलब्ध संसाधनों के हिसाब से और उपलब्ध ह्यूमन रिसोर्सेज़ के हिसाब से continuous excavation activity चलती रहती है। मैं सदन के संज्ञान के लिए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि excavation को लेकर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बहुत गंभीर है और पिछले 10 सालों में - यदि मैं उससे पहले के 10 सालों की तुलना करूं, तो लगभग दोगुने से ज्यादा पैसे excavation activity पर खर्च किये गए हैं। यदि राज्य सरकार का सहयोग उचित तरीके से मिलता है, तो निश्चित रूप से excavation activity को पूरा करने में हम सब लोगों को सुविधा भी होती है और हम उसे अधिक गति के साथ कर सकते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में उस पर कब काम किया जाएगा, इस पर टिप्पणी करने के बजाय, मैं यह कहूंगा कि excavation activity continuous process है और इस पर भी हम समानांतर रूप से विचार करते हुए काम करेंगे।

MR. CHAIRMAN: Second supplementary, Shri Sukhendu Sekhar Ray. Please be specific about your question.

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Sir, I would put a pointed question in one line, from his reply. Out of 135 monuments and sites of national importance maintained by the Archaeological Survey of India in West Bengal, entry fees is charged in only four protected monuments and the revenue earned, on an average, per year during the past three years was about four crore rupees. My question is whether the Government will consider charging entry fees for some other sites too, so that maintenance cost is minimized through earnings from entry fee.

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि conservation and maintenance, दोनों का entry fees से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, क्योंकि जितनी भी entry fees collect होती है, वह सारी Consolidated Fund of India में जाती है। जितने सारे conservation and maintenance activities हैं, वे Archaeological survey of India या the Culture Ministry को जो बजेटरी एलोकेशन होता है, उसके माध्यम से होती हैं। इसलिए प्रत्यक्ष रूप से entry fees का इससे कोई संबंध नहीं है। जहां तक conservation activities का प्रश्न है, तो यदि मैं देश में conservation activities के बारे में पिछले 10 सालों की

Contents Page

बात करूं, तो बहुत गंभीरता के साथ काम हुआ है। जहां 2004 से लेकर 2014 तक इस मद में केवल 1,310 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, वहीं पिछले 10 सालों में यह खर्च बढ़ कर 3,713 करोड़ रुपए हुआ है। मैं यह नहीं कहूँगा कि हम 100 per cent सारे conservation activities पर जितनी आवश्यता है, उतना कर पाते हैं, लेकिन फिर भी इसको लेकर पूरे देश भर में एक रुझान और positive attitude देखने को मिला है। देश के corporate sector इसमें साथ में जुड़े, इसके लिए भी हमने योजनाएँ शुरू की हैं और उन पर भी हमें बहुत positive response मिला है। हम NCF के माध्यम से भी conservation activities को priorities करते हैं। मैं विश्वास के साथ इतना अवश्य कह सकता हूँ कि हम कंजर्वेशन की गतिविधियों को आवश्यकता और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर प्राथमिकता के साथ पूरा करते हैं।

MR. CHAIRMAN: Now, third supplementary, Dr. John Brittas.

DR. JOHN BRITTAS: Sir, the Minister talked about the conservation and preservation of the cultural sites. My specific question is that there have been reports about increasing number of attacks on the cultural and heritage sites of minorities, and also there have been demands that even the Taj Mahal's name should be changed to 'Tejo Mahalaya'. Has the Minister taken note of this increased number of attacks on the heritage sites of minorities, and also these calls for change of name of Taj Mahal by certain organisations, and what is the stand of this Government?

SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT: Regarding such types of reports, because law and order and other things like safety and security primarily are the subjects of the State Governments, they do not come to us. And, no such idea of changing any name is under consideration of the Ministry.

MR. CHAIRMAN: Now, fourth supplementary, Shri Ghulam Ali.

श्री गुलाम अली: सर, हम प्राइम मिनिस्टर साहब, मोदी जी और कल्चर मिनिस्टर के बहुत मशकूर हैं कि जम्मू-कश्मीर में एएसआई के द्वारा protected monuments की देख-रेख बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान हमारे जम्मू प्रांत में महाराजा गुलाब सिंह जी के समय का एक पुराना एसएमजीएस अस्पताल और इसके साथ ही रणवीर स्कूल की बिल्डिंग्स की ओर दिलाना चाहता हूँ।

†**جناب غلام علی :** سر، ہم پرائم منسٹر صاحب، مودی جی اور کلچر منسٹر کے بہت مشکور ہیں کہ جموں کشمیر میں اے ایس آئی کے ذریعہ protected monuments کی دیکھ ریکھ بہت اچھے طریقے سے چل رہی ہے۔ میں آپکی

† Transliteration in Urdu script.

Contents Page

وساطت سے مانئیہ منتری جی کا دھیان ہمارے جموں پرانت میں مہاراجہ گلاب سنگھ جی کے وقت کا ایک پرانا ایس ایم جی ایس اسپتال اور اسکے ساتھ ہی رنویر اسکول کی بلڈنگس کی جانب دلانا چاہتا ہوں۔

MR. CHAIRMAN: Please be specific about your question.

श्री गुलाम अली: सर, जम्मू प्रांत का वह अस्पताल बच्चों के लिए और गायनी के लिए specialised है। ये दोनों पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जोकि 1872 में, महाराजा रणवीर सिंह जी के टाइम की बनी हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि क्या एएसआई की देख-रेख में एसएमजीएस हॉस्पिटल की बिल्डिंग और रणवीर स्कूल की बिल्डिंग की modification या repair या expansion करने का कोई विचार है?

†**جناب غلام علی :** سر، جموں پرانت کا وہ اسپتال بچوں کے لیے اور گاینی کے لیے specialised ہے۔ یہ دونوں پرانی بلڈنگس ہیں، جوکہ 1872 میں، مہاراجہ رنویر سنگھ جی کے ٹائم کی بنی ہیں۔ میں آپکے مادھیم سے مانئیہ منتری جی سے پوچھنا چاہتا ہوں، کہ کیا اے ایس آئی کی دیکھ ریکھ میں ایس ایم جی ایس ہاسپٹل کی بلڈنگ اور رنویر اسکول کی بلڈنگ کی modification یا repair یا expansion کرنے کا کوئی وچار ہے؟

श्री सभापति: ऑनरेबल मिनिस्टर।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: माननीय सभापति महोदय, मैं संरक्षण चाहूँगा, क्योंकि प्रश्न बंगाल से संबद्ध है, लेकिन माननीय सदस्य ने जम्मू एंड कश्मीर के दो विशेष monuments या दो विशेष पुरानी बिल्डिंग्स के रख-रखाव के विषय में बात की है। ऐसा है कि एएसआई modification कभी कर नहीं सकती, क्योंकि हम तो धरोहर को ठीक उसी तरह से, जैसी धरोहर थी, ऐतिहासिक रूप से जिस स्थिति में थी, जब वह notified monument बनी, मैं आपने specific जिनके विषय में चर्चा की है, उसके इतर भी general principles की बात कर कहा हूँ, उसमें हम न तो किसी भी तरह का modification करते हैं और न ही allow करते हैं। Even as per the AMASR Act, यह एक्ट का पार्ट है कि उसके 100 मीटर रेडियस में भी हम prohibited area मानते हुए वहाँ रेगुलेट करते हैं कि वहाँ किसी भी तरह का unauthorised construction न हो। यहाँ तक है कि अगर वहाँ किसी भी तरह का repair and maintenance भी होता है, तो उसको भी सरकार की permission और एएसआई के द्वारा एनओसी प्राप्त करके किया जाए। Beyond that prohibited area, further 200 metre, as per Act, वह regulated area है, जिसमें हम permission के बाद में इस तरह के constructions को allow करते हैं, modifications को allow करते हैं। इसलिए किसी भी monument का modification हो या उसका modernisation हो, यह कतई एएसआई में permissible भी नहीं है और संभव भी नहीं है।

MR. CHAIRMAN: Now, fifth supplementary, Shrimati Rajathi.

† Transliteration in Urdu script.

Contents Page

SHRIMATI RAJATHI: Sir, what measures has the Union Government taken to support the rich history of Tamil people, including publication of Keeladi Report and funding preservation and showcase of this rich urban civilisation?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: माननीय सभापति महोदय, इस प्रश्न का जवाब मैं पहले भी इस सदन में दे चुका हूँ। Keezhadi पर जो एक archaeological excavation हुआ था, उस excavation के excavator ने अपनी रिपोर्ट पब्लिकेशन के लिए प्रस्तुत की थी। जो तय परंपरा है, जो प्रचलित परंपरा है और विश्व भर में सब जगह जो प्रचलित परंपरा है, उस रिपोर्ट को एनालाइज करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी ने बैठकर उस पर बात की थी। एक्सपर्ट कमेटी ने उस रिपोर्ट में बहुत सारी कमियों को, जो टेक्निकल कमियां भी थीं, procedural lapses भी थे, उन सबको उदघाटित किया था और उन सबको वापस excavators को भेजा था कि एक बार फिर इसको इस दृष्टिकोण से तय किया जाना चाहिए। उसकी रिपोर्ट आनी अभी शेष है। एक बार रिपोर्ट आने के बाद ही उस पर तय प्रक्रिया और मापदंडों के अनुरूप उसको पब्लिश किया जा सकेगा।

MR. CHAIRMAN: Q. No. 212.

Social security for unorganised workers

*212. SHRI SANDOSH KUMAR P: Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the number of unorganised workers in the country;

(b) the number of unorganised workers protected under social security schemes;

(c) the reasons for huge number of non-protected workers in the unorganised sector; and

(d) whether the Ministry has any plan to initiative any specific programme to provide socialsecurity for all the workers in unorganised sector?

THE MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT (DR. MANSUKH MANDAVIYA): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) As per economic survey 2021-22, the total work force estimated in the informal sector is about 43.99 crore.

Contents Page

India has achieved a historic milestone in the realm of social protection coverage, recording one of the most significant expansions globally. According to the latest data from the International Labour Organization's (ILO) ILOSTAT database, India's social security coverage has increased from 19% in 2015 to 64.3% in 2025. India's expansion in social protection coverage has been enabled by a strong foundation of digital and financial inclusion.

In order to extend social security benefits to the workers in the unorganised sector, the Central Government has launched the eShram Portal on 26.08.2021 for creation of a National Database of Unorganised Workers (NDUW) seeded with Aadhaar. As on date, more than 31 crore unorganised workers have registered on a self-declaration basis in the eShram portal, which facilitates access to various social security and welfare schemes.

Unorganised workers are also being covered under various social security schemes implemented by the Government. Major schemes include the following:

(i) Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan (PM-SYM)

(ii) National Pension Scheme for Traders and Self-Employed Persons (NPS-Traders)

(iii) Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY)

(iv) Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY)

(v) Atal Pension Y oiana (APY)

(vi) Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana (PM-KMY)

(vii) Ayushman Bharat-Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB PM-JAY)

The details of the above schemes are enclosed at **Annexure-I**.

Through these schemes and programmes implemented by different Ministries/Departments, workers in the unorganised sector are provided pension security, life and accident insurance, and health protection.

The Code on Social Security, 2020 has come into force on 21.11.2025 with the objective to consolidate and simplify the existing social security laws into a single

Contents Page

framework and to extend social security coverage to all workers, including organized, unorganized, gig, platform, and self-employed workers, by ensuring universal access to social security benefits, promoting portability of benefits across employments and States, enabling the Central and State Governments to frame appropriate schemes, leveraging technology for efficient delivery, and clearly defining the roles of governments, employers, and aggregators in order to provide comprehensive social protection to the workforce in line with evolving labour market conditions.

In keeping with the Budget Announcement 2024—25 to develop eShram as a One-Stop Solution for unorganised workers to access various social security schemes, the Ministry launched the eShram "One-Stop-Solution" on 21 October 2024. This initiative entails integration of different social security and welfare schemes on a single portal, i.e., eShram, enabling registered workers to access schemes and view benefits availed by them through the portal.

So far, fourteen (14) schemes of different Central Ministries/Departments have been integrated with eShram to extend benefits and access to social security, insurance and skill development programmes to eShram cardholders across the country. These include Pradhan Mantri Street Vendors Atmanirbhar Nidhi (PM SVANidhi), Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY), Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY), Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) (VB-GRAMG), Pradhan Mantri Awas Yojana – Gramin (PMAY-G), Ayushman Bharat – Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY), Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban (PMAY-U), Pradhan Mantri MatsyaSampada Yojana (PMMSY), Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN), One Nation One Ration Card (ONORC) and Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY).

Apart from the above, eShram has linkages with the National Career Service (NCS) for job opportunities, Skill India Digital Hub (SIDH) for skill development, Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan (PM-SYM) for pension benefits and the convergence portal of the Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA). The details of the number of unorganized workers registered on eShram portal and enrolled under various social welfare schemes is enclosed at **Annexure-II**.

Contents Page

Annexure-I

Sl. No.	Details of Schemes	Enrolments
1.	**Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan (PM-SYM)**: A voluntary and contributory pension scheme for unorganised workers aged 18-40 years with monthly income up to Rs. 15,000 The subscriber contributes between Rs. 55 and Rs. 200 per month, depending on the age of entry, and the Government provides an equal matching contribution. The subscriber receives a minimum assured pension of Rs. 3,000 per month after attaining the age of 60 years.	Approx 52.47 lakhs (as on 28.02.2026)
2.	**National Pension Scheme for Traders and Self-Employed Persons (NPS-Traders)**: A pension scheme for shopkeepers, traders and self-employed persons with annual turnover not exceeding Rs. 1.5 crore and aged 18-40 years, providing minimum assured pension of Rs, 3,000 per month after the age of 60 years, with matching contribution by the Government.	Approx 61 thousand (as on 28.02.2026)
3.	**Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY)**: A life insurance scheme providing life cover of Rs. 2 lakh for death due to any cause at a nominal annual premium of Rs. 436.	Approx 26.79 crore (as on 18.02.2026)
4.	**Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY)**: An accident insurance scheme providing Rs. 2 lakh coverage for accidental death or permanent disability and Rs. 1 lakh for partial disability at an annual premium of Rs. 20.	Approx 57 crore (as on 18.02.2026)
5.	**Atal Pension Yojana (APY)**: Atal Pension Yojana was launched on 9th May, 2015, with the objective of creating a universal social security system for all Indians, especially the poor, the under- privileged and the workers in the unorganised sector. Itis open to all citizens of India between 18-40 years of age	Approx 8.84 cr. (as on 28.02.2026)

Contents Page

	having a savings bank account in a bank or post-office. For better targeting of guaranteed pension to unorganised sector workers, an income tax payer shall not be eligible to join APY from 1st October, 2022. The subscriber under APY is required to make a monthly/quarterly/six monthly contribution of an amount determined by the amount of pension chosen and the age of joining the scheme. The subscriber shall receive a government guaranteed minimum pension of Rs 1000 per month, Rs. 2000 per month, Rs. 3000 per month, Rs. 4000 per month or Rs. 5000 per month, after the age of 60 years until death, depending on the contribution chosen.	
6.	**Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana (PM-KMY)**: A voluntary contributory pension scheme for small and marginal farmers aged 18-40 years, providing minimum assured pension of Rs. 3,000 per month after attaining the age of 60 years, with matching contribution by the Government.	Approx 19.92 lakh (as on 09.03.2026)
7.	**Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB PM-JAY)**: A flagship health assurance scheme providing health cover of Rs. 5 lakh per family per year for secondary and tertiary hospitalization to economically vulnerable families, including a large number of workers from the unorganised sector.	Approx 43.60 crore (as on 09.03.2026)

Contents Page

Annexure-II

Details of the number of unorganized workers registered on eShram portal and enrolled under various social welfare schemes as on 09th March, 2026

S.No.	Schemes	Enrolments
1.	One Nation One Ration Card (ONORC)	24,31,62,820
2.	Pradhan Mantri Street Vendors AtmanirbharNidhi (PMSVANidhi)	32,54,287
3.	Viksit Bharat-Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) (VB-G RAM G)	6,18,95,941
4.	Pradhan Mantri AwasYojana – Gramin (PMAY-G)	98,27,430
5.	Indira Gandhi National Disability Pension Scheme (IGNDPS)	1,67,691
6.	Indira Gandhi National Widow Pension Scheme (IGNWPS)	11,73,899
7.	Pradhan Mantri AwasYojana – Urban (PMAY-U)	24,90,348
8.	Pradhan Mantri MatsyaSampadaYojana (PMMSY)	23,905
9.	Pradhan Mantri JeevanJyotiBimaYojana (PMJJBY)	2,25,52,084
10.	Pradhan Mantri Suraksha BimaYojana (PMSBY)	8,51,79,093
11.	Ayushman Bharat – Pradhan Mantri Jan ArogyaYojana (AB-PMJAY)	15,10,06,017
12.	Pradhan Mantri KisanSammanNidhi (PM-KISAN)	3,95,63,036
13.	Pradhan Mantri MatruVandnaYojana (PMMVY)	31,83,241

MR. CHAIRMAN: First supplementary, Shri Sandosh Kumar P.

SHRI SANDOSH KUMAR P: Sir, I have carefully gone through the answers furnished by the Minister. I think, he is providing inaccurate data to the House, which is based on the year 2021-22, after which we witnessed disruptions in the informal economy and a boom in gig economy. How can you explain the vastness of this unorganized sector by providing five year old data? Moreover, we have the e-Shram portal. What

Contents Page

mechanism do you have to ensure that all domestic and home-based workers get themselves registered on this portal?

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

डा. मनसुख मांडविया: चेयरमैन सर, माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में कहा है कि उत्तर भ्रमित करने वाला है। उत्तर बिल्कुल भ्रमित करने वाला नहीं है। उत्तर स्वयं स्पष्ट है। देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़े, सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित हो, उसके लिए हमारी सरकार अग्रता से काम कर रही है। माननीय सदस्य का प्रश्न का मूल उद्देश्य यह था कि देश में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के कितने वर्कर्स हैं, जो असुरक्षित हैं। मैं उसका उत्तर आपके द्वारा माननीय सदस्य को देना चाहूँगा। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के पहले तो कोई रजिस्ट्री ही नहीं थी। हमारी सरकार ने ई-श्रम पोर्टल बनाया और आज 31 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के श्रमिकों ने स्वयं अपना एनरोलमेंट उसमें कराया है। उसमें हमने कई विवरण इकट्ठा किए हैं। जैसे, किन-किन सेक्टर्स में कौन-कौन काम करता है, वह भी उसमें सुनिश्चित है और उनके आधार पर सोशल सिक्योरिटी की जो अलग-अलग स्कीम है, उसके साथ उनको जोड़ा जा रहा है। उसका नतीजा यह निकला है कि देश में सोशल सिक्योरिटी का कवरेज बढ़ता जा रहा है। उसके लिए आप मेरे पर या सरकार पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि आपका यह स्वभाव भी है, नेचर भी है, कार्यशैली भी है, लेकिन आईएलओ ने कहा कि 2019 में भारत में 19 परसेंट लोगों को सोशल सिक्योरिटी कवरेज था। लास्ट ईयर में आईएलओ ने भारतीय डेटा का एनालिसिस करके कहा कि एक दशक में सोशल सिक्योरिटी कवरेज बढ़कर 64 परसेंट हुआ है। यानी कि देश के 94 करोड़ लोगों को मोदी गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी कवरेज देने में सक्सेस रही है। सोशल सिक्योरिटी के प्रति मोदी गवर्नमेंट का यह कमिटमेंट है।

MR. CHAIRMAN: Second supplementary, Shri Sandosh Kumar P.

SHRI SANDOSH KUMAR P: Sir, my first question was related to the inaccuracy of data. Instead of answering to that particular question, the Minister has explained the same answer, which has been furnished to us. Kindly note this point. My second supplementary is about the distress migration, which is a reality in India. I would like to know from which Indian State, the migrant workers are going out of the State. Is it Bihar or Uttar Pradesh? I would like to know the name of the State. Secondly, how are you ensuring payment of minimum wage to the workers? Now, when the MGNREGA has practically stopped and the VB-G RAM G has not yet been notified by the Government, I fear that more and more distress migration will be taking place in the coming days. How are you going to tackle this issue?

डा. मनसुख मांडविया: माननीय सदस्य की चिंता को मैं संबद्ध करता हूँ। यह देश विशाल देश है — 1.4 बिलियन, यानी 140 करोड़ की जनसंख्या है। इस देश में डाइवर्सिटी है। कहीं पर एक

Contents Page

प्रकार का बिजनेस है, कहीं एक प्रकार की इंडस्ट्रीज हैं, और कहीं दूसरे प्रकार की इंडस्ट्रीज हैं। माइग्रेशन दो-तीन प्रकार के होते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी माइग्रेशन होते हैं और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी माइग्रेशन होते हैं, तो इसी स्थिति में जो हमारे वर्कर्स माइग्रेट होकर जहाँ काम करने के लिए जाते थे, उनकी कोई रजिस्ट्री नहीं थी और किसी को पता भी नहीं था, लेकिन ई-श्रम पोर्टल में हमने प्रावधान किया है कि कोई वर्कर किसी जगह पर जाए, तो वहाँ भी उसकी काउंटिंग हो और वहाँ वह रजिस्ट्रेशन करा सके कि मैं आज बिहार से तमिलनाडु काम करने के लिए गया हूँ, तमिलनाडु से ओडिशा काम करने के लिए गया हूँ, या ओडिशा से गुजरात काम करने के लिए गया हूँ। जहाँ भी वह जाए, वहाँ रजिस्ट्रेशन करा सकता है।

दूसरा, वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत ऐसी कई स्कीमों की पोर्टेबिलिटी की गई है, ताकि उसे वहाँ भी उसका लाभ मिले। माननीय सदस्य ने यह भी चिंता व्यक्त की कि उसका मिनिमम वेज का क्या होगा? यह बात सही है कि भारत सरकार आज तक एक एडवाइजरी के रूप में मिनिमम वेज तय करती थी, लेकिन अब लेबर कोड लागू हो चुका है। लेबर कोड में फ्लोर वेज की बात की गई है। पहले मिनिमम वेज को कोई स्टेट गवर्नमेंट माने या न माने, उसकी कोई लीगल बैकिंग नहीं थी, लेकिन अब लेबर कोड में यह प्रावधान किया गया है कि देश में एक फ्लोर वेज तय किया जाएगा। फ्लोर वेज से ऊपर स्टेट रख सकता है, लेकिन उसके नीचे कोई नहीं रख पाएगा, ताकि हमारे देश के वर्कर्स को वेतन की सिक्योरिटी मिले। इस दिशा में मोदी सरकार ने काम किया है।

MR. CHAIRMAN: Third Supplementary, Shri Deepak Prakash.

श्री दीपक प्रकाश: सभापति महोदय, असंगठित श्रमिकों के बेहतर रोजगार, न्यूनतम वेतन तथा सामाजिक सुरक्षा के लिए बेहतर और सटीक डेटा की ज़रूरत पड़ती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि बेहतर और सटीक डेटा बनाने के लिए क्या इनके पास कोई कार्य योजना है? अगर है तो क्या है?

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

डा. मनसुख मांडविया: महोदय, यह सही बात है कि समय डेटा का है। जिस देश के पास जितना डेटा रोबस्ट होगा और उस डेटा को मेटा डेटा के रूप में इंटीग्रेट किया जाएगा और एआई का उपयोग करके उसका analysis किया जाएगा, तो मैं मानता हूँ कि उसके लिए हमें कोई स्कीम बनाना है। कोई वर्कर हो, उसे क्या लाभ मिल रहा है, क्या लाभ नहीं मिल रहा है, कौन सी स्कीम मिल रही है, कौन सी नहीं मिल रही है — यह सब auto mode में, as a database analyse हो सके। इसलिए डेटा बहुत जरूरी है। इसी कारण हमारी सरकार ने ई-श्रम पोर्टल का निर्माण किया। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य यह है कि इसमें अनऑर्गनाइज्ड और ऑर्गनाइज्ड सेक्टर के सभी वर्कर्स की एक repository तैयार हो। कौन क्या काम करता है? कौन किस काम से जुड़ा है? कौन सरकार की स्कीम का लाभ ले रहा है और कौन स्कीम का लाभ नहीं ले रहा है। यदि किसी को स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है, तो सिस्टम ही उसे बताए कि आप इस स्कीम के लिए पात्र हैं और

Contents Page

आप अप्लाई करके सोशल सिक्योरिटी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार डेटा इंटीग्रेशन करने की कोशिश हमारी सरकार ने की है। इसके लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी और डेटा का उपयोग किया जा रहा है। आज हम जहाँ तक पहुँचे हैं, कल यह पुराना हो जाएगा। कल हमें इससे भी आगे बढ़ना होगा। हमारा प्रयास है कि डेटा इंटीग्रेशन और मेटा डेटा के माध्यम से हम देश के श्रमिकों के कल्याण की दिशा में अच्छी तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे।

MR. CHAIRMAN: Fourth Supplementary, Prof. Manoj Kumar Jha.

प्रो. मनोज कुमार झाः सभापति महोदय, सवाल से पूर्व एक पीड़ा व्यक्त करना चाहूंगा। एक इंटरनल कॉलोनियलिज्म का भी डेवलपमेंट थ्योरी में है। कभी-कभी बहुत पीड़ा होती है कि हम बिहार वालों के हिस्से में ट्रेन आती है और निवेश किसी अन्य दो राज्यों में चला जाता है। बहरहाल, माननीय मंत्री महोदय से मेरा एक सीधा सा सवाल है और वह सवाल है गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के बारे में। इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। सदन में भी इस पर चर्चा हुई है और मैंने स्वयं भी इस विषय पर अपनी बातें रखी हैं। क्या उनके दृष्टिकोण से, क्योंकि आप ILO coverage का आंकड़ा दे रहे थे। It does not speak about sub-stats. उसकी कवरेज का नेचर क्या है? How valid is it? महोदय, कवरेज की परसेंटेज बढ़ना - मैं समझता हूं कि यह स्टैटिस्टिक्स का एक सरल गेम है, इसलिए जहाँ gig and platform workers की protection foolproof हो, उस दिशा में माननीय मंत्री महोदय कौन-सी कार्य योजना पर आगे बढ़ रहे हैं? सभापति महोदय, सदन में अपना प्रश्न पूछने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

डा. मनसुख मांडवियाः सभापति महोदय, मनोज भाई हमारे मित्र हैं और उन्होंने कहा है कि मैं मंत्री जी से सीधा क्वेश्चन पूछता हूँ, तो मैं भी माननीय सदस्य को सीधा रिप्लाई देता हूँ कि आज तक दुनिया में gig and platform workers की definition fix नहीं हुई थी, लेकिन भारत ने पहली बार gig and platform workers के लिए definition तैयार की, उनके लिए new Labour Code में प्रावधान तय किया। महोदय, new Labour Code में यह भी सुनिश्चित किया गया कि gig and platform workers को identify करके उन्हें social security कैसे दी जाए - दुनिया में इस बात को तय करने वाला यदि कोई देश है, तो वह भारत है। महोदय, अपने पहले कानूनी प्रावधान से gig workers को रिकॉग्नाइज करके उसकी डेफिनेशन तय करने वाला देश भारत है। ...(**व्यवधान**)... आईएलओ ने भी इसकी सराहना की है। महोदय, मैं तो भारत को आईएलओ में रिप्रेजेंट करता हूं, उन्होंने भी इसकी सराहना की। आईएलओ ने भी कहा कि भारत जो कर रहा है, वह बहुत उचित है। कई कमिटी भी बनाई गईं और भारत का मार्गदर्शन भी लिया गया, ताकि भविष्य में दुनिया में और देश ...(**व्यवधान**)...

श्री जयराम रमेशः राजस्थान और कर्णाटक में किया था। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please let him answer.

Contents Page

डा. मनसुख मांडविया: जयराम रमेश जी, किया होगा, तो अच्छा होगा, गलत नहीं है। भारत को दुनिया में जो रिकॉग्निशन मिला है, मैं तो उसके बारे में बता रहा हूँ। यह हम सबके लिए गौरव की बात है कि भारत ने उसके लिए एक प्रयास किया, मेहनत की और उसे कानूनी दर्जा दिया। इसको कानूनी दर्जा देने वाला देश भारत है।

MR. CHAIRMAN: Fifth supplementary. Shri Ram Chander Jangra.

श्री रामचंद्र जांगड़ा: सभापति महोदय, हमारे हरियाणा प्रदेश में, राखीगढ़ी में 8 हज़ार साल पुरानी हड़प्पाकालीन खुदाई चल रही है, जिसमें ईटें निकल रही हैं। उनको टकराते हैं तो ऐसे लगता है जैसे लोहा टकराता है। उनमें से ऐसी आवाज़ें आती हैं। इससे यह विदित होता है कि हमारे कुम्हार की ईंट पकाने की टेक्नोलॉजी कितनी उन्नत थी। मान्यवर, इस कम्युनिटी के सामने एक समस्या है। जैसे शुगर मिल चार-पाँच महीने चलती है, तब भी ऑफ सीजन में उसके वर्कर्स को तनख्वाह मिलती है, चाहे आधी ही मिलती हो, लेकिन वह और काम भी कर सकता है। लेकिन बरसात के दिनों में सारे भट्ठे बंद हो जाते हैं और कुम्हार ईंट पकाने वाले पूरे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का सबसे बड़ा सेक्शन है। उस ऑफ सीजन में वह क्या करे, उसके बच्चे कहाँ से रोटी खाएँ? क्या उसके लिए सरकार ऐसा कोई मैकेनिज्म तैयार करेगी कि ऑफ सीजन में भी भट्ठे पर काम करने वाले असंगठित मजदूर क्षेत्र को वेतन मिलता रहे? मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ।

डा. मनसुख मांडविया: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि लोगों को ऑफ सीजन में भी काम मिले – इसके लिए मैं क्या जवाब दूँ? मोदी जी ने सुनिश्चित किया है कि वीबी - जी राम जी के तहत जब ऑफ सीजन होगा, तब भी उसको 125 दिन के लिए काम की गारंटी मिलेगी महोदय, मोदी जी ने इतने दिनों के काम की गारंटी दी है।

MR. CHAIRMAN: Q.No.213.

National Mission on Libraries

#*213. DR. DINESH SHARMA: Will the Minister of CULTURE be pleased to state:

(a) the status of implementation of National Mission on Libraries, including the number of libraries upgraded and digitized during the last three years, State-wise;

(b) the status of modernization of public library infrastructure, along with the details of major reforms undertaken to expand digital access through national platforms and for capacity building of library professionals;

Original notice of the question was received in Hindi.

Contents Page

(c) the details of improvements made in public accessibility, utilization and preservation of knowledge resources, State-wise; and

(d) whether the impact of reforms under the Mission has been assessed in terms of accessibility, utility and long-term sustainability and if so, the details thereof?

THE MINISTER OF CULTURE AND TOURISM (SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) The Ministry of Culture through National Mission on Libraries (NML) Scheme, under its 'Setting up of NML Model Library' component, provides financial assistance to one State Central Library and one District Library in each State /UT on the recommendation of the State Authorities concerned and 6 Libraries identified by Ministry of Culture. The financial assistance is provided for i) Up-gradation of Infrastructure, ii) Modernization of Technology & Modernization of Services, iii) Creation of Facilities for Specially abled users and iv) Subscription of E-journals/E-books for selected Libraries under NML, v) Network Connectivity for District Libraries, vi) Procurement of Reading resources and Advocacy & Outreach programs etc. The details of financial assistance provided to State /UT under NML during the last three years are given at **Annexure-A.**

The Indian Culture Portal (ICP) provides a unified digital platform offering access to diverse cultural and knowledge resources from across the country by enabling online access to curated and original content. It promotes and showcases both the tangible and intangible cultural heritage of India through various categories which include manuscripts, museum artifacts, paintings, archival photographs, food and culture, musical instruments of India, archival documents, social practices, rituals, and festivals, Oral traditions and expressions and rare books, etc. These details are provided for every region of India and from Indus Valley Civilization to the present.

The Capacity Building Programmes (CBP) are also organized under the NML across the Country to provide training to library professionals of all States/UTs. Till date 54 number of CBP have been organized and 2465 library professional have been trained.

Contents Page

An evaluation of NML has been carried out by Quality Council of India and the Report was submitted in November, 2025. As per QCI Report, the National Mission on Libraries remains a significant intervention for India's transition into a knowledge-based society. It has contributed to digital access, infrastructure upgrades, and staff capacity building.

Annexure-A

State wise details of funds released under NML Model Library Scheme

Sl. No.	State	No. of the Library	Total Released (from 01.04.2022 to 31.03.2025) (Rs. in lakhs)
1	Arunachal Pradesh	1	18.58
2	Andaman & Nicobar	2	310.00
3	Bihar	2	67.71
4	Chandigarh	2	247.22
5	Chhattisgarh	1	51.05
6	Goa	1	8.05
7	Gujarat	1	87.00
8	Haryana	2	168.85
9	Himachal Pradesh	2	154.67
10	Jammu and Kashmir	2	132.50
11	Karnataka	2	40.71
13	Kerala	2	64.26
14	Lakshadweep	2	115.64
15	Madhya Pradesh	1	9.69
16	Manipur	2	46.25
17	Meghalaya	2	100.00
18	Pondicherry	1	10.05
19	Sikkim	2	303.78
20	Telangana	1	17.82
21	Tripura	2	40.97
22	Uttarakhand	1	50.00

MR. CHAIRMAN: First supplementary Dr. Dinesh Sharma. Please be specific, Sharma *ji*.

Contents Page

डा. दिनेश शर्माः सभापति जी, मैं बिंदुवार बिल्कुल स्पेसिफिक प्रश्न पूछ लेता हूँ। क्या Koha जैसी लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर के उपयोग में कर्मचारी को प्रशिक्षित करने के लिए राजा राममोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन के माध्यम से अन्य राज्यों में आयोजित किए गए विशेष पाँच दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम पिछले दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में आयोजित किए गए? यदि हाँ, तो अब तक उत्तर प्रदेश के कितने पुस्तकालय पेशेवरों को प्रशिक्षित किया गया? महोदय, इसी प्रश्न में अंतर्निहित है कि क्या माननीय मंत्री महोदय के संज्ञान में यह बात है कि जो पुरानी पांडुलिपियाँ, संस्कृत पांडुलिपियाँ डिजिटाइज करने का कार्य आपके मंत्रालय में शुरू हुआ है, इंडियन कल्चर पोर्टल के माध्यम से, उसे सुलभ कराने के लिए, एक इसी प्रकार का एआई के तरीके से एसआई - जो कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) है, उसी तरह सनातन बुद्धिमता (एसआई) का प्रारंभ उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों ने किया है, जिसमें 10 हजार वर्षों की जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं। पांडुलिपियों के आधार पर, प्राचीन ग्रंथों के आधार पर और पूरे विश्व से कलेक्ट की गई भारतीय संस्कृत के आधार पर उसको एसआई में दिया गया है, जबकि एआई में 2000 तक का है। इसमें 10 हजार वर्षों तक की विभिन्न प्रकार की जानकारियां उपलब्ध हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उसको बढ़ावा देने या उसको मान्यता और सहयोग देने पर विचार करेगी

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर प्रश्न खड़ा किया है। माननीय सभापति महोदय, लाइब्रेरीज़ संविधान के आर्टिकल 246 के तहत स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। रिस्पेक्टिव स्टेट्स को उन लाइब्रेरीज़ के रख-रखाव के लिए, लाइब्रेरीज़ के निर्माण के लिए, विकास के लिए, लाइब्रेरी एटमॉस्फियर को बनाने के लिए काम करना होता है। भारत सरकार राजा राममोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन के तहत, जो कल्चर मंत्रालय के अधीन एक ऑटोनोमस बॉडी है, लाइब्रेरीज़ के अपग्रेडेशन के लिए, उनके रिस्टोरेशन के लिए, उनके फर्नीचर और इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए काम करती है। इसके साथ-साथ कैपेसिटी बिल्डिंग का काम भी राजा राममोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन के माध्यम से ही होता है।

माननीय सदस्य ने जो जानना चाहा है, मैं उसके जवाब में पूरे देश की स्थिति बताते हुए, माननीय सदस्य का जो उत्तर प्रदेश का विषय है, वह सदन के सामने रखना चाहता हूँ। देश भर में इस तरह की सॉफ्ट स्किल एन्हांसमेंट के लिए जो कार्यक्रम लिए गए और उनमें कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो वर्कशॉप की गईं, कुल मिलाकर देश भर में ऐसे 54 प्रोग्राम किए गए, जिनमें से चार उत्तर प्रदेश में हुए। हमने उत्तर प्रदेश के 190 लोगों को डिफरेंट सेमिनार, वर्कशॉप्स के माध्यम से उनकी सॉफ्ट स्किल अपग्रेडेशन के लिए ट्रेन किया। माननीय सदस्य ने पांडुलिपियों के डिजिटाइजेशन की बात की है। मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहता हूँ कि वह हमारी बहुत बड़ी ऐतिहासिक धरोहर है। माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में उसे ज्ञान भारतम मिशन नाम देकर, हम अपनी पांडुलिपियों का डिजिटाइजेशन मिशन मोड में करें, इसकी रचना की गई है। इस कल्पना में डिजिटाइजेशन का अभिप्राय केवल उसकी डिजिटल कॉपियाँ, डिजिटल वर्ज़न बनाकर स्टोर करना नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि उन्हें किस तरह से कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में लेकर आएं, ताकि उन्हें एआई का उपयोग करते हुए विभिन्न भाषाओं में आसानी

Contents Page

से ट्रांसलिटरेट किया जा सके। इसे पूरा करने के लिए हम पूरी गति के साथ काम कर रहे हैं। हमने देश और दुनिया के सारे एक्सपर्ट्स को बुलाकर, उनके साथ तीन दिन की कार्यशाला की थी। हम उनके साथ बैठे थे। हमने इस पर देश भर के तकनीकी विशेषज्ञों के साथ चर्चा की थी। माननीय प्रधान मंत्री जी ने इसे गम्भीरता से लेते हुए, जो डिफरेंट सब-ग्रुप्स ने इस पर अपने रोडमैप बनाए थे, अपनी तरफ से दिशा-निर्देश दिए थे और उन्हें तीन घंटे स्वयं उपस्थित रहकर सुना था। उन रेकमेंडेशन्स के आधार पर हमने उस पर काम करना शुरू किया है। इस तरह की सारी उपलब्ध टेक्नोलॉजीज़ को इंटीग्रेट करके, हम साथ मिलकर उन पर काम कर रहे हैं। माननीय सदस्य द्वारा जो विषय संज्ञान में लाया गया है, उन्होंने जिस एसआई की बात की है, हम उस एसआई डेवलप करने वाले लोगों के साथ भी सामंजस्य स्थापित करके इस दिशा में काम कर रहे हैं।

श्री सभापतिः सेकेंड सप्लीमेंट्री, डा. दिनेश शर्मा जी।

डा. दिनेश शर्माः मेरी माननीय मंत्री जी से ऐसी अपेक्षा है कि क्या मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि उत्तर प्रदेश की 22,700 ग्राम पंचायतों में डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करने के मिशन के साथ विभाग सहयोग कर रहा है कि वे नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया पोर्टल के साथ एकीकृत हों? यदि हाँ, तो संबंधित एकीकरण के लिए क्या तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है? क्या राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन ने वाराणसी में हाल ही में स्थापित 356 ग्रामीण पुस्तकालयों को प्रतियोगी परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए डिजिटल संसाधन संग्रह करने के लिए कोई विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ग्रामीण केंद्रों को प्रदान किए गए संसाधनों का विवरण क्या है?

श्री सभापतिः माननीय मंत्री जी।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः माननीय सभापति महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ। एक ही सप्लीमेंट्री क्वेश्चन्स में ए, बी, सी, डी करके कई सारे क्वेश्चन्स पूछे गए हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले सप्लीमेंट्री प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि लाइब्रेरीज़ बेसिकली स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। स्टेट्स को इस पर प्राथमिकता से काम करना है। माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है, तो मैं इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि भारत के म्यूजियम्स, भारत की लाइब्रेरीज़, भारत की पुरा सम्पदा और भारत की आर्काइव्स में रखी हुईं हमारी पुरातात्विक महत्व की संपत्तियां, इन सबका डिजिटल वर्जन हमारे इतिहास से रिलेटेड है, हमारे साहित्य से रिलेटेड है, हमारी कला से रिलेटेड है, हमारी पुरानी सम्पदा से रिलेटेड है। इन सब को हम वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर एक्जिबिट कर सकें, इसे लेकर इंडिया कल्चर पोर्टल बनाने की कल्पना की गई थी। दिसम्बर, 2019 को जब इस कल्चर पोर्टल को बनाया गया था, तब से लेकर इस पर लगातार लोगों की रुचि भी बढ़ती रही है। अभी हाल ही में पिछले महीने की 5 तारीख को हमने इसका वर्ज़न 2 लॉन्च किया है, जिसको हमने आधुनिक तकनीकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि सबसे इक्विप किया है। सभी भारतीय भाषाओं में इसको देखा और पढ़ा जा सके। इस दृष्टिकोण से भाषिणी, जो भारत का निर्मित transliteration platform है, इसके साथ इसको अलाइन किया गया है, ताकि 22 भाषाओं में इसको सीधे प्रत्यक्ष रूप से लोग पढ़ कर, देख कर इसमें जो कुछ एंट्रीज हैं, उनसे उनको जान

Contents Page

सकें और उनके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकें। मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि अब तक 57 लाख ऐसे pieces and pages इस इंडियन कल्चर पोर्टल पर हमने अपलोड किए हैं। 2 करोड़, 11 लाख विजिटर्स ने अब तक इसको विजिट किया है। निश्चित रूप से इसको भाषिणी के साथ अलाइन कर दिया गया है, इसके ऊपर निरंतर रुझान बढ़ता जा रहा है। माननीय सदस्य ने जानना चाहा था कि क्या हम इसको उत्तर प्रदेश की गांव की लाइब्रेरी के साथ अलाइन कर रहे हैं या नहीं? इस संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि that is an open access platform और उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। हमने मॉडल लाइब्रेरीज नेशनल लाइब्रेरी मिशन के तहत बनाई हैं। इसमें राज्य की एक सेंट्रल लाइब्रेरी को और एक डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी को as a model library डेवलप करने के लिए हमने संसाधन उपलब्ध कराए हैं। उन संसाधनों से हमने देश में ऐसी लगभग 67 मॉडल लाइब्रेरीज क्रिएट की हैं। उसके आधार पर राज्य सरकार अपने इनिशिएटिव लेकर इस तरह के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अपने यहां लाइब्रेरीज को उपलब्ध कराएं। राजा राममोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन के माध्यम से विभिन्न मैचिंग और नॉन-मैचिंग ग्रांट के तहत कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। उनको अवेल करके राज्य सरकार अगर उस पर काम करती है, तो निश्चित रूप से इस तरह की व्यवस्था खड़ी की जा सकती है। मैं यह कहूंगा कि इसके लिए आज के समय में किसी तरह का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से सरकार काम कर रही है और माननीय सिंधिया साहब यहां बैठे हैं, आज देश में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन्स भी हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ता डेटा भी भारत में उपलब्ध है। आज बच्चे इंडियन कल्चर पोर्टल को अपने घर में बैठकर भी अपनी सहूलियत के हिसाब से एक्सेस कर सकते हैं। उसके ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। एनएमएल के तहत हमने फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की है, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार को भी हमने पिछले वर्षों में उसके लिए लगभग 2 करोड़ दिया है, ताकि वे अपनी लाइब्रेरीज को धीरे-धीरे और अधिक इक्विप कर सकें।

MR. CHAIRMAN: Third supplementary, Shri Imran Pratapgarhi.

श्री इमरान प्रतापगढ़ी: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय संस्कृति मंत्री जी से एक बहुत जरूरी सवाल पूछना चाहता हूं। यह लाइब्रेरी से जुड़ा नहीं है, लेकिन संस्कृति मंत्रालय से जुड़ा है, चूंकि आस पास तीनों प्रश्न एक जैसे लगे हुए हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि पिछले दिनों दिल्ली के भारत मंडपम में, एक संस्था है, जिसका नाम सनातन संस्था है, उसने एक कार्यक्रम आयोजित किया। क्या इसके लिए संस्कृति मंत्रालय ने 63 लाख रुपये की सहायता दी, जबकि उस संस्था पर गौरी लंकेश और एमएम कलबुर्गी की हत्या के आरोप हैं और उसकी जांच कर्णाटक पुलिस कर रही है? मेरा सवाल है कि क्या 63 लाख रुपये दिए गए?...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please come to your specific question. ...*(Interruptions)*... You are giving a big lecture. ...*(Interruptions)*...

श्री इमरान प्रतापगढ़ी: यह मेरा सीधा-सीधा सवाल मंत्री जी से है। ...(**व्यवधान**)...

Contents Page

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः माननीय सभापति महोदय, यह प्रश्न मूल प्रश्न से बिल्कुल भी सम्बद्ध नहीं है। यदि माननीय सदस्य को इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए, तो वे अलग से इसके बारे में चर्चा करें। मैं उनको सारी जानकारी दूंगा। मूल प्रश्न से यह सम्बद्ध नहीं है, इसलिए मैं इसका उत्तर यहां नहीं दे रहा हूं।

MR. CHAIRMAN: Dr. V. Sivadasan.

DR. V. SIVADASAN: Sir, the data given by the Minister in this House shows that only Rs.7 crore is the last year's expense for the National Library Mission. It is only Rs.7 crore! They have given only Rs.64.26 lakh for the last three years' assistance to Kerala through this Mission. Here, in India, a lot of reports have suggested minimum one library for thousand people. This is our ambition but the situation is very worse in India. Thousands of villages in India do not have libraries. The Union Government is providing the allocated amount for the libraries and it is very less amount which they are providing. It is not sufficient to establish and expand the libraries in villages. My question is whether the Government of India has any plan to increase the financial assistance for building libraries and for arranging physical books, providing digital space for reading and writing for students and entire people of the society. What is the stand of the Government on the financial assistance to the State? I would like to know whether the Government is ready to provide money to the State. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: The question is over! Hon. Minister, please.

SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT: While answering my first supplementary, I have clearly stated that under Article 246 of Constitution of India, 'library' falls under the State List. The Government of India provides special assistance under National Mission of Libraries to the States to create or upgrade the existing libraries, one as a Central Library, as a State Library and the other one as recommended by the State Government, as a District Library. We extend this support only for two libraries just to create a model library, so that States can learn from them and start creating library infrastructure in their respective States and Union Territories. I would like to request the hon. Member to please impress upon your Government to create a library infrastructure in villages. But, simultaneously, as I have answered in the previous question, we have created an Indian Culture Portal and upgraded the Indian Culture Portal ...*(Interruptions)*...

DR. V. SIVADASAN: Sir, my question is whether the Government is ready...

Contents Page

MR. CHAIRMAN: Dr. Sivadasan*ji*, please take your seat.

SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT: In my reply, I have already stated that we have a limited scope, because it is a State Subject. You please impress upon your State to look into the subject and request them to improve the library infrastructure.

MR. CHAIRMAN: Fifth supplementary, Shriman Satnam Singh Sandhu.

श्री सतनाम सिंह संधू: सर, आपने मुझे सप्लीमेंटरी पूछने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। सर, मेरा सवाल सिख रेफरेंस लाइब्रेरी को लेकर है। यह सिख रेफरेंस लाइब्रेरी 1946 में गोल्डन टेंपल परिसर में एस्टैब्लिश की गई थी। इसमें 20,000 रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स थीं। इनमें हाथ-लिखित ग्रंथ साहिब भी थे और सिख इतिहास, गुरु नानक देव जी से लेकर पूरा इतिहास था। लेकिन जब 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया, जब दरबार साहिब पर हमला किया गया और अकाल तख्त को नुकसान पहुंचाया गया, उस समय सिख रेफरेंस लाइब्रेरी को जलाने का काम किया गया। सर, यह वैसे ही हुआ, जैसे तक्षशिला और नालंदा में हमारा इतिहास जलाया गया था, वहां सिख इतिहास जला दिया गया। गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र, पावन बीड़ जला दी गई। सर, मेरा सवाल है कि क्या डिजिटल रिकवरी प्रोजेक्ट के तहत आज की एआई टेक्निक और मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजिंग के साथ इसकी रिकवरी हो सकती है?

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने एक बहुत ही रेलेवेंट प्रश्न किया है। किसी भी प्राकृतिक आपदा के चलते, मानव सृजित आपदा के चलते या ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत जिस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और इस तरह की संपदा उस समय जल कर खाक हो गई, जलने से उसका नुकसान हुआ, निश्चित रूप से ऐसी सारी चुनौतियों को देखते हुए भारत की इस ऐतिहासिक पुरा संपदा, जिन्हें हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने हजारों साल के अपने विज़डम, अपने ज्ञान, अपने अनुभव के आधार पर सृजित किया था, उन सबको सहेजने, संवारने और चिरस्थायी बनाने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी की प्रेरणा से 'ज्ञान भारतम मिशन' प्रारंभ किया गया है। हम उसमें उपलब्ध टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए उन सबको न केवल कंजर्व करने और प्रिजर्व करने के लिए काम करते हैं, अपितु उनको डिजिटाइज़ करके, इंप्रूव करके अगर हम उनको हॉलिस्टिकली वापस रिक्रिएट कर सकें, इस पर भी हम काम करते हैं। माननीय सदस्य ने यह विषय आज संज्ञान में लाया है, निश्चित रूप से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में माननीय सदस्य से इस विषय पर चर्चा करके कैसे हम इस विषय पर आगे बढ़ सकते हैं, इस विषय को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर विचार-विमर्श किया जा सकता है।

MR. CHAIRMAN: Now, Q. No.214.

Contents Page

Restoration of monuments

*214. DR. ASHOK KUMAR MITTAL: Will the Minister of CULTURE be pleased to state.

(a) the reasons why ASI-managed monuments are deteriorating due to delayed restoration work;

(b) whether staff shortages or insufficient funding have been identified as major causes and if so, the details thereof and if not, what other reasons have been identified therefor;

(c) the reasons why preventive conservation is not being implemented despite repeated audit observations; and

(d) whether the Ministry is addressing misuse of funds meant for structural repairs and preservation, and if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF CULTURE AND TOURISM (SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) There are 3686 centrally protected monuments/sites under the care and maintenance of Archaeological Survey of India (ASI) and there is no monument/site in deteriorating condition due to delayed restoration work.

(b) ASI takes up conservation work of all centrally protected monuments/sites as per the need of the monuments and availability of resources. There is no staff shortage and insufficient funding for conservation of centrally protected monuments.

(c) Preventive conservation is regularly implemented by the field offices. Daily maintenance, general upkeep of monuments, removal of vegetation, etc is regularly carried out to keep the monument presentable and in a good state of preservation.

Contents Page

(d) ASI takes up conservation work as per the approved ACP/Estimate duly approved by the Competent Authority and expenditure is incurred as per the approved ACP/Estimate. Guidelines have been issued to field offices to follow General Financial Rules, Archaeological Works Code, CVC guidelines and any other codal formalities and to maintain transparency.

MR. CHAIRMAN: First supplementary, Dr. Ashok Kumar Mittal.

डा. अशोक कुमार मित्तलः सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि पिछले सप्ताह मुझे इनकी कार्यस्थली और जन्मस्थली जैसलमेर जाने का मौका मिला। मेरी फ्लाइट में इनसे मुलाकात हो गई और इन्होंने मुझे सजेशन दिया कि मैं जैसेलमर फोर्ट जरूर देखकर आऊं। तो सर, मैं उसे देखने गया। वह एक बहुत ही अद्वितीय heritage site है, जहां 5,000 परिवार उसके अंदर रहते हैं। उसमें मंदिर भी है, उसमें महल भी है और उसमें मार्केट्स भी हैं। वहां बड़ी- बड़ी गलियां हैं, जैसे चादनी चौक में हैं, तो वह highly appreciable है। मैं इसके लिए मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे ऐसा मौका दिया।

महोदय, राजस्थान में एक और जगह जयपुर है, जो मंत्री जी के स्टेट में भी है, और मेरा परिवार भी जयपुर से ही आता है और शायद उसको 'वीरभूमि' भी कहते हैं। लेकिन सर, वहां जयपुर में जो डेवलपमेंट हो रहा है, वह बिना सोचे-समझे हो रहा है। उससे जयपुर का जो World Heritage City का status है, वह खतरे में पड़ रहा है। हमारे देश में सिर्फ दो शहर हैं, जिनको World Heritage City का status प्राप्त है - अहमदाबाद और जयपुर।

सर, वर्ष 1991 में जयपुर में तकरीबन 1,200 हवेलियां थीं, जो टूट-फूट कर, कम होकर अब सिर्फ 800 रह गई हैं, यानी उनमें से one-third खत्म हो गई हैं। UNESCO ने 2025 की रिपोर्ट में जयपुर के core zone और buffer zone में हो रहे निर्माण कार्यों को लेकर कड़ी आपत्तियां दर्ज की हैं, जैसे कालूपुर रेलवे प्रोजेक्ट और मेट्रो एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। चूंकि इन प्रोजेक्ट्स का कोई heritage impact assessment नहीं कराया गया, अब UNESCO ने दिसंबर, 2026 की एक सख्त deadline दी है कि यदि ये-ये काम नहीं हुए, तो जयपुर अपना World Heritage City का status lose कर सकता है, खो सकता है। माननीय सर, हमारी इकोनॉमी के लिए..

MR. CHAIRMAN: Mittal*ji*, you are giving a big lecture.

डा. अशोक कुमार मित्तलः नहीं, सर। मैं मंत्री जी के स्टेट की बात कर रहा हूं। मैं तो उनकी तारीफ कर रहा हूं।

MR. CHAIRMAN: If you will give a big lecture, then, he has to give a big lecture in his answer.

डा. अशोक कुमार मित्तलः सर, मैं मंत्री जी की तारीफ कर रहा हूं।

Contents Page

MR. CHAIRMAN: Then we will not be able to complete your question...

डा. अशोक कुमार मित्तल: सर, मैं क्वेश्चन पर आ गया।

MR. CHAIRMAN: You are running an educational institution, you should be very sharp in asking your question.

डा. अशोक कुमार मित्तल: सर, तीन सैशंस के बाद आज मुझे पहली बार सीधा प्रश्न पूछने का मौका मिला है, तो आप मुझे आज इतना तो मौका देंगे।

MR. CHAIRMAN: Please come to the question.

डा. अशोक कुमार मित्तल: सर, हमारी tourism industry हमारी economy के लिए बहुत जरूरी है।

MR. CHAIRMAN: You are yet to come to the question!

डा. अशोक कुमार मित्तल: सर, आ गया। भारत में 42 world heritage sites हैं। भारत का आकार, भारत की diversity, अलग-अलग मौसम, अलग-अलग ऐतिहासिक इमारतें होने के बावजूद, हम international tourists को भारत में attract करने में 20वें नंबर पर हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद, इस मामले में हम 20वें स्थान पर हैं। छोटे-छोटे देश, जैसे- सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, यूएई हमसे आगे हैं। यहां तक कि मकाऊ जैसा शहर भी हमसे आगे है। ...(**व्यवधान**)... सर, मंत्री जी से मेरा प्रश्न यह है कि...

MR. CHAIRMAN: You are supposed to ask the question, but you are giving a big lecture. You have taken 4-5 minutes. Mittal*ji*, this is not good.

डा. अशोक कुमार मित्तल: सर, हो गया। ...(**व्यवधान**)... सर, मंत्री जी से मेरा प्रश्न यह है कि जयपुर का World Heritage City status सुरक्षित रहे, इसके लिए भारत सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है, क्योंकि इसकी deadline दिसंबर, 2026 बहुत ही नजदीक आ रही है।

MR. CHAIRMAN: Is this your question?

डा. अशोक कुमार मित्तल: हां, जी।

MR. CHAIRMAN: You should have come to this first itself.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं।

Contents Page

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, you need not answer to all his speech. You just answer to the last two lines--the question.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने राजस्थान के बारे में, मेरे राज्य के बारे में, उन्होंने कृपापूर्वक जो कुछ शब्द कहे हैं, उसके लिए मैं आभार ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जयपुर का heritage status बना रहे इन्होंने जो कालूपुर रेलवे स्टेशन और मेट्रो रेलवे स्टेशन के expansion को लेकर, उसके सामने जो चुनौती खड़ी की है, मुझे लगता है कि रिपोर्ट पढ़ने में इनसे कहीं चूक हुई है। कालूपुर रेलवे स्टेशन जयपुर में नहीं, अहमदाबाद में बन रहा है। इसके कारण इन्हें कहीं कंफ्यूजन हुआ है। लेकिन निश्चित रूप से राज्य सरकार और देश की सरकार, दोनों को इसे संज्ञान में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि majority of projects के लिए सैंक्शन देना, उनका heritage impact assessment कराना, ये सब राज्य सरकार के तहत आते हैं। लेकिन फिर भी माननीय सदस्य ने विषय संज्ञान में लाया है, तो निश्चित रूप से गंभीरता को देखते हुए इस पर गंभीरता से काम करें, यह बहुत ही आवश्यक भी है। मैं माननीय सदस्य का इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

MR. CHAIRMAN: Second supplementary; only question, please.

डा. अशोक कुमार मित्तल: सर, हम सब जानते हैं, हमारा भारतवर्ष हमारे महान गुरुओं और संतों की धरती है। इसमें हमारे पूज्य श्री गुरु नानक देव जी ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Again, you are going back... ...(*Interruptions*)...

डा. अशोक कुमार मित्तल: सर, यह बड़ा इंपोर्टेंट है। यह देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सर, यह पंजाब और देश के लिए है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please come to your question.

डा. अशोक कुमार मित्तल: सर, क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। आप बाकी जगह भी बैकग्राउंड के लिए मौका देते हैं, इसलिए कृपया मुझे भी दे दीजिए।

MR. CHAIRMAN: Don't look at them! You just come to the question.

डा. अशोक कुमार मित्तल: सर, हमारे पूज्य श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं ने पूरी दुनिया को इंसानियत और भाईचारे का मार्ग सिखाया। हमारे देश में पांच तख्त साहिब हैं और ऐसी ऐतिहासिक गुरुद्वारे तथा धार्मिक स्थल हैं, जिनकी समृद्ध हेरिटेज और इतिहास है। सर, SGPC और दूसरी कार सेवा से जुड़ी संस्थाएँ सिख विरासत को संजोने का बहुत ही पवित्र कार्य कर रही हैं, जो प्रशंसनीय हैं। सर, वर्ष 1511 में उदासी यात्रा के दौरान श्री गुरु नानक देव जी बगदाद गए...

Contents Page

MR. CHAIRMAN: Mittal*ji*, I have to send someone to train you on how to be very precise in your questions.

डा. अशोक कुमार मित्तल: सर, श्री गुरु नानक देव जी इराक में बगदाद गए और वहाँ एक पवित्र ऐतिहासिक स्थल मौजूद है, जो सेकंड वर्ल्ड वार और उसके बाद अमेरिका- इराक वार के दौरान काफी डैमेज हो गया। इसी प्रकार, विदेशों में और भी ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब हैं और सिख धरोहर स्थल हैं, जिनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ...(**व्यवधान**)... मैं सिख धर्म के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप क्यों रोक रहे हैं?

MR. CHAIRMAN: You tell me when you are going to come to your question! Please come to your question.

डा. अशोक कुमार मित्तल: सर, मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिल कर दुनिया भर में मौजूद सिख धरोहर और ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब की पहचान करके उनके रिस्टोरेशन के लिए और साइंटिफिक कंजरर्वेशन के लिए कोई डिप्लोमैटिक इनिशिएटिव लेने पर विचार कर रही है या नहीं? और यदि नहीं, माननीय विदेश मंत्री भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वह इस चीज में पहल करें, ताकि हमारे गुरुद्वारा साहिब से जुड़े पवित्र स्थलों को देश और विदेशों में हम दोबारा पुनर्जीवित कर सकें।

MR. CHAIRMAN: You have made a guinness record in asking the question. I think this is the longest question ever asked in the Parliament!

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: सभापति महोदय, सम्माननीय सदस्य आखिर में प्रश्न पर आ गए, उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण विषय - भारत की धरोहर और भारत के footprint, भारत के cultural footprint, जो पूरी दुनिया में हैं, उनके बारे में चर्चा की है। भारत सरकार एक योजना के तहत भारत के ऐसे सारे cultural footprints, चाहे वे Sikh religion से रिलेटेड हों, चाहे Buddhist religion से रिलेटेड हों या हिंदू धर्म से रिलेटेड हों, इन सबके बारे में एक योजना बना कर उस पर काम करती है। मैं माननीय सदस्य के सिर्फ संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि यह माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार थी कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर, जो सीमा के उस पार है, आज वह भारत के नागरिकों के लिए दर्शन के लिए, सिख बंधुओं के दर्शन के लिए, जो कभी सीमा के इस पार खड़े होकर के दर्शन कर पाते थे, आज उनके लिए उपलब्ध है। मैं माननीय विदेश मंत्री जी का अभिनंदन करते हुए माननीय सदस्य को सिर्फ स्मरण कराना चाहता हूँ, जब अफगानिस्तान में चुनौती आई, तब प्रधान मंत्री जी के मार्गदर्शन में इन्होंने गुरु साहिब का रूप, जो वहाँ अफगानिस्तान में था, उसको वापस भारत में प्रत्यर्पित किया और सह-सम्मान वापस लाकर स्थापित किया। भारत अपनी roots, अपनी cultural roots, अपनी cultural heritage के प्रोटेक्शन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध भी है, काम भी करती है, लेकिन वैश्विक परिदृश्य में सामने खड़ी

Contents Page

चुनौतियों को देखते हुए जो सीमितताएँ हैं, उन सीमितताओं को ध्यान में रखते हुए हम पूरी ताकत से अपनी धरोहर के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Now, third supplementary; Shri Sanjay Yadav.

श्री संजय यादव: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि बिहार में राष्ट्रीय महत्व के 71 स्मारक, पुरातात्विक स्थल और अवशेष घोषित किए गए हैं, लेकिन जब मैं पिछले तीन वर्ष का बजट देख रहा हूँ, तो बिहार को इन पुरातात्विक स्थलों और संरक्षित स्मारकों के संरक्षण के लिए मात्र 30 से 31 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। जब मैंने इसे तुलनात्मक रूप से देखा, तो जो बिहार से छोटे राज्य हैं, जिनमें कम पुरातात्विक और संरक्षित स्मारक और स्थल हैं, उनको अधिक राशि आवंटित की गई है। जैसा कि हर कोई जानता है कि बिहार माता सीता की जन्मस्थली है, गुरु गोबिंद सिंह जी की जन्म स्थली है, महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर की भूमि रही है, बिहार ज्ञान और मोक्ष की धरती है। ...(**व्यवधान**)... आपने बिहार में 71 स्मारकों और स्थलों के लिए जो राशि आवंटित की है, वह पर्याप्त नहीं है। 71 स्थलों के लिए आपको अधिक राशि आवंटित करनी चाहिए। बिहार से जो छोटे राज्य हैं, जहां ऐसे कम स्थल हैं, उनको अधिक राशि क्यों आवंटित की गई है? मेरा यही प्रश्न है, थैंक यू।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, उसका सम्मान करते हुए मैं इतना निवेदन करना चाहता हूँ, मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में भी कहा कि माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार विरासत का संरक्षण और विकास, इस मंत्र के साथ काम कर रही है। आदरणीय खरगे साहब यहां विराजमान हैं। मैं उनके संज्ञान के लिए बताना चाहता हूं कि 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार में कंजर्वेशन एक्टिविटीज और रखरखाव के लिए एएसआई ने जो एक्सपेंडिचर किया था, वह 1,310 करोड़ रुपए का था, जबकि पिछले 10 साल में 3,713 करोड़ रुपए इस पर खर्च किये गये। 1,310 करोड़ versus 3,713 करोड़ में 300 परसेंट की ग्रोथ हुई है।

माननीय सदस्य ने बिहार को लेकर प्रश्न किया है कि कुछ राज्यों में स्थलों के कम नंबर्स होते हुए भी ज्यादा खर्च हुआ। मैं माननीय सदस्य के संज्ञान के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि खर्च और एएसआई की कंजर्वेशन गतिविधियां केवल नंबर ऑफ मॉन्युमेंट्स के आधार पर नहीं होतीं, अपितु वे गतिविधियां आवश्यकता के आधार पर होती हैं। यदि किसी प्रदेश में एक भी मॉन्युमेंट है और उसको अधिक रख-रखाव की जरूरत है, तो उसे pro rata basis पर पैसे देने के बजाय उसका कंजर्वेशन हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इस अप्रोच के साथ एएसआई काम करती है, लेकिन जो एएसआई के मॉन्युमेंट्स हैं, वे सब ठीक से कंजर्व हों, ठीक से प्रिजर्व किए जाएं, उनका रख-रखाव ठीक से हो, उनके चारों तरफ का एंबिएंस ठीक से रखा जा सके, इस पर सरकार गंभीरता के साथ काम करती है, इसलिए केवल नंबर्स के आधार पर यह तुलना करना उचित नहीं है। बिहार के मॉन्युमेंट्स भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जितने जम्मू एंड कश्मीर और देश के अन्य राज्यों के हैं।

Contents Page

MR. CHAIRMAN: Hon. Leader of the Opposition; Shriman Mallikarjun Kharge.

विपक्ष के नेता (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): सर, आपने मुझे चांस दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मंत्री जी मेरा नाम लेकर comparison statement दे रहे थे। ठीक है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने उस डिपार्टमेंट को दो-चार खत लिखे। अमरावती के जो सातवाहन किंग्स थे, उन्होंने बुद्धिज्म को अमरावती से लेकर गुलबर्गा तथा रायचूर तक स्प्रेड किया था। जब मेरी कांस्टिटुएंसी में एक बौद्ध विहार मिला, तब मैंने सोचा कि इसका सर्वे कराया जाए और वह हो गया। उसका सर्वे होने के बाद further excavation करने के लिए मैंने गवर्नमेंट से विनती की, लेकिन अब तक वह नहीं हुआ है। यह विशेषकर बुद्धिस्ट प्लेस के बारे में है, लेकिन हम कुछ बोलते हैं, तो आप लोग एकदम गुस्से में आ जाते हैं। इतिहास में अगर कुछ सत्यता है, अगर वे चीजें भी हम आपके सामने रखते हैं, तब भी आप गुस्से में आ जाते हैं। यह फैक्ट है कि मेरी कांस्टीटुएंसी में नागार्जुन, जो कि अमरावती के आचार्य थे, उन्होंने बुद्धिज्म को बहुत बढ़ावा दिया। उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को monks बनाकर सब तरफ बुद्धिज्म फैलाने का काम किया। खैर, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अलग किया, तो शंकराचार्य जी ने भी अलग किया।

MR. CHAIRMAN: What is your question? What do you want from the Minister?

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Sir, I have already written two to three letters. I want that it should be further excavated. There are a number of Buddhist Monasteries on Bhima River and Krishna River. Those monasteries should be taken care of because they are not being taken care in that area.

MR. CHAIRMAN: So, do you want excavation there?

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Yes, Sir.

MR. CHAIRMAN: Now, hon. Minister.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: He is kind for everybody, but he is not kind towards me.

MR. CHAIRMAN: He is more kind towards you, please.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: How can I go and ask for these things? I can only write letters. Thank you very much.

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, please.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को इस बात के लिए पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि उन्होंने जिन एक्सकेवेशन एक्टिविटीज की बात कही है, उन एक्सकेवेशन

Contents Page

एक्टिविटीज को हम नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएंगे। लेकिन मैं साथ ही माननीय खरगे साहब से अपेक्षा कर रहा था कि जब वे बुद्ध के दर्शन की बात करें, बुद्ध से जुड़े हुए विषयों को लेकर भारत सरकार की गंभीरता के विषय में बात करें, तो वे शायद भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए मेरी पीठ कुछ थपथपाते कि भारत से खुदाई के समय जो पिपरवाह से जूल्स, जो रेलिक्स निकाले गए थे, जिनको अंग्रेजों के समय अंग्रेजों ने दान कर दिया था, जो एक्सकेवेटर था उसको दे दिया था। भारत सरकार की पहल से, माननीय प्रधान मंत्री जी के मार्गदर्शन में और माननीय विदेश मंत्री जी के सहयोग से हम उनको वापस भारत लाने में कामयाब हुए और 127 साल बाद उन्हें री-यूनिफाई कर सके। मैं माननीय खरगे साहब का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने कृपापूर्वक खुद जाकर उसको देखा और उन्होंने एक appreciation के साथ उसका ट्वीट भी किया। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ और मैं सम्मानित सदन के सभी सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूँ कि यह भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसकी पूरे विश्व स्तर पर चर्चा हुई। हम अपनी ढाई हजार साल पुरानी विरासत को, जो 127 साल पहले भारत से बाहर चली गई थी, उसे माननीय प्रधान मंत्री जी के मार्गदर्शन में उनके प्रयास से वापस लेकर आए। हमने उसको किला राय पिथौरा में, कुतुब एन्क्लेव में exhibit किया है। बहुत सुंदर exhibition किया है। उसे लाखों लोगों ने जाकर देखा है। दुनिया के शीर्ष लोगों ने, बुद्धिस्ट वर्ल्ड के लोगों ने उसे appreciate किया है। मैं आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग भी एक-दो घंटे का समय निकालकर वहाँ जाकर देखें। भारत के प्रति गर्व के बोध से आप सब लोग अभिभूत होकर वहाँ से निकलेंगे। यह मैं भरोसे और विश्वास के साथ कह सकता हूँ।

MR. CHAIRMAN: Fifth supplementary; Shrimati Sulata Deo.

SHRIMATI SULATA DEO: Thank you Hon. Chairman, Sir, for the opportunity. मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि जो हमारे ओडिशा के डायमंड ट्राएंगल हैं, बुद्धिस्ट मॉन्युमेंट्स में हैं — वहाँ पर ललितगिरी, रत्नागिरी और उदयगिरी हैं, जहाँ पर अभी कुछ ही दिन पहले सेकेंड पद्मसंभव कॉन्क्लेव हुआ था। वहाँ 18 देशों से डेलीगेट्स भी आए हुए थे। वहां जो तीन मॉन्युमेंट्स हैं, वह जगह थोड़ी-थोड़ी ख़राब भी हो रही है। उनका रेस्टोरेशन और उन्हें किस तरह से संरक्षित किया जाए, क्या उसके लिए कोई स्पेशल पैकेज है?

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: सभापति महोदय, स्पेशल पैकेज किसी विषय को या किसी स्थान को लेकर हो, ऐसा भारत सरकार में प्रावधान नहीं है, लेकिन माननीय सदस्या ने जो तीन स्थानों के बारे में, जो डायमंड ट्रायएंगल की बात की है, वह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में उदयगिरी में एक्सकेवेशन में, पिछले कुछ महीनों पहले ही वहां से भगवान बुद्ध की प्रतिमा का एक बड़ा अवशेष से मिला है। वह एक्सकेवेशन प्रोसेस कंटीन्यूअस चल रहा है। मैं आग्रह करूँगा कि राज्य सरकार यदि उसे एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करने को लेकर यदि वहाँ से कुछ प्रतिवेदन भेजती है, तो भारत सरकार की तय योजनाओं के अंतर्गत उन पर निश्चित रूप से विचार किया जा सकता है। उसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करने के लिए राज्य सरकार

Contents Page

को पहल करनी होगी। माननीय प्रधान मंत्री जी के आशीर्वाद से अभी बजट में घोषणा हुई है कि हम इस तरह की 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स को — माननीय सभापति महोदय, सिर्फ आधे मिनट का समय शेष है, उतने में अपनी बात समाप्त करता हूँ — कि एक्सकेवेशन साइट्स को सामान्यतः साइंटिफिक एक्सकेवेशन के बाद बंद कर दिया जाता था, लेकिन प्रधान मंत्री जी के मार्गदर्शन में वडनगर की एक्सकेवेशन साइट को हमने as an experience centre create किया, और वह experience centre बनने के बाद वहाँ जाने वाले लोगों को अद्भुत अनुभव मिला। उसी के आधार पर इस देश परियोजना को माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में घोषित किया, और उसके तहत हम 15 selected ऐसे archaeological importance की साइट्स को experience centres के रूप में डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं। राज्य सरकार अपनी तरफ से प्रतिवेदन भेजेंगी, तो निश्चित रूप से जो भी सरकार की योजनाएँ हैं, उसके तहत उस पर विचार किया जाएगा।

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet at 2.00 p.m.

[Answers to Starred and Un-starred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part -I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link https://sansad.in/rs/debates/officials *]*

The House then adjourned for lunch at 1.00 p.m.

The House reassembled after lunch at four minutes past two of the clock,

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA) *in the Chair*.]

$DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Further Discussion on the Working of the Ministry of Rural Development, raised by Dr. K. Laxman on the 10th March, 2026. I now call upon Members whose names have been received for participation in the Discussion. The next speaker is Dr. Sangeeta Balwant.

डा. संगीता बलवन्त (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देती हूँ।

महोदय, आज मैं इस गरिमामयी सदन में ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यकरण पर चर्चा में अपने विचार रखने के लिए खड़ी हुई हूँ। यह केवल बजट की चर्चा नहीं है, बल्कि यह भारत के उन करोड़ों लोगों के भविष्य की चर्चा है, जो हमारे गाँवों में रहते हैं, मेहनत करते हैं और देश की

$ Further discussion continued from the 10th March, 2026.

Contents Page

अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, भारत केवल महानगरों का देश नहीं है। भारत की असली ताकत उसके गांव में बसती है। खेतों में पसीना बहाने वाला किसान मिट्टी से सृजन करने वाला कारीगर और अपने सपनों के साथ आगे बढ़ता ग्रामीण युवा, यही है भारत की असली शक्ति। आपके इस सदन के माध्यम से मैं यह कहना चाहूंगी कि हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने निरंतर भारत के गांव और उनमें रहने वाले लोगों को राष्ट्र के विकास की आधारशिला बताया है और अक्सर इस बात पर जोर दिया है कि सच्ची राष्ट्रीय प्रगति की शुरुआत ग्रामीण समृद्धि से ही होनी चाहिए। उनका दृष्टिकोण कृषि और ग्रामीण आजीविका को आर्थिक परिवर्तन के केंद्र में रखता है।

महोदय, किसानों को प्रौद्योगिकी, मूल्य संवर्धन और वैश्विक बाजारों से जोड़ते हुए भारत को एक विकसित भारत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी भावना के साथ वित्त वर्ष 2026-27 के लिए मांगों की अनुदान राशि 1,97,023 करोड़ के आवंटन के साथ ग्रामीण और संरचना को सुदृढ़ करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ग्रामीण रोजगार प्रावधानों को बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के पुनसंरचना के माध्यम से सरकार का निर्णय स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि ग्रामीण परिवारों को आर्थिक कार्य, अवसर और आय सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, विशेषकर ऐसे समय में जब आजीविका की स्थिरता अत्यंत महत्वपूर्ण है।

महोदय, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा उसके गांवों में बसती है। मैं आज इस सदन के माध्यम से महात्मा गांधी जी के विचारों को दो पंक्तियों में पिरोते हुए कहना चाहूंगी:

"गांव-गांव और किसानों से भारत देश की है पहचान,
बच्चा-बच्चा जय-जय बोले, बोले जय जवान, जय किसान।"

महोदय, जब हम ग्रामीण विकास की बात करते हैं, तो हम केवल योजनाओं की बात नहीं करते, बल्कि भारत की आत्मा को सशक्त बनाने की बात करते हैं। 2014 के बाद से प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक नई दिशा और एक नई गति देखी है। हमारी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत का विकास तभी संभव है, जब भारत का गांव विकसित होगा। आज ग्रामीण भारत में परिवर्तन केवल कागजों पर नहीं, बल्कि जमीन पर दिखाई देता है। महोदय, सबसे पहले मैं प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना का उल्लेख करना चाहूंगी। इस योजना के माध्यम से करोड़ों गरीब परिवारों को पक्के घर दिए गए हैं। पिछले 11 वर्षों में 3.70 करोड़ ग्रामीण घरों का निर्माण किया गया है। पहले कई परिवार कच्चे घरों में रहते थे। हर बारिश में उन्हें अपने घर के टूटने का डर रहता था, लेकिन आज उन्हें सम्मान के साथ रहने के लिए सुरक्षित आवास मिला है। यदि यह संभव हो सका है, तो यह हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री, माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के कारण संभव हुआ है। महोदय, एक गरीब परिवार के लिए

Contents Page

पक्का घर केवल चहारदीवारी नहीं होता, बल्कि यह सुरक्षा, सम्मान और बेहतर भविष्य का प्रतीक होता है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार स्वच्छ भारत मिशन ने ग्रामीण भारत में सामाजिक क्रांति का कार्य किया है। करोड़ों शौचालयों के निर्माण ने न केवल स्वच्छता को बढ़ावा दिया है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया है। पहले महिलाओं को अंधेरा होने का इंतजार करना पड़ता था, आज उन्हें सम्मान के साथ यह सुविधा प्राप्त हुई है। यह केवल स्वच्छता का नहीं, बल्कि सम्मान और सामाजिक परिवर्तन का विषय है। महोदय, हमारा देश सौभाग्यशाली है कि इस देश को ऐसा प्रधान मंत्री मिला। जो चिंता एक पिता को करनी चाहिए, जो चिंता एक भाई को करनी चाहिए, एक अभिभावक की तरह महिलाओं के लिए शौचालय की चिंता करके प्रधान मंत्री ने यह बताया है कि मैं इस देश का प्रधान मंत्री नहीं, बल्कि प्रधान सेवक हूं, महिलाओं का भाई हूं, महिलाओं का अभिभावक हूं।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण महिलाओं के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से आया है। पहले गांवों की महिलाएं लकड़ी और गोबर के चूल्हे पर खाना बनाती थीं और धुएं से उनका स्वास्थ्य प्रभावित होता था, लेकिन आज उज्ज्वला योजना ने उन्हें स्वच्छ ईंधन और स्वस्थ जीवन का अवसर दिया है। महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगी कि 2005 से 2010 तक मैं जिला पंचायत सदस्य थी और एक महिला के घर गई थी। उस महिला ने मुझसे चाय पीने का आग्रह किया। मैंने कहा, ठीक है बहन, मैं आपके घर चाय पीऊंगी और चाय बनने में काफी समय लगा। 2017 में, जब मैं विधायक थी, मैं उसी महिला के घर पहुंची और उस महिला ने पुनः चाय पीने का आग्रह किया, तो मैंने कहा कि बहन जी, चाय रहने दीजिए, हमें और दूसरे गांव में जाना है, और भी कुछ काम हैं। महिला हमारी बात समझ गई और उसने कहा, दीदी, अब वह वाली बात नहीं है, मुझे लकड़ी-गोयठा नहीं जलाना है, चूल्हा नहीं जलाना है, अब मोदी जी ने मुझे गैस दिया है, मुझे गैस पर चाय बनानी है और दो मिनट में मैं आपको चाय पिला दूंगी। यदि आज गांव में यह अंतर दिखाई देता है, तो किसके कारण दिखाई देता है? यदि गांव में यह अंतर है, तो देश के यशस्वी प्रधान मंत्री, माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के कारण है। इसके बावजूद, मैं यह कहना चाहूंगी कि विपक्ष को यह नहीं दिखता है कि देश के प्रधान मंत्री जी राष्ट्रीय स्तर पर कितने उपलब्धियों भरे कार्य कर रहे हैं कि हमारे भारत का मस्तक गर्व से ऊंचा उठ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर भारत की छवि आलोकित हो रही है। लेकिन विपक्ष का काम है केवल विरोध करना और हर बात पर वे सही मुद्दों पर भी सहमति न देकर केवल और केवल विरोध करने का कार्य करते हैं। इस बात को इस सदन के माध्यम से मैं अपनी स्वरचित पंक्तियों में कहना चाहूंगीः

"कब्रों के नारे तो हैं हताशा की पहचान"

जैसा कि विपक्ष कब्र खोदने की बात करता है, ऐसे यशस्वी प्रधान मंत्री जी के लिए ये पंक्तियां हैंः

Contents Page

"कब्रों के नारे तो हैं हताशा की पहचान,
विरोध में गिर गई उनकी ज़ुबान।
तुम क्या कब्र खोद पाओगे ऐ नफरत करने वालों,
जब मोदी के साथ खड़ा है पूरा हिंदुस्तान।"

भाइयो, मैं कहना चाहूंगी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारे किसान हैं। किसानों को सशक्त बनाने के लिए 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' शुरू की गयी, जिसके माध्यम से करोड़ों किसानों को प्रति वर्ष आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही 'जल जीवन मिशन' के माध्यम से गांवों के घरों तक नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। आज लाखों ग्रामीण परिवारों को पहली बार स्वच्छ पेयजल की सुविधा मिली है।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आगे मैं यह कहना चाहूंगी कि 'विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी (VB-G RAM G)' को और अधिक मजबूत किया गया है। इस योजना ने करोड़ों परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है। इसके साथ ही 'दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना' के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार के योग्य बनाया जा रहा है। महोदय, आज सरकार केवल रोजगार देने की बात नहीं कर रही है, बल्कि युवाओं को कौशल, आत्मनिर्भरता और उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ा रही है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आज डिजिटल युग में हमारे गांव भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज 'डिजिटल इंडिया' अभियान के माध्यम से इंटरनेट और डिजिटल सेवाएं गांवों तक पहुंच रही हैं। महोदय, आज किसान अपने मोबाइल से मंडी के भाव देख सकता है, छात्र ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकता है और ग्रामीण उद्यमी अपने उत्पाद देश भर में बेच सकता है। यह ग्रामीण भारत को नई अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगर गांव मजबूत होंगे, तो शहरों पर दबाव कम होगा और देश का संतुलित विकास संभव होगा। मैं ग्रामीण विकास पर एक छोटी सी पंक्ति पुनः कहना चाहूंगी :

"जहाँ खेतों में हरियाली है, वहीं भारत की खुशहाली है।
गांव अगर मुस्कुराएंगे, तो शहर भी जगमगाएंगे।
हर किसान का सपना पूरा हो, हर मजदूर का घर रौशन हो।"
जब गाँव समृद्ध बनेंगे, तभी भारत विश्व में अग्रणी बनेगा।"

महोदय, मैं आज इस सदन के माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि 'प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)' के बजट आवंटन में 69 परसेंट की भारी वृद्धि की गयी है और इसे बढ़ाकर 54,916. 70 करोड़ कर दिया गया है। पिछले 11 वर्षो में इस सरकार ने सफलतापूर्वक 3.70 करोड़ ग्रामीण घरों का निर्माण किया है। बजट अनुमान के माध्यम से ग्रामीण आवास पर निरंतर ध्यान, सरकार की

Contents Page

उस दृष्टि को दर्शाता है कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार गरिमा, सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच के साथ जन-जीवन व्यतीत कर रहा है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों के समर्थन में बोलने का जो अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए, अपनी दो पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। प्रधान मंत्री जी जो चरितार्थ कर रहे हैं, उसी पर मुझे कहना है कि :

"खेत लिखो, खलिहान लिखो,
जवान लिखो, किसान लिखो।
देश के देखो जहां टुकड़े,
जोड़ के वहां हिंदुस्तान लिखो। "

इन्हीं बातों के साथ, जय जवान! जय किसान! जय हिंदुस्तान! धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): धन्यवाद। श्री शक्तिसिंह गोहिल।

श्री शक्तिसिंह गोहिल (गुजरात): महोदय, मैं आज खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ग्रामीण विकास पर बोलने का मौका 12 मार्च को मिला है और 12 मार्च माने गांधी जी की 'दांडी यात्रा' का दिन। गांधी जी की 'दांडी यात्रा' का दिन 12 मार्च था। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इस देश की आत्मा गाँवों में बसती है। हाँ, महात्मा गाँधी जी की हत्या करने वाले की विचारधारा में विश्वास रखने वाले कुछ लोग चाहे मानें या न मानें, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आज भी 68 परसेंट पॉपुलेशन कहीं रहती है, तो वह हमारे भारत के गाँवों में रहती है। मैं गाँव से आता हूँ और मैं वहाँ की समस्या और हकीकत को अच्छे से जानता हूँ। हमारी सोच महात्मा गाँधी जी की विचारधारा के आधार पर रही है। हमारी सरकार थी, तो देखा कि महात्मा गाँधी जी ने कहा था कि गाँवों में देश की आत्मा है, इसलिए गाँवों को मजबूत करो, गाँव को अर्थतंत्र और दो तथा उसी सोच को लेकर यूपीए सरकार ने, जब मनमोहन सिंह जी थे, यूपीए की चेयरपर्सन, श्रीमती सोनिया गांधी जी थीं, बहुत मंथन के बाद एक बहुत अच्छी योजना गाँव में रह रहे लोगों को मजबूत करने की 'मनरेगा' योजना लेकर आई। 'मनरेगा' योजना कोई सरकार लेकर आई, तो वह कांग्रेस की यूपीए सरकार लेकर आई। मुझे आप सभी को यह कहना है कि आप गाँवों में जाकर देखिए, हाँ, कहीं आपके मिले लोग, कहीं भ्रष्टाचार भी कर गए, पर अगर गाँव में एक गरीब को काम किसी ने दिया, तो 'मनरेगा' ने दिया। आप नया नाम लेकर आए। मैं Budget at a Glance से सिर्फ एक आँकड़ा लेकर आपको दिखाना चाहता हूँ। 2025-26 में 'मनरेगा' के लिए 86,000 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट था। आपके नए कानून के बाद 2026-27 में 'मनरेगा' का बजट सिर्फ 30,000 करोड़ रुपए का हो गया। मतलब, 56,000 करोड़ रुपए, जो गांव में जाते, उसके ऊपर आपकी कैंची चल गई। जो 56,000 करोड़ रुपए गांव को मिलने वाले थे, वह अब नहीं मिलेंगे। आप कहेंगे कि स्टेट देंगे, लेकिन स्टेट कहाँ से लाएगा? राज्यों के पास तो व्यवस्था नहीं है, क्योंकि गुजरात जैसे राज्य में भी बजट के टोटल अमाउंट से ज्यादा तो कर्जा लेकर सरकारें बैठी हैं। ऐसे में वे कहाँ से लाएंगे? हां, सर, राम का

Contents Page

नाम मोक्ष की प्राप्ति के लिए मैं हर रोज लेता हूँ, मतों की प्राप्ति के लिए नहीं लेता हूँ। महोदय, हमारे गुजरात में राम के नाम के भजन होते हैं, राम के नाम के कीर्तन होते हैं, पर एक और भी होता है। ...(**व्यवधान**)... हाँ, 'मनरेगा' पर आता हूँ। 'मनरेगा' में आप राम का नाम लेकर आए और 86,000 करोड़ रुपए से 30,000 करोड़ रुपए हुआ और आपने 56,000 करोड़ रुपए मार दिए। गुजरात में राम का नाम एक और बार लिया जाता है, जब इंसान मरता है, तो कंधे पर लेकर निकलते हैं, तब कहते हैं- राम बोलो, भाई, राम, राम बोलो, भाई, राम। आपने 'मनरेगा' का राम बोलो, भाई, राम कर दिया है और गाँव की आत्मा को मारने का काम आपने किया हुआ है। ...(**व्यवधान**)... हाँ, संजय भाई, यह भी होता है कि मुख में राम, बगल में छुरी। यह 'मनरेगा' पर छुरी, राम के नाम को लेकर चली है। यह भी मैं जरूर कहूँगा।

महोदय, सरकार के बजट के आँकड़ों से ग्रामीण विकास पर कितना मार पड़ा है, उसकी कुछ बात मैं करना चाहता हूँ। सर, मैं 'Jal Jeevan Mission/National Rural Drinking Water Programme' की बात करना चाहता हूँ। बजट बनता है, एक आँकड़ा बजट प्रोविजन का होता है, कुछ महीनों के बाद सरकार एक रिवाइज़्ड बजट करती है कि काम ज्यादा करना पड़ेगा, अमाउंट बढ़ेगी या कहीं कम करते हैं। आप देखिए, सरकार ने क्या किया? 'जल जीवन मिशन' पर ग्रामीण प्रोग्राम में बजट एस्टीमेट 67,000 करोड़ रुपए का था और उसका रिवाइज़्ड बजट 17,000 करोड़ रुपए का हुआ, मतलब आपने गांवों के 50,000 करोड़ रुपए एक झटके में काट दिए। आपका एक प्रोग्राम, 'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान' था, जिसके लिए 1,064 करोड़ रुपए का प्रावधान है और आपने रिवाइज़्ड एस्टीमेट में सिर्फ 850 करोड़ रुपए दिए। इस तरह से आपने ग्रामीण क्षेत्र के पैसे काट दिए। आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ी बातें की थीं और कहा था कि 54,832 करोड़ का खर्चा होगा। जब रिवाइज एस्टीमेंट आया, तो उसमें सिर्फ 32,000 करोड़ है। आपने पैसे काट दिए। मैं एक और बात प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में कहना चाहता हूँ। आदिवासी गांवों में बसते हैं। आपने उनके प्रोग्राम के पैसे 5,582 करोड़ को काटकर उसे 1,580 करोड़ कम किए।

सर, मिशन वात्सल्य में बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए जो प्रावधान था, उसमें से भी 600 करोड़ आपने काट दिए। इसका परिणाम क्या हुआ, सर? इसका परिणाम यह हुआ कि गुजरात में जो प्रेग्नेंट वीमेन हैं, वे पूरे देश में सबसे ज्यादा एनीमिक हैं। पूरे देश में यंग गर्ल्स अगर कहीं एनीमिक हैं, तो पूरे देश में सबसे ज्यादा गुजरात में 60 परसेंट पीड़ित हैं।

मेरी संगीता बहन यहां पर बहुत अच्छा बोल रही थीं कि हमारी विदेश में इज्जत बढ़ गई। हां, बढ़ गई। अमेरिका की कभी यह हिम्मत नहीं होती थी कि वह हथकड़ी पहनाकर हमारे देशवासियों को यहां भेजे। आप कहती थीं, इज्जत बढ़ गई! इस देश में एक प्रधान मंत्री ऐसी थीं, जिन्होंने कहा था, सातवां बेड़ा भेजो या दसवां बेड़ा भेजो, मेरे देश को क्या करना है, यह निर्णय मेरी जनता और मेरी सरकार करेगी। हां, तब इज्जत बढ़ गई थी * रशिया से ऑयल लो, कहां से

* Not recorded.

Contents Page

लो, यह हमारा काम है, सर। यह हमारा देश तय करता है। यह इज्जत कहां से बढ़ी, यह मैं जरूर कहना चाहता हूँ। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): यह रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा।

श्री शक्तिसिंह गोहिल: मैं मनरेगा पर कहना चाहता हूँ।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): Unfounded allegation रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा।

श्री शक्तिसिंह गोहिल: सर, दाहोद डिस्ट्रिक्ट के दानपुर ब्लॉक का एक पिपेरो गांव है। उस गांव के ब्लॉक का सर्वे नंबर 115 है। सर, मेरे पास यह सर्वे नंबर भी है और मनरेगा के सारे वर्कऑर्डर्स हैं। सर, यह लैंड प्राइवेट लैंड है। उस लैंड में मनरेगा से तालाब बनाया गया। चार महीने के बाद वहां पर तालाब में प्लांटेशन करते हैं, फिर तीन महीने के बाद लैंड लेवलिंग करते हैं, फिर दो महीने के बाद उसी तालाब में कैनाल निकालते हैं। करोड़ों रुपया एक जमीन से, ये सारे वर्क ऑर्डर्स हैं। यह जमीन किसकी है? *सर, उसी दाहोद डिस्ट्रिक्ट में आपकी सरकार ने एफआईआर की है। ...(**व्यवधान**)... इनको मिर्ची जरूर लगेगी, क्योंकि सच हर वक्त कटुता से भरा होता है। ...(**व्यवधान**)...

श्री केसरीदेवसिंह झाला (गुजरात): सर, मेरा एक प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): आपका क्या प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है?

श्री शक्तिसिंह गोहिल: सर, मनरेगा में दाहोद के अंदर एक और चीज हुई। मैटीरियल सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। उस मैटीरियल सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट में कोई टेंडर प्रोसीजर का पालन नहीं किया गया। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): आप रूल बताइए।

श्री केसरीदेवसिंह झाला: सर, ये जिस मामले की इस सदन में चर्चा कर रहे हैं, यह एक *sub judice* matter है, इसलिए इसको रिकॉर्ड से strike off करना चाहिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Your point of order is under which rule?

SHRI KESRIDEVSINH JHALA: Sir, this matter is *sub judice*. This matter is in the court. ये इसके ऊपर यहां चर्चा कर रहे हैं, इसको रिकॉर्ड से strike off करना चाहिए। It is under rule 110. सर, यह कोर्ट के अंदर एक *sub judice* matter है।

* Not recorded.

Contents Page

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): It will be examined. ...(*Interruptions*)...

SHRI PRAMOD TIWARI (Rajasthan): Sir, anything under the sky can be discussed here. यह चेयरमैन की रूलिंग है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): It will be examined. आप बोलिए, आपका समय जा रहा है। It will be examined. ...*(Interruptions)*... आप बोलिए।

श्री शक्तिसिंह गोहिल: सर, पुराने हमारे चेयरमैन साहब का जजमेंट है कि *sub judice* हो तो भी यहाँ कोई चर्चा करने से रोक नहीं सकता और यह कोई *sub judice* matter नहीं है। मंत्री के खिलाफ एफ.आई.आर. हो, सी.बी.आई. से जाँच हो। सर, वहाँ जो मटीरियल सप्लाई हुआ, मटीरियल सप्लाई में भी सबसे बड़ा [£] वही हुआ है। मैं जानता हूँ कि मेरे साथी अपने नंबर बढ़ाने के लिए कुछ कर रहे हैं, करें ...(**व्यवधान**)... मैं यह कहता हूँ कि ग्रामीण विकास के लिए जो काम सच में करना चाहिए, वह तो करते नहीं हैं। गाँव में जो हालत हो रही है, वह ये हो रही है, चाहे गाय के लिए गौचर की जमीन हो, चाहे खेत की जमीन हो, [*]...(**व्यवधान**)... I am concluding. ...*(Interruptions)*... I am not yielding. ...*(Interruptions)*... I am concluding. ...*(Interruptions)*... I am not yielding. ...*(Interruptions)*... I am concluding, I am not yielding. ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): आपको टाइम दिया जाएगा ...(**व्यवधान**)... मंत्री जी, आप बोलिए।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान): माननीय सभापति महोदय, यहाँ ग्रामीण विकास पर चर्चा चल रही है। "गए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास।" अब यहाँ कौन-कौन से नाम लेकर आ रहे हैं, पता नहीं। कहाँ की कुंठा है, कहाँ सदन में आकर निकाल रहे हैं! यह सदन कुंठा निकालने का स्थान नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि ग्रामीण विकास से संबंधित हर बात का जवाब मैं दूँगा, एक-एक बात का जवाब दूँगा। कृपया ग्रामीण विकास तक सीमित रहें।

श्री शक्तिसिंह गोहिल: *

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): आपको एक्स्ट्रा समय दिया गया है, लेकिन आप सब्जेक्ट पर बोलिए।

श्री शक्तिसिंह गोहिल: सर, मैं बिल्कुल सब्जेक्ट पर बात कर रहा हूँ। MGNREGA is a part of rural development. मैं उसके अलावा कोई बात नहीं करता हूँ। सर, यह रूरल डेवलपमेंट के

[£] Exupnged as ordered by the Chair.

[*] Not recorded.

Contents Page

ऊपर Comptroller and Auditor General की रिपोर्ट है। जब हमारी सरकारें रहती थीं, CAG कुछ कहते थे, तो आप कहते थे कि CAG ने कह दिया, भगवान ने कह दिया। अब आपके रूरल डेवलपमेंट के ऊपर Comptroller and Auditor General लिखते हैं कि National Social Assistance Programme, जो इस सरकार ने चलाया, उसके अंदर ऐसे-ऐसे लाभार्थियों को लाभ मिला जो असल में उसके लिए लायक नहीं थे। न आपने सोशल ऑडिट किया, न आपने इसके ऊपर कोई जाँच करवाई और करोड़ों रुपए गए, तो किसके गए? वह इस देश की जनता की तिजोरी से गलत लोगों के हाथों में गए। सी.ए.जी. लिखते हैं कि काफी ऐसे लोग हैं, जो जरूरतमंद थे, जिनको मिलना चाहिए था, उनको उनका अधिकार नहीं मिला और मिला उनको, जिनका कोई अधिकार नहीं। सर, यह हकीकत तो यही है।

मेरी बहन अभी कह रही थी कि गाँव में गैस आ गयी। आपको पता है दाम और बॉटल की हालत क्या है? मंत्री जी, कम से कम इतनी योजना खुद बता दें कि गाँव में नाली से गैस निकलेगा कैसे और हम रोटी पकाएँगे कैसे, तो हम सिलेंडर से बच जाएँगे। एक युद्ध चल रहा है, विदेश नीति में हम फेल रहे और हम भुगत रहे हैं, तो इस वक्त कम से कम इतना तो बता दें कि नाली से गैस निकलेगी कैसे और रोटी पकेगी कैसे?

सर, मैं चंद लाइनों के साथ एक और बात कहना चाहता हूँ:

"एक और गाँव के खेत अडाणी के उद्योग ने निगल लिए।
एक और गाँव के खेत अडाणी के उद्योग ने निगल लिए।
एक और गाँव शहर की बसावट में खो गया।"

आज गाँव की हालत यह है कि गाँव टूट रहे हैं और यह क्यों हो रहा है? मंत्री जी, आप कभी आइए और देखिए कि गाँव में क्या हालत है। हम तो गाँव में रहने और जीने वाले लोग हैं। इस देश में अगर गाँव मजबूत नहीं रहेगा, तो कोई मजबूत नहीं रह सकता। किसी इंडस्ट्रियलिस्ट में ऐसी ताकत नहीं है कि वह ऐसा दाना पैदा कर सके, जिसकी रोटी बने और उससे इंसान के पेट की भूख मिट सके। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसा नहीं कर सकता। किसी इंडस्ट्रियलिस्ट में ऐसी ताकत नहीं है कि वह कोई ऐसा केमिकल बना दे, जो दूध की बोतल में भरकर उस रोते बच्चे को दें, तो वह रोता बच्चा शांत हो जाए, उसके पेट की भूख शांत हो जाए। अगर ग्रामीण विकास में जरूरत है, तो उस किसान को मजबूत करने की जरूरत है, अगर वह जरूरत है, तो आपको उस किसान की चिंता करनी होगी। आप किसान को मारने के लिए काले कानून लेकर आए, लेकिन अच्छा हुआ - मैं हरियाणा, पंजाब और देश के उन किसानों को नमन करता हूं, जिन्होंने शहादत दी। वे ऐसे जज्बे के साथ लड़े कि आपको वे काले कानून वापस लेने पड़े, वरना आज किसान और बर्बाद होता। आपने अमरीका जाकर उनसे ट्रीटी की। इससे क्या फायदा होगा? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश के किसानों की क्या हालत होगी? जब हम इसकी बात करते हैं, तो आप बात करना पसंद नहीं करते हैं। महोदय, शासन को आता है, जाता है, लेकिन आपको तो लोग मामा कहते हैं। मंत्री जी, आप ऐसे मामा बनिए कि लोग आपके लिए दिल से कहें,वरना मामा तो

Contents Page

वह कंस भी था, लेकिन लोग आज उसका नाम नहीं लेते हैं। आप वह मामा बनिए, जो मामेरू लेकर आए, जो सबको खुश करके आए। मंत्री जी आप यह वाला मामा बनिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): आप समाप्त कीजिए। Time is up. *...(Interruptions)...* Time is over. *...(Interruptions)...* हमने आपको extra time भी दिया है। अब आप समाप्त कर दीजिए।

श्री शक्तिसिंह गोहिल: महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और अपनी बात को कंक्लूड करता हूं। ...(**व्यवधान**)... नागर भाई, जब आप मंत्री बनें, तब टोकना, अभी छोड़ दो। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): आप समाप्त कीजिए।

श्री शक्तिसिंह गोहिल: सर, मैं सरकार से यही अनुरोध करता हूं कि आप रूरल डेवलपमेंट के लिए काम कीजिए। मैं जानता हूं कि मंत्री जी की मंशा अवश्य होगी, लेकिन अगर बजटरी प्रोविजन नहीं होगा, तो मंत्री जी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके डिपार्टमेंट के पैसे जब आपके रिवाइज्ड एस्टिमेट या बजटरी प्रोविजन में कटते हैं, तब आप मजबूती से फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के सामने अपना स्टैंड लीजिए। हम आपके साथ हैं, यह देश आपके साथ रहेगा। जब किसानों के भले की बात होगी, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। उपसभाध्यक्ष जी, मुझे सदन में अपनी बात रखने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (उत्तर प्रदेश): महोदय, शक्तिसिंह जी ने सीएजी की रिपोर्ट का जिक्र किया, 2013 की जो सीएजी की रिपोर्ट है, जिसमें 5,700 करोड़ रुपए पानी में बहा दिए गए, उसका भी जिक्र किया गया है, अच्छा होता कि वे उसका भी जिक्र करते और जब जयराम जी इसी विभाग के मंत्री थे, उन्होंने मनरेगा की खामियों पर जो पत्र लिखे थे, यदि उसका भी जिक्र कर लेते, तो भी अच्छा रहता, क्योंकि इन्हीं खामियों को सुधारने के लिए मोदी सरकार वीबी -जी राम जी बिल लेकर आई है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Shri Ramdas Athawale; not present. Shri Mahendra Bhatt.

श्री महेंद्र भट्ट (उत्तराखंड): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सदन में ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुपूरक मांगों के संदर्भ में इस सदन में बोलने का अवसर दिया - इसके लिए मैं आपका और इस सदन का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

महोदय, मैं उत्तराखंड से आता हूँ, जो देवभूमि है। वह प्रदेश, जहाँ के गाँव हिमालय की गोद में बसे हैं, जहाँ की बेटियाँ पहाड़ की तरह मज़बूत हैं, जहाँ का किसान कठिन भूगोल से लड़ते हुए भी देश के लिए अन्न उगाता है, लेकिन इसी उत्तराखंड का एक दर्द भी था - पलायन का दर्द। गाँव खाली हो रहे थे, युवा रोज़गार के लिए मैदानों की तरफ भाग रहे थे, बुजुर्ग और महिलाएँ

Contents Page

अकेली पड़ती जा रही थीं और हम इसे "घोस्ट विलेज" कहते थे, यानी भूतिया गाँव। आज मैं यह कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि वे गाँव अब भूतिया नहीं रहे। उनमें फिर से रोशनी आ रही है और इसका श्रेय जाता है हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और ग्राम्य विकास की उन नीतियों को, जिन्होंने ग्रामीण भारत की काया पलट दी है। महोदय, किसी सरकार की नीयत उसके बजट में झलकती है। एक दशक पहले ग्रामीण विकास का बजट करीब 90,000 करोड़ रुपये था, लेकिन आज वही बजट बढ़कर 2.75 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है, यानी तीन गुना से भी ज़्यादा बजट इसके लिए प्रस्तावित हुआ है। प्रधान मंत्री आवास योजना का बजट भी तीन गुना बढ़ा है। पंजायती राज को सीधे मिलने वाला धन भी लगभग दोगुने से अधिक हो गया है।

महोदय, यह केवल संख्या नहीं है। यह एक घोषणा है कि इस सरकार के लिए गाँव सिर्फ वोट बैंक नहीं, विकास का केंद्र हैं। पहले की सरकारें गाँव को याद करती थीं - चुनाव के वक्त, मोदी जी की सरकार गाँव को याद करती है - बजट के वक्त, नीति के वक्त और हर फैसले के वक्त।

महोदय, उत्तराखंड में एक कहावत है, "जहाँ सड़क नहीं, वहाँ सरकार नहीं।" दशकों तक हमारे पहाड़ी गाँव इसी तकलीफ में जीते रहे। बीमार को खाट पर उठाकर किलोमीटरों पैदल चलना पड़ता था। गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए जानलेवा रास्तों से गुजरना पड़ता था। बच्चों को स्कूल के लिए घंटों पैदल चलना पड़ता था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने यह तस्वीर पूरी तरह से बदली है। आज देश भर में करीब आठ लाख किलोमीटर से अधिक सड़कें बन चुकी हैं। देश की लगभग हर योग्य बस्ती सड़क से जुड़ चुकी है। हर साल हजारों किलोमीटर नई सड़कें और सैकड़ों नए पुल बन रहे हैं। महोदय, मेरे राज्य के लिए यह वरदान सिद्ध हुआ है। आज सड़कें उत्तराखंड के दूरदराज के गाँवों तक, हमारे वनग्रामों तक पहुँच रही हैं। यह सड़क सिर्फ पत्थर और डामर नहीं है, विकास का रास्ता है, अवसर का रास्ता है, गाँव में रुकने का कारण है और पलायन रुकने का माध्यम है।

महोदय, उत्तराखंड में पहाड़ी जिलों में पुराने कच्चे घर भूकम्प और भूस्खलन में जानलेवा साबित होते थे। हर आपदा के बाद हजारों परिवार बेघर होते थे। प्रधानमंत्री आवास योजना ने इस पीड़ा का समाधान दिया। देश भर में करीब तीन करोड़ पक्के मकान बनाए जा चुके हैं। इसमें एससी-एसटी और ओबीसी परिवारों को प्राथमिकता दी गई है। पीएम जनमन अभियान सबसे अधिक कमजोर और पिछड़े वर्ग के लिए योजना है। यह उत्तराखंड के वन गुज्जर, थारू और भोटिया जैसे समुदायों के लिए वरदान साबित हुआ है। इन समुदायों की जो उपेक्षा दशकों से हो रही थी, इस सरकार ने उसे विशेष ध्यान देकर बदला है। महोदय, एक पक्का घर सिर्फ शेल्टर नहीं है। वह एक परिवार को उसके गाँव से जोड़े रखता है। वह पलायन को रोकता है और यही है असली ग्रामीण विकास।

महोदय, उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या रोज़गार के लिए पलायन रही है। हमारे युवा दिल्ली, मुंबई, सूरत जाते थे। आज एक कहावत है कि आपको आलू और उत्तराखंडी भारत ही नहीं, विदेश के हर क्षेत्र में मिलेंगे। गाँव में सिर्फ बुजुर्ग और बच्चे रह जाते थे। मनरेगा ने एक हद तक इसे थामा, लेकिन अब वीबी – जी राम जी कानून ने इसे नई ऊँचाई दी है। 100 दिन के स्थान

Contents Page

पर 125 दिन की रोजगार गारंटी हमारे राज्य के लिए वरदान सिद्ध हुई है। यह रोजगार जल संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना और आपदा प्रबंधन जैसे ठोस कार्यों से जुड़ा है। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में, जहाँ भू-क्षरण और जमीन का टूटना नियमित आपदाएं हैं, वहाँ आपदा प्रबंधन को रोजगार गारंटी से जोड़ना एक क्रांतिकारी कदम है। दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना और रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन इन्फॉर्मेशन के माध्यम से लाखों युवाओं को स्किल ट्रेनिंग और प्लेसमेंट मिली है। हमारे पहाड़ी युवाओं को अतिथि सत्कार, पर्यटन और कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर में ट्रेनिंग मिल रही है, ताकि वे बाहर न जाएँ, अपने राज्य में ही आगे बढ़ें।

महोदय, उत्तराखंड की महिला हमेशा से मेहनतकश रही है। खेत उसने जोते, घर उसने संभाला, पानी वह लाई, लेकिन उसकी मेहनत का आर्थिक मूल्य नहीं पहचाना गया। दीन दयाल अंत्योदय योजना ने यह बदला। आज देश भर में दस करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूह में संगठित हैं। उन्हें 12 लाख करोड़ से अधिक का बैंक ऋण मिल चुका है और ऋण वापसी दर भी 98 प्रतिशत से ऊपर है। यह किसी भी बैंक के लिए गर्व करने वाला आंकड़ा है। लखपति दीदी योजना से आज तीन करोड़ से अधिक महिलाओं की वार्षिक आमदनी एक लाख रुपये से ऊपर है और लक्ष्य छः करोड़ का है। नमो ड्रोन दीदी योजना में हजारों ड्रोन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिए जा रहे हैं। आज की ग्रामीण बहन खेतों में ड्रोन उड़ा रही है और यही है नए भारत की तस्वीर। बजट 2026-27 में SHE-MART की घोषणा से अब हर जिले में महिला उत्पादों की बिक्री का प्लेटफॉर्म होगा। इससे उत्तराखंड के ऊनी वस्त्र, हस्तशिल्प और जैविक उत्पादों को नई मंडी मिलेगी। महोदय, जो महिला कभी साहूकार के दरवाजे पर खड़ी होती थी, आज वही महिला सरकारी ऑनलाइन खरीद पोर्टल पर अपना उत्पाद बेच रही है। यह परिवर्तन कोई नारा नहीं, यह जमीनी हकीकत है। महोदय, उत्तराखंड में हमारे एससी, एसटी, ओबीसी भाई-बहन, चाहे वे थारू हों, बोक्सा हों, भोटिया हों, जौनसारी हों या राजी समुदाय के हों, वे दशकों तक विकास की मुख्य धारा से दूर रहे। इस सरकार ने उन्हें न केवल योजनाओं का लाभार्थी बनाया है, बल्कि विकास का भागीदार भी बनाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में एसटी, एससी परिवारों को प्राथमिकता दी गई है। प्रधानमंत्री जनमन में वनवासी समुदायों के लिए पक्के घर, स्वास्थ्य सेवाएं, सड़क आदि सब एक साथ मिला है। स्वामित्व योजना के प्रापर्टी कार्ड ने उन लोगों को भूमि का कानूनी अधिकार दिया, जिनके पास पीढ़ियों से जमीन थी, लेकिन कागज नहीं थे। आज वे उस जमीन पर ऋण ले सकते हैं और निवेश कर सकते हैं। स्टैंड-अप इण्डिया के माध्यम से हर बैंक शाखा में कम से कम एक एससी, एसटी या महिला उद्यमी को ऋण मिल रहा है। दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना की ट्रेनिंग में वंचित वर्ग के युवाओं को प्राथमिकता मिल रही है।

महोदय, आज देश में अत्यधिक गरीबी वैश्विक औसत से भी नीचे आ चुकी है। यह क्रांतिकारी कदम उठाया गया है। इसका सबसे बड़ा लाभार्थी वही अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है, जो एससी, एसटी, ओबीसी परिवार से आता है, जो पहाड़ के दूरदराज के गांव में रहता है। यही है सच्चा सामाजिक न्याय। यह नारे में नहीं, नीतियों में झलकता है। महोदय, पहले की सरकारों में योजनाएं बनती थीं, दिल्ली से राज्यों तक पैसा जाता था, लेकिन गांव तक पहुंचते-पहुंचते आधा रह जाता था। यह जग-जाहिर है। इसे बदलने की हिम्मत कोई नहीं करता था। मोदी जी ने सीधा

Contents Page

लाभ हस्तान्तरण के माध्यम से बिचौलियों की यह पूरी व्यवस्था तोड़ दी है। लाखों करोड़ रुपये सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंचे हैं। मनरेगा का लगभग शत-प्रतिशत भुगतान आज ऑनलाइन है। एक भी पैसा रास्ते में नहीं रुकता है। लाखों ग्राम पंचायतें आज ई ग्राम स्वराज पर डिजिटल प्लांनिग और बजटिंग पर काम कर रही हैं। देश के लगभग सभी ग्रामीण भूमि अभिलेख डिजिटल हो चुके हैं। एआई की बात करें, तो सभासार जैसे टूल से ग्राम सभा की बैठकों के मिनट्स 14 भाषाओं में स्वतः ही बनते हैं। सैटेलाइट और एआई से मनरेगा परिसम्पत्तियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है। भाषिणी से 36 भारतीय भाषाओं में सरकारी सेवाएं उपलब्ध हैं। यह क्रांतिकारी कदम है।

महोदय, उत्तराखंड में गढ़वाली, कुमाऊँनी, जौनसारी बोलने वाले हमारे बुजुर्ग ग्रामीण, जो हिंदी भी ठीक से नहीं पढ़ पाते, वे भी अब अपनी बोली में सरकारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह है टेक्नॉलाजी का असली मानवीय उपयोग। अंत्योदय योजना से 26 मंत्रालयों के कार्य एक साथ ग्राम पंचायत स्तर पर जुड़ रहे हैं। यह कन्वर्जेन्स का नया मॉडल है, जहां गांव को एक-एक योजना अलग-अलग नहीं, बल्कि सम्पूर्ण विकास एक साथ मिलता है। महोदय, मैं देवभूमि उत्तराखंड से आता हूं, जहां के गांवों में अब फिर से दीये जल रहे हैं। जहां कभी सड़क नहीं थी, वहां आज प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विभाग की सड़कें हैं। जहां कभी पक्की छत नहीं थी, वहां आज प्रधानमंत्री आवास योजना का घर है। जहां कभी बैंक से रिश्ता नहीं था, वहां आज लखपति दीदी योजना है। जहां कभी सरकार केवल कागजों में थी, वहां आज ई ग्राम स्वराज और स्वामित्व से पारदर्शिता है। हर घर में नल हैं। किसान सम्मान निधि से हर किसान सम्मानित हो रहा है। सामाजिक सुरक्षा जो एक दशक पहले देश की एक चौथाई आबादी तक भी नहीं पहुंचती थी, आज दो-तिहाई से अधिक लोगों तक पहुँच रही है। यह सब संभव हुआ है, क्योंकि प्रधान मंत्री मोदी जी ने एक विज़न दिया - सबका साथ, सबका विकास और ग्रामीण विकास ने उस विज़न को जमीन पर उतारा है।

महोदय, हमारे माननीय मंत्री, शिवराज सिंह चौहान जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि जिनके नेतृत्व में यह मंत्रालय योजना की जगह मिशन के रूप में चल रहा है, नम्बर की जगह लाइव दिख रहा है। महोदय, ग्रामीण भारत केवल लाभार्थी नहीं, वह विकसित भारत 2047 का आर्किटेक्ट है। वह दिन आएगा जब भारत एक विकसित राष्ट्र होगा, उस दिन इतिहास लिखेगा कि उस यात्रा की नींव हमारे गांवों में पड़ी है, धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Now, the next speaker is Shrimati Maya Naroliya.

श्रीमती माया नारोलिया (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय की महत्वपूर्ण अनुदान मांगों के समर्थन के लिए यहां पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। देश के यशस्वी प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2026-27 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की जो अनुदान मांगें हैं, उनके माध्यम से हमारी सरकार माननीय प्रधान मंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए

Contents Page

निरंतर प्रयासरत है और यह बजट उसी दिशा में एक मील का पत्थर है। इस वर्ष ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1,97,023 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों से 46 प्रतिशत अधिक हैं। यह दर्शाता है कि हमारी सरकार गांव, गरीब और किसान के विकास के लिए पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है।

महोदय, रोजगार और विकसित भारत के बारे में बोलते हुए अभी विपक्ष के हमारे माननीय शक्तिसिंह गोहिल जी बता रहे थे कि यह एक प्रकार से दिखावा है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी ने और हमारे कृषि मंत्री, शिवराज सिंह चौहान जी ने, जो यहां पर बैठे हैं, जिस मनरेगा में भ्रष्टाचार होता था, हमारी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मनरेगा को पुनर्गठित कर 'विकसित भारत - गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन', यानी 'वीबी - जी राम जी' कानून पारित किया है। इस नए मिशन के तहत अब ग्रामीण परिवारों को 100 दिन के बजाय 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी जा रही है। इसके लिए बजट में 95,692 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक प्रावधान किया गया है, जो पूरे मंत्रालय के बजट का 40 प्रतिशत हिस्सा है। यह कदम विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं और श्रमिकों के आर्थिक संबल को शक्ति प्रदान करने वाला है।

महोदय, मैं प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश की उपलब्धि के बारे में बताना चाहूंगी। आवास हर व्यक्ति की मूलभूत सुविधा है। प्रधान मंत्री जी का सपना है कि हर गरीब के पास छत हो। इसमें मध्य प्रदेश के तहत हमारी सरकार का लक्ष्य हर ग्रामीण को पक्की छत देना है। इसके तहत 2026-27 के लिए इस योजना में 54,917 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो 69 प्रतिशत की भारी वृद्धि है। मुझे सदन को बताते हुए अत्यंत गर्व महसूस हो रहा है कि डबल इंजन की सरकार से मेरा राज्य, मध्य प्रदेश इस योजना में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। मध्य प्रदेश में अब तक लगभग 36.87 लाख से अधिक आवास बन कर तैयार हो चुके हैं और हमारी पूर्णता दर 74 प्रतिशत से अधिक है। मुझे यह बताते हुए भी अत्यंत खुशी हो रही है कि महिला सशक्तिकरण और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण विकास का असली अर्थ तभी सार्थक होता है, जब हमारी मातृ शक्ति आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 2026-27 के लिए 19,200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष से 20 प्रतिशत अधिक हैं। आज देश में 92 लाख स्वयं-सहायता समूह अपना काम कर रहे हैं, जिससे महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं, बल्कि अन्य बहनों को भी रोजगार देने का काम कर रही हैं। इससे 10 करोड़ से अधिक परिवार जुड़े हैं।

महोदय, अभी हमारे कुछ सांसद शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में कह रहे थे। शिवराज सिंह चौहान जी मामा के रूप में पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि भारत देश में जाने जाते हैं। मामा ही नहीं, चंदा मामा के रूप में भी अगर हम उनकी व्याख्या करेंगे, तो वह बहुत अच्छी बात होगी। मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता होती है कि मेरा राज्य, मध्य प्रदेश इस दिशा में पूरे देश को एक नई राह दिखा रहा है। मध्य प्रदेश में ग्रामीण सड़कों के रख-रखाव की जिम्मेदारी स्वयं-सहायता समूह की महिलाओं को सौंपी गई है। स्वयं-सहायता समूह की बहनें अनाज खरीदी के समर्थन मूल्य का

Contents Page

काम भी करती हैं। हमारे शिवराज सिंह चौहान जी जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में यह कार्य प्रारंभ किया गया है। जो महिलाएं कल तक घूंघट में थीं, आज वे सड़कों का रख-रखाव कर रही हैं और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास में अपना अमूल्य योगदान दे रही हैं। कौशल विकास की दिशा में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों में 80 प्रतिशत महिलाएं हैं। यह महिला सशक्तीकरण का एक जीता-जागता उदाहरण है। देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी सिर्फ महिला सशक्तीकरण की बात ही नहीं करते हैं, बल्कि अगर यथार्थ रूप से धरातल पर महिला सशक्तीकरण को आगे बढ़ाने का काम किसी ने किया है, तो देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्रीमान् नरेन्द्र मोदी जी ने किया है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं ग्रामीण सड़क संपर्क एवं नर्मदापुरम का विशेष संदर्भ जरूर कहना चाहूंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इसके तहत इस वर्ष 19,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो 73 प्रतिशत की वृद्धि है। हाल ही में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क संपर्क योजना को जो मंजूरी दी गई है, उसमें 62,500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा और उससे 25,000 नई बसावटों को जोड़ने का काम भी हमारी सरकार करने जा रही है। जब हम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को जोड़ने वाले बुनियादी ढांचे की बात करते हैं, तो मैं अपने गृह जिले नर्मदापुरम का विशेष उल्लेख करना चाहूंगी। हमारा नर्मदापुरम जिला, पहले होशंगाबाद जिला था, लेकिन देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में - चूंकि नर्मदापुरम जिले में मां नर्मदा मैया बहती हैं, इसलिए उसका नाम 'नर्मदापुरम' रखने का काम भी देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने किया है। इसके लिए भी मैं उनका बहुत-बहुत अभिनंदन करना चाहूंगी।

सड़कों और पुलों का निर्माण – यह केवल ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच से जुड़ा हुआ है। मजबूत ग्रामीण सड़कें और सुरक्षित ओवरब्रिजेज़ यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे नर्मदापुरम के दूरदराज के गाँवों की महिलाएं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं और मरीज समय पर जिले के प्रस्तावित multi-specialty और ESIC अस्पतालों तक पहुंच सकें, यह काम भी हमारी सरकार द्वारा और हमारे मंत्रालय द्वारा निरंतर किया जा रहा है। सुरक्षित इन्फ्रास्ट्रक्चर और उक्त स्वास्थ्य सुविधाएँ आपस में गहराई से जुड़ी हुई है।

अंत में, हमारे ग्रामीण विकास मंत्री, जिन्हें बहुत अनुभव है, वे एक किसान भी हैं और जैविक खेती भी करते हैं। चाहे कृषि के मामले हों या ग्रामीण क्षेत्र का मामला हो, चूंकि वे गांव में निवास करते हैं और गांव की मूलभूत सुविधाओं को उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, वे जानते हैं। जब हमारे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी वहां के मुख्य मंत्री थे, तब उन्होंने माताओं और बहनों की पीड़ा को बहुत करीब से देखा है। जब बेटी जन्म लेती थी, तो बेटी अभिशाप होती थी, तो बेटी वरदान कैसे साबित हो, इसके लिए उन्होंने 'लाड़ली लक्ष्मी योजना' चलाकर, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, बेटियों को 'लाड़ली लक्ष्मी' बनाने का काम किया। यह योजना एक वरदान साबित हुई। जहां बेटियों के माता-पिता चिंतित होते थे, वहां इस प्रकार 'लाड़ली लक्ष्मी योजना' के माध्यम से

Contents Page

भी महिलाओं को सशक्त करने का जो काम किया है, तो वह हमारे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री डा. मोहन यादव जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हमारी बहनों को आर्थिक रूप से भी मजबूत करने का काम 'लाड़ली लक्ष्मी योजना', 'प्रधानमंत्री आवास योजना', 'उज्ज्वला योजना', 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना' एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से करके, ग्रामीण क्षेत्र की बहनों को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। हमारी सरकार के द्वारा निश्चित रूप से चाहे पंच हों, सरपंच हों या पार्षद हों, ग्रामीण क्षेत्र की बहनों को स्वयं आगे बढ़कर उनके रोजगारों को स्थापित करने और जनप्रतिनिधि के रूप में वे स्वयं अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं, यह काम करने का भी काम किया गया है।

अंत में, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि ग्रामीण विकास की ये अनुदान मांगें केवल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि ये ग्रामीण भारत की आकांक्षाओं, विशेष कर हमारी मातृशक्ति और युवाओं के सपनों की उड़ान है। सरकार को PMAY-G के तहत भूमिहीन लाभार्थियों को जमीन उपलब्ध कराने पर राज्यों के साथ और अधिक समन्वय स्थापित करना चाहिए। मैं इस जनकल्याणकारी बजट और अनुदान मांगों का पूर्ण रूप से समर्थन करती हूं। भारत माता की जय! जय नर्मदा मैया! त्वदीय पाद पंकजम्, नमामि देवी नर्मदे! नमामि देवी नर्मदे! नमामि मातु नर्मदे! धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): श्री बंशीलाल गुर्जर।

3.00 **P.M.**

श्री बंशीलाल गुर्जर (मध्य प्रदेश): माननीय महोदय, मैं अपनी पार्टी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ग्रामीण विकास मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय के अनुदान मांगों पर बोलने का अवसर दिया। महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे पूर्व के सभी वक्ताओं ने कहा है कि भारत गाँव का देश है और देश की आत्मा गाँव में बसती है। यह बात सही है कि गाँव का विकास होगा, तो देश का विकास होगा और तभी भारत विकसित देश बन पाएगा, जब हमारे पूरे गाँव विकसित होंगे।

महोदय, मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ। अंग्रेजों के पहले और मुगलों के पहले का जो भारत था, उस भारत में हमारी भारतीय इकोनॉमी का 60 प्रतिशत हिस्सा गांव के पास था, क्योंकि गांव आत्मनिर्भर थे। जिन गाँवों के पास, किसानों के पास भारतीय इकोनॉमी का 60 प्रतिशत हिस्सा था, वे गाँव आज हमें पिछड़ता हुआ दिखा है। लोगों को उम्मीद थी कि देश की आजादी के बाद हमारा हिस्सा देश की आमदनी में उतना होगा, जितनी हमारी जनसंख्या है, लेकिन मैं दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि देश की आजादी के बाद जब विकास का सफर शुरू हुआ, तो उसमें गाँव पिछड़ गया। जब गाँव पिछड़ा, तो वह इतना पिछड़ा कि इकोनॉमी का जो 60 प्रतिशत हिस्सा गाँव के पास होता था, वह पिछड़ते-पिछड़ते 2014 तक आकर देश की आमदनी का केवल 14 प्रतिशत हिस्सा गाँव और किसानों का रहा। यह कहानी काफी वर्षों की है और उस कहानी को सुधारने की आवश्यकता थी। उसको सुधारने के लिए हमारी सरकारें काम करती रहीं, लेकिन

Contents Page

कहीं-न-कहीं गांव की उपेक्षा भी साथ-साथ होती रही और जो देश की आत्मा गाँव में बसती है, उस आत्मा को झकझोड़ते भी रहे।

महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी अर्थव्यवस्था में जो हिस्सा किसानों का होना चाहिए, वह क्यों पिछड़ा? पहले गाँव आत्मनिर्भर था, तो वह इसलिए था कि वस्तु-विनिमय के आधार पर गाँव के लोग काम चला लेते थे और आत्मनिर्भरता की एक झलक गाँव में देखने को मिलती थी। अगर उनको शहर से कोई वस्तु लानी पड़ती थी, तो वे नमक लाते थे, तेल लाते थे और कपड़ा लाते थे, बाकी की सारी चीजें गाँवों में ही विनिमय करके अपना जीवन-बसर कर लेते थे, इसलिए गाँव के लोगों का आर्थिक स्तर भी थोड़ा मजबूत था। लगातार विकास होता रहा, देश आगे बढ़ता रहा, लेकिन गाँव पिछड़ते रहे और गाँव के पिछड़ेपन का आलम तो यहाँ तक रहा कि हमारे गाँव के व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाए और उसको श्मशान में अंतिम संस्कार के लिए ले जाना पड़े, तो वह अंतिम संस्कार भी बारिश के दिनों में बड़ी मुश्किल से हो पाता था। ऐसी स्थितियाँ गाँव की थीं।

महोदय, गाँव में जाने के लिए सड़क नहीं थी और नदी पार करने के लिए पुलें नहीं थीं, बारिश के दिनों में बच्चों को स्कूल जाने के लिए भी काफी संघर्ष करना पड़ता था और बच्चे बड़ी मुश्किल से स्कूल पहुँचते थे। इन परिस्थितियों में भी, मैं निवेदन यह करना चाहता हूँ कि सरकारें जागतीं, तो निश्चित तौर पर गाँव और तेज गति से आगे बढ़ता और गाँव का विकास होता, लेकिन इस उपेक्षा में हमारा गाँव पिछड़ता रहा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जब गाँव को आगे बढ़ाने की दिशा तय हुई, तो हमारे देश के पूर्व प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सबसे पहले इसकी सुध ली और गाँव को भी सड़कों से जोड़ा जाना चाहिए, इसके लिए वे 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' लेकर आए और उस योजना के माध्यम से गाँव को जोड़ने का काम उन्होंने प्रारंभ किया था। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह गति और तेज होती और जल्दी हमारे सारे गाँव सड़कों से जुड़ जाते। आज मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है, प्रसन्नता है कि हमारे गाँव को जोड़ने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी तक लगातार जारी है। नरेन्द्र मोदी जी ने लक्ष्य लिया कि हर गांव को सड़क से जोड़ देना चाहिए, कोई भी बस्ती बाकी नहीं रहनी चाहिए। आज मैं यह कह सकता हूं कि वह लक्ष्य 83 प्रतिशत पूरा हो चुका है और जो बाकी के गांव और 25 हजार बस्तियां बची हैं, उन बस्तियों को जोड़ने के लिए भी यहाँ हमारे बीच में बैठे भारत सरकार के माननीय मंत्री, शिवराज सिंह चौहान साहब ने इस बजट में 19 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी और माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। महोदय, जो नई बस्तियां हैं, उन नई बस्तियों को चिन्हित करके भी भारत सरकार उनको सड़कों से जोड़ने का काम कर रही है।

महोदय, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि 2014 तक इस देश में 18 हजार गांव ऐसे थे, जो अंधेरे में डूबे हुए थे, जहां बिजली नहीं थी। उन गांवों में उजाला लाने में भी आजादी के बाद लगभग 65-68 साल लगे। 68 सालों के बाद भारत सरकार ने उनकी सुध ली। हमारे प्रधान

Contents Page

मंत्री, माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने लक्ष्य लिया कि 2019 के पहले उन सारे 18 हजार गांवों को बिजली से जोड़ा जाएगा। माननीय प्रधान मंत्री जी ने 18 हजार गांवों को बिजली से जोड़कर उन गांवों में प्रकाश देने का काम किया। उसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, जैसा मैंने कहा कि हमारे देश की आत्मा गांवों में बसती है और हमारे सभी पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि देश की आत्मा गांवों में बसती है, पर गांव विकसित नहीं होगा, तो आत्मा को जरूर चोट पहुंचती है। महोदय, हमारे गाँव के रहने वाले जो व्यक्ति हैं - अभी मेरे पूर्व वक्ता ने भी स्वामित्व योजना का जिक्र किया था - जिस घर में व्यक्ति रहता है, पहले उस घर का रिकॉर्ड भी उस व्यक्ति के नाम पर नहीं था। उस व्यक्ति के नाम पर वह रिकॉर्ड आने में भी 75 साल लग गए। यह गांव की उपेक्षा ही है। अगर यह उपेक्षा न होती, तो उसको स्वामित्व का पट्टा पहले ही मिल गया होता और उस स्वामित्व के आधार पर वह अपने घर का मालिक होता। महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस योजना के अंतर्गत अभी तक तीन करोड़ से ज्यादा लोगों को स्वामित्व के पट्टे दिए जा चुके हैं, पर इसमें अभी भी कुछ राज्य ऐसे हैं, जिन्होंने इस योजना का लाभ नहीं लिया। वहां के गांव का व्यक्ति अभी भी अपने घरों के स्वामित्व से वंचित है। उनमें से कुछ राज्य झारखंड, केरल, तमिलनाडु एवं तेलंगाना हैं। ऐसे राज्यों ने इस स्वामित्व योजना का लाभ अभी तक नहीं लिया है। महोदय, एक व्यक्ति जिस घर में रहता है, अगर उसका रिकॉर्ड उसके नाम पर नहीं है और उसे आवश्यकता पड़ गई कि उसे लोन लेना है, उसे उस घर को मोर्टगेज करना है और अन्य कामों में उसका उपयोग करना है, तो वह व्यक्ति लोन भी नहीं ले पाता है, उसको मोर्टगेज भी नहीं करा पाता है। यदि कोई उससे पूछ ले, तो वह अपने घर का रिकॉर्ड भी नहीं बता पाता है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस पर गांव के लोगों की सुध ली और स्वामित्व योजना प्रारंभ करके गांव के लोगों को उनके घरों का एक व्यवस्थित रिकॉर्ड देते हुए स्वामित्व के पट्टे देने का काम किया। भारत में यह एक बहुत बड़ा काम हुआ है। पहले व्यक्ति अपने घर का मालिक होते हुए भी अपने आपको मालिक नहीं बता सकता था, लेकिन अब उस काम को भारत सरकार ने पूरा किया है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को एक और बात के लिए धन्यवाद देता हूं। जैसा मैंने कहा कि गांवों को जोड़ने का काम तो भारत सरकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से कर रही थी, लेकिन ग्रामीण बस्तियां उस विकास से फिर भी वंचित थीं। गांवों को कीचड़ का सामना करना पड़ता था। महोदय, माननीय शिवराज सिंह जी जब मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, तो उन्होंने एक योजना चलाई थी। हमारे देश में यह धारणा है कि पंच परमेश्वर होता है और पंच परमेश्वर का न्याय सबको मान्य होता है। उन्होंने पंच परमेश्वर योजना चलाई थी और मध्य प्रदेश के हर गांव के अंदर की सड़क को पक्का करने का काम माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने किया था। इस तरह, गांवों को जोड़ने का काम भी हुआ और गांवों के अंदर की सड़कों को बनाने का काम भी हुआ। महोदय, आज मध्य प्रदेश की कोई भी बस्ती ऐसी नहीं है, जहां सीसी की सड़क न बनी हो और उसके बनने से वहां के लोगों को लाभ न मिला हो। महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार ग्रामीण विकास में अनेक आयामों पर काम कर रही है। गाँव में जिस व्यक्ति के पास

Contents Page

कच्चा मकान होता था, और मकान की बात तो छोड़िए, जब बरसात के दिन आते थे, तो गरीब आदमी की झोपड़ी में प्लास्टिक डालकर उसे रहना पड़ता था और उस प्लास्टिक से जब पानी टपकता था, तो घर के लोग घर में छाता लगाकर एक छाते के नीचे बैठने को मजबूर होते थे। उस मजबूरी को समझने का काम माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया। पहले कार्यकाल में 4 करोड़ और दूसरे कार्यकाल में फिर से 3 करोड़ आवास देकर माननीय प्रधान मंत्री जी ने सभी लोगों को पक्का आवास देकर घर का मालिक बनाने का काम किया है।

महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें सबसे ज्यादा तवज्जो महिलाओं को दी गई है और लगभग 3 करोड़ आवास महिलाओं के नाम पर करने का काम माननीय प्रधान मंत्री जी ने किया है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, मेरा निवेदन है कि गाँव में श्मशान हो, सामुदायिक शेड हो, सामुदायिक कार्यक्रम करने के लिए स्थान हो। बरसात के दिन होते थे और बरसात के दिनों में कभी भी कोई अनहोनी हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए और उसकी तेरहवीं भी करनी हो, तो व्यक्ति बारिश के जाने का इंतजार करता था कि बारिश चली जाएगी, तो उसके बाद तेरहवीं का कार्यक्रम किया जाएगा, लेकिन मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। माननीय मंत्री जी हमारे बीच में बैठे हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ग्रामीण विकास की दिशा तय करते हुए गाँव को पर्याप्त बजट देने का काम किया। उस आधार पर ग्रामीण विकास को एक नया आयाम मिला है और गाँव के लोग भी अब उन दिनों में अपने कार्यक्रम सामुदायिक भवन बनाते हुए और सामुदायिक शेडों का निर्माण करते हुए कर रहे हैं। गाँव के व्यक्ति की किसी अनहोनी में भी वे सामुदायिक भवन उनकी मदद कर रहे हैं।

महोदय, मेरा निवेदन है कि मध्य प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जहाँ की सड़कें बहुत अच्छी हैं, लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया है, माननीय मंत्री जी जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने गाँव की आंतरिक सड़कों को भी बेहतर बनाने का काम किया था। उसी तरह से सबसे पहले स्वामित्व योजना का काम भी मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ।

महोदय, लगभग 4 करोड़ घर संयुक्त रूप से बने हैं, लेकिन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को भी 67 लाख, 32 हजार, 842 आवास देने का काम भारत सरकार ने किया है। महोदय, इसी तरीके से अनुसूचित जनजाति के 63 लाख, 80 हजार, 726 व्यक्तियों को घर देने का काम भारत सरकार ने किया है। हमारे दिव्यांग भाइयों को भी 38,079 पक्के आवास देने का काम भारत सरकार ने किया है। हर व्यक्ति को उसका आवास मिल जाए, उसकी दिशा में भारत सरकार बहुत तेज गति से सभी आवासहीनों को आवास देने का काम कर रही है।

महोदय, मेरा दूसरा निवेदन यह है कि माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने जिस तरह से हमारी बहनों के लिए चिंता की है, वास्तव में उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। हमारी बहनें बरसात के दिनों में जब घर का चूल्हा जलाना होता था, वे लकड़ियाँ इकट्ठी करती थीं — हम तो गाँव के रहने वाले हैं, हमने देखा है — कि बहन जब लकड़ी इकट्ठी करती थी, तो छह

Contents Page

महीने का ईंधन घर में इकट्ठा करना होता था और वह लकड़ी काटने जब जंगल में जाती थी, तब किसी किसान या जमींदार के यहाँ अगर किसी ने उसे टोक दिया, रोक दिया और उसकी लकड़ी रखवा ली, तो उस बहन के मन में कितना दर्द होता होगा, उस दर्द को समझा जा सकता है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने उज्ज्वला गैस योजना प्रारंभ करके गाँव की इस समस्या का भी समाधान किया। आज 10-12 करोड़ से ज्यादा बहनों को उज्ज्वला गैस देकर उनके चूल्हे जलाने का काम माननीय प्रधान मंत्री जी ने किया है।

महोदय, मेरा निवेदन यह है कि ग्रामीण विकास के बहुत सारे आयाम हैं। उन आयामों में एक यह भी है कि गाँव तक सिंचाई पहुँचती नहीं थी। प्रधान मंत्री सिंचाई योजना प्रारंभ करके हर खेत को पानी देने की दिशा में भी माननीय प्रधान मंत्री जी ने बड़ी पहल की है। यह काम पहले केवल राज्यों के जिम्मे छोड़ दिया जाता था, लेकिन राज्यों से आगे बढ़कर माननीय प्रधान मंत्री जी ने 'प्रधान मंत्री सिंचाई योजना' प्रारंभ करके सिंचाई में पहल की, ताकि आज हर किसान के खेत को पानी मिले, हर हाथ को काम मिले। उस दिशा में पहल की है और मैं इसके लिए भी माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में गांव का विकास, देश का विकास है और गांव के विकास के लिए, अगर स्कूलों की बात कही जाए, मंडियों की बात कही जाए, विकास के जो अन्य आयाम हैं, अस्पतालों तक पहुंच बनाने के काम की बात कही जाए, तो वे सारे काम माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने किए हैं और इस दिशा में लगातार पहल करते हुए भारत सरकार गाँव के विकास को लगातार आयाम दे रही है।

महोदय, कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए और हमारे देश का गाँव और अच्छा बने, उस दिशा में भारत सरकार ने लगातार प्रयास किए हैं। उनके प्रयासों में कई सारी पहलें सामने आई हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार सतत बहु मौसमी, ग्रामीण संपर्क के माध्यम से कार्य करे। मैंने आपसे मोदी सरकार की प्रधान मंत्री सड़क योजना का निवेदन किया गया है। इसके साथ ही भारत सरकार की जो पहल है, उसमें विशेषकर कनेक्टिविटी के साथ-साथ हरित तकनीक में नवाचार की दिशा में भी सरकार सतत काम कर रही है। अब तक 1.31 लाख किलोमीटर की सड़कें बनाई गई हैं। इसके साथ ही भारत सरकार विभिन्न रोजगार योजनाओं को भी आयाम देने का काम कर रही है। महोदय, अभी विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन, वीबी - जी राम जी की बात आई थी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने इस वीबी - जी राम जी को नए स्वरूप में लाते हुए, इसमें जो व्यवस्थाएं दी हैं, उन व्यवस्थाओं में पहले 100 दिन का रोजगार देने की व्यवस्था रोजगार गारंटी योजना में था, लेकिन अब उसमें 125 दिन का रोजगार देने की जो व्यवस्था माननीय मंत्री जी ने की है, माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने जो व्यवस्था की है, मैं उसके लिए भी माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। महोदय, भारत सरकार ने इन योजनाओं को गांव और किसान के अनुकूल बनाने का काम किया है, मैं उसके लिए भी माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। पहले जब रोजगार गारंटी में काम चलते थे, तो उन कामों के चलते हुए जब खेती में काम होता था, तो खेती के काम के समय मजदूर या तो

Contents Page

रोजगार गारंटी में काम कर ले या खेत में किसानों के साथ काम कर ले, उसको एक ही तरफ का रोजगार मिलता था, पर इस नई योजना में उन्होंने व्यवस्था की है कि इसमें 60 दिन का ब्रेक दिया जाएगा और 60 दिन के ब्रेक के बाद राज्य वापस अपना कैलेंडर बनाएगा। उस राज्य के कैलेंडर के हिसाब से वीबी - जी राम जी में जब फसल चक्र के हिसाब से काम का सीजन खेती में होगा, तो काम को रोक दिया जाएगा और मजदूर किसान के साथ मिलकर मजदूरी भी करेगा और रोजगार प्राप्त करेगा। उसके साथ ही साथ जब खेती में काम निपट जाएगा, तो उसको 125 दिन का रोजगार देने का काम किया जाएगा। मैं इसके लिए भी माननीय मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस योजना को बनाने का काम किया है। यह योजना गांव के लोगों के रोजगार के लिए और उसके साथ-साथ जो ग्रामीण अधोसंरचना है, उसको विकसित करती है। पहले उस अधोसंरचना में यह योजना केवल गड्ढे खोदने और गड्ढे भरने की योजना के रूप में पहचानी जाती थी, इसमें कोई भी स्थायी अधोसंरचना बनती नहीं थी, लेकिन अब इस योजना के माध्यम से स्थायी अधोसंरचनाएं भी बन पाएंगी। अगर हमें सामुदायिक भवन बनाना है, तो उस सामुदायिक भवन को बनाने का निर्णय ग्राम पंचायत करेगी, विकसित ग्राम पंचायत करेगी। अगर उसके बाद कोई अन्य अधोसंरचना लेनी है, कोई तालाब लेना है, बांध लेना है या और कोई काम लेना है, तो पक्के काम लेने का काम, जो ग्राम पंचायत योजना बनाकर भेजेगी, उस योजना के आधार पर उसको मंजूरी दी जाएगी। उस मंजूरी के साथ इस योजना के माध्यम से गांव का विकास भी तेज गति से बढ़ेगा।

महोदय, इसमें हमारे मजदूर भाइयों को भी जहां 125 दिन के रोजगार की गारंटी इस योजना में मिलेगी, वहीं उसके साथ-साथ, अगर 2 महीने की खेती में काम है तो उन्हें 60 दिन का रोजगार भी इस योजना में उधर से मिलेगा। इसके लिए भी मैं माननीय मंत्री जी और माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि इस योजना को किसानों के साथ जोड़कर, खेती के कैलेंडर के साथ जोड़कर इस योजना का अच्छा परिणाम प्राप्त हो, इस दिशा में पहल की गई है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही, इसमें राज्यों को जिम्मेदारी दी गई है कि 40 प्रतिशत राशि राज्य मिलाएगा, 60 प्रतिशत राशि केंद्र की होगी। राज्य जो 40 प्रतिशत राज्य मिलाएगा, तो निश्चित तौर पर उसकी जो अधोसंरचनाएं बनेंगी, उसमें राज्यों का अधिकार भी प्रदर्शित होगा। वे अधोसंरचना को बनाने की दिशा में ज्यादा ध्यान देकर अच्छी पहल करेंगे, ज्यादा मजबूती से पहल करेंगे और मजबूती से पहल करते हुए, वे उस योजना का ज्यादा लाभ लेने का काम करेंगे।

महोदय, भारत सरकार जिस तरीके से गाँव के विकास को दिशा देने का काम कर रही है, उन्होंने उस दिशा में बहुत सारे काम पूरे कर दिए हैं, जैसे सड़कों का काम लगभग पूरा हो गया है, स्वामित्व योजना का काम कई गांवों में पूरा होने जा रहा है। इसके साथ-साथ, जो हमारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, उसका लाभ भी अधिकांश गाँवों में पहुंचा है। माननीय मंत्री, शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि मध्य प्रदेश में जो केवल सात लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती थी, लेकिन उनके मुख्य मंत्री रहते हुए, उनके प्रयासों से और

Contents Page

अभी के जो हमारे मुख्य मंत्री हैं, डा. मोहन यादव जी, उनके प्रयासों से अब मध्य प्रदेश में 52 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हो गई है।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): अब आप समाप्त कीजिए।

श्री बंशीलाल गुर्जर: हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए माननीय मंत्री, शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस तरीके से काम किया, माननीय मुख्य मंत्री, डा. मोहन यादव जी ने जिस तरीके से काम किया है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, मैं एक बात का और उल्लेख करना चाहता हूँ कि मैं जिस मंदसौर जिले से से आता हूँ, उस जिले का कोई भी गाँव ऐसा नहीं बचा -- पहले किसी भी गाँव में सरकारी संसाधनों से केवल दो प्रतिशत सिंचाई सुविधाएं थीं, लेकिन आज शत-प्रतिशत सिंचाई सरकारी संसाधनों से हो रही है। इसके लिए भी मैं माननीय मंत्री, शिवराज सिंह चौहान जी और डा. मोहन यादव जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने शत-प्रतिशत खेतों तक पानी पहुंचाने का काम किया है। महोदय, ग्रामीण विकास का इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। मेरा निवेदन है कि गाँव का विकास तभी होगा, जब सरकारों का गाँव के प्रति उदारतापूर्वक विकास करने का संकल्प होगा और अगर सरकारें विकास के संकल्प को पूरा करना चाहती हैं, तो निश्चित तौर पर गाँव विकसित होगा।

महोदय, जब मैंने शुरुआत की थी, तब मैंने एक निवेदन किया था। भारत की इकोनॉमी में हमारे किसानों का योगदान पहले 60 प्रतिशत था, वह 2014 तक घटते-घटते पौने 14 प्रतिशत रह गया। मोदी जी के प्रयासों से वह अब बढ़कर 20 प्रतिशत तक पहुंचा है। हम उम्मीद करते हैं कि लगभग 58 प्रतिशत से 62 प्रतिशत किसान खेती करते हैं, तो हमारा शेयर भी हमारी जनसंख्या के मान से होना चाहिए। इस दिशा में माननीय मंत्री जी और माननीय प्रधान मंत्री जी के जो प्रयास हैं, वे सराहनीय हैं। मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि जिस तेज गति से हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, उससे किसानों की आमदनी देश में उनकी जनसंख्या के आधार पर, जिस हिस्से के वे हकदार हैं, उनका वह हक उन्हें मिलेगा। यही निवेदन करते हुए, माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छे से जो ग्रामीण विकास का खाका तैयार किया है और उसमें 1,97,000 करोड़ रुपए से अधिक के जो पर्याप्त बजट प्रावधान किए, उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को, माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि उनके नेतृत्व में हमारा ग्रामीण विकास नया आयाम लेगा। जैसे शहर विकसित हुए हैं, वैसे ही गाँवों का भी विकास होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): धन्यवाद। डा. भीम सिंह।

SHRI JAIRAM RAMESH (Karnataka): Sir, the time allotted was four hours. That time is over. The Minister is sitting here. Why can't he reply to the discussion? आप इसे इतना लम्बा क्यों खींच रहे हैं? आपके पास बिज़नेस ही नहीं है। ...(**व्यवधान**)... आप इसे ही लम्बा

Contents Page

खींचते जा रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... आपको चार घंटे का समय दिया गया था। आप सबको बुलवा रहे हैं!

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Hon. Members, we still have some speakers. Don't disturb the speaker. Dr. Bhim Singh.

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): सर, ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Sorry, Sanjay Singh *ji*, you cannot force it. We have many speakers.

श्री संजय सिंह: सर, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ। ...(**व्यवधान**)... आप सुन नहीं रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री जयराम रमेश: सर, आप इसे लम्बा खींचते जा रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): You cannot take away the time of others. ...*(Interruptions)*... You are not speaking. ...*(Interruptions)*... He is speaking. डा. भीम सिंह जी, आप शुरू कीजिए। ...(**व्यवधान**)... उसमें कोई प्वाइंट नहीं है।

श्री शिवराज सिंह चौहान): प्रतिपक्ष के मित्र भी कह रहे थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, गांव का विकास ही भारत का विकास है। अब भारत का विकास गांव का विकास है, तो चर्चा होने दीजिए। चर्चा में आपको क्या आपत्ति है? ...(**व्यवधान**)... आप चर्चा में गैर-गंभीर क्यों हैं? ...(**व्यवधान**)... आप भी अपने वक्ता लाइए। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंह: सर, मुझे केवल 30 सेकंड दे दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): आप बोलिए। केवल 30 सेकंड।

श्री संजय सिंह: सर, जब बीएसी होती है, तो उसमें समय का निर्धारण होता है। उसमें सत्ता पक्ष के लोग बैठते हैं और विपक्ष के लोग भी बैठते हैं। आप निश्चित रूप से चाह रहे हैं कि यह चर्चा लंबी चले। इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): मेम्बर्स चाहते हैं कि यह चर्चा लंबी चले।

श्री संजय सिंह: सर, मेरी रिक्वेस्ट तो सुन लीजिए। आपके लोगों को 2 घंटे 21 मिनट ज्यादा समय मिला, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप आधा-एक घंटा और समय लेना चाहते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): सभी पार्टियों को ज्यादा समय चाहिए, तो वह मिलेगा।

Contents Page

श्री संजय सिंहः सर, हमारे मेम्बर्स को भी टाइम दीजिए। इधर के मेम्बर्स को भी तो टाइम दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता)ः इधर के मेम्बर्स को भी टाइम मिलेगा और मैंने दिया है। मैंने शक्तिसिंह गोहिल जी को टाइम दिया है। ...(**व्यवधान**)... डा. भीम सिंह जी। ...(**व्यवधान**)... आप उनको डिस्टर्ब मत कीजिए।

डा. भीम सिंह (बिहार)ः माननीय सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे ग्रामीण विकास के अनुदान मांगों पर हो रही चर्चा में भाग लेने की अनुमति प्रदान की है। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता)ः मैंने यह कहा है कि जब आपके स्पीकर का नाम आएगा, तो उनको भी समय दिया जाएगा, जैसा कि मैंने ऑलरेडी दिया है। ...(**व्यवधान**)... मैंने कांग्रेस पार्टी को एक्स्ट्रा टाइम दिया है। आगे स्पीकर का नाम आएगा, तो और टाइम मिलेगा। अब डा. भीम सिंह जी को बोलने दीजिए।

डा. भीम सिंहः माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने वित्तीय वर्ष 2026-27 के संदर्भ में ग्रामीण विकास की अनुदान मांगों के संबंध में हो रही चर्चा में मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है। मैं अपने मुख्य सचेतक महोदय आदरणीय लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मेरा नाम पार्टी की ओर से बोलने के लिए दिया है। ग्रामीण विकास और ग्रामीण क्षेत्र, ऐसा विषय है, जिस पर चर्चा होनी ही चाहिए। वह कितनी भी लंबी हो, उसकी अधिक से अधिक बात होनी चाहिए। हमारे कांग्रेस पार्टी के मित्रों को और कांग्रेस के अगल-बगल बैठने वाली पार्टी के मित्रों को पता नहीं गांव से क्या चिढ़ है कि गांव पर जब चर्चा होती है, इन लोगों को पेट में दर्द होने लगता है। गांव की चर्चा हो, विस्तृत चर्चा हो। यहां पर सदस्यों के द्वारा कहा गया कि देश की आत्मा गांव में बसती है। यदि आत्मा ही नहीं रहेगी, तो शरीर के बारे में क्या कहा जाएगा।

महोदय, मैं बिहार से आता हूं। हमारे यहां पाटलिपुत्र प्राचीन राजधानी रही है और उससे पहले राजगीर राजधानी रही है, जो लगभग 1,000 वर्षों तक रही है। लगभग उन्हीं 1,000-1,200 वर्षों तक जो भारत का प्राचीन इतिहास है, उसे हम स्वर्ण युग कहते हैं। यह स्वर्ण युग कैसे था? यह स्वर्ण युग इसीलिए था कि देश का जो शासन था, वह गांव पर ध्यान देता था और उसका शासन का केंद्र बिंदु गांव होता था। उसके बाद जो विदेशी आक्रमणकारी आए, जो तुर्क आए, मुगल आए, अफगान आए, इन लोगों का जो शासन हमारे दुर्भाग्य से भारत पर हुआ, उन लोगों ने ग्रामीण विकास पर ध्यान नहीं दिया। आप देखेंगे कि मुस्लिम काल के यहां अनेक स्मारक बने हुए हैं। ताजमहल भी उनमें से है और लाल किला भी उनमें से है। ऐसे-ऐसे स्मारक जिन पर उस समय भी करोड़ों में खर्च हुए होंगे, लेकिन उन लोगों ने, उन मुगलों ने एक भी सिंचाई का साधन नहीं बनाया, एक भी तटबंध नहीं बनाया। इसलिए हमारे गांव में किसान और कृषि मरती चली गई। उसके बाद अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने भी, हमारी जो ग्राम पंचायत की व्यवस्था थी, उन्होंने उस ग्राम पंचायत की व्यवस्था को मारा। उन्होंने गांवों के विकास पर ध्यान नहीं दिया। गांवों में कैसे खेती हो,

Contents Page

उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने रेलवे जरूर चलाई, लेकिन रेलवे चलाने का उनका मकसद क्या था? उनका मकसद यह था कि यहां जो संसाधन हैं, उनको हम खींच कर विदेश में ले जाएं। उन्होंने हमारे लिए सिंचाई का प्रबंध नहीं किया, तटबंध का प्रबंध नहीं किया और किस तरह से खेती का या गांव का विकास हो, इसका इंतजाम नहीं हुआ। इसीलिए गांव की यह हालत हो गई और किसानों की यह हालत हो गई कि कवि को लिखना पड़ गया; कांग्रेस शासन में भी उनकी हालत यही रही, इसीलिए कवि को लिखना पड़ गया कि:

"बरसा रहा है रवि अनल, भूतल तवा सा जल रहा,
है चल रहा सन सन पवन, तन से पसीना बह रहा,
देखो कृषक शोषित, सुखा कर हल तथापि चला रहे,
किस लोभ से इस आंच में, वे निज शरीर जला रहे।"

किसान अपने शरीर को जलाते रहे, लेकिन उनके लिए कांग्रेस पार्टी के लोगों ने और यूपीए सरकार के लोगों ने कोई भी ध्यान नहीं दिया।

महोदय, ऐसे तो ग्रामीण विकास पर काफी चर्चा होगी और मैं भी उसमें आगे कुछ बिंदुओं के ऊपर बोलूंगा, लेकिन जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं उसे बताना चाहूंगा। यहां पर जयराम रमेश जी बैठे हैं। जब यूपीए की सरकार थी, तब वे यूपीए सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री थे और इसी विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आती है। मैं बिहार में कई विभागों का मंत्री रहा हूं, लेकिन मेरे पास एक विभाग यह भी था - रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट, जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आती थी। उस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कोई काम नहीं हो रहा था। जयराम रमेश जी गवाह हैं कि बिहार को जो निधि जारी होती थी, इनके पहले के मंत्री ने उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। इनका विकास का रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि विकास को रोकने का रिकॉर्ड है। हम यह जरूर कहेंगे कि जयराम रमेश जी ने व्यक्तिगत तौर पर उससे जो अवरोध पैदा हुआ था, उसे दूर करके उसको चालू करने में सहायता की थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी का as a whole यही दृष्टिकोण है। उसका यह जो दृष्टिकोण था, वह क्यों था, क्योंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हमारे नेता, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा लाया गया था। इनको यह पसंद नहीं था कि गांवों में विकास का काम हो। इन्होंने कोई अच्छे-अच्छे काम नहीं किए। तब के हमारे प्रधान मंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अनेक काम किए, उनमें एक काम यह भी था कि गांव की सड़कें बनें, अवसंरचना का विकास हो। महोदय, जब गांव की सड़कें बनती हैं, तो अर्थव्यवस्था में काफी सुधार होता है। यह रिकॉर्ड बताता है, अध्ययन बताता है, विश्व बैंक बताता है। इनके किसी भी शासन काल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का काम नहीं हुआ था और रोक लग गई थी। लेकिन अब जब से हमारे प्रधान मंत्री, मोदी जी आए हैं, तो वे उस काम को और भी तेजी से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की भौतिक उपलब्धि बहुत अच्छी है। योजना चालू की अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और इसको ऊंचाई पर पहुंचाने का काम हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र भाई मोदी जी ने किया है। अब तक 8,49,320 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें स्वीकृत हुई हैं, जिनमें से 7,91,269 किलोमीटर सड़कें पूर्ण भी हो चुकी हैं। इस वित्तीय वर्ष में भी

Contents Page

इसके लिए 19,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अभी इस 19,000 करोड़ रुपए से हम आगे और भी निर्माण करेंगे। जो बसावटें बच गई हैं, उन बसावटों को भी जोड़ने का काम किया जाएगा।

महोदय, मैं पुल-पुलिया के बारे में भी कहना चाहूंगा। आप देखिए कि गांव में बीच में एक नदी आ गई, एक उधर रह गए, एक इधर रह गए, लेकिन इनको जोड़ने का कोई साधन नहीं था। हमारी सरकार ने पुल-पुलियों का भी निर्माण करने का काम किया। अब तक 10,452 पुलों का निर्माण किया जा चुका है। इस प्रकार, यह जो हमारी सरकार है, यह अद्भुत सरकार है। वह चरणबद्ध ढंग से ग्रामीण सड़कों का निर्माण कर रही है। PMGSY-III - यह तीसरा चरण, चौथा चरण जो आदरणीय प्रधान मंत्री मोदी जी के शासनकाल में आया है, इससे अन्य जो बसावटें हैं, 25,000 नई बसावटें, उनको भी जोड़ने का काम किया जाएगा। विशेष क्षेत्रों में कनेक्टिविटी, प्रधानमंत्री जनमन योजना - हमारे जो आदिवासी भाई हैं, उनके गांवों की तरफ कोई ताकता नहीं था। वे उपेक्षित न रह जाएं, इसलिए हमारी सरकार ने उन आदिवासी गांवों को भी जोड़ने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाने का काम किया है। एक 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' है। हमारे जो सीमावर्ती गांव हैं, हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा कि वे हमारे देश के अंतिम गांव नहीं हैं, बल्कि हमारे देश के प्रथम गांव हैं और उनको प्रथम गांव मान कर, अनेकों कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन गांवों को एक आदर्श गांव के रूप में, एक वाइब्रेंट विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें सड़कों की भी अहम भूमिका है। इन सारे निर्माणों में हम पूरी अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, जिससे हमारी सड़कें हरित ढंग से भी बन रही हैं। ये सारी स्थितियां, ये सारे सुधार, हमारी सरकार कर रही है।

महोदय, गांव में अधिकतर जो जनसंख्या है, वह गरीब है और गरीब लोगों के पास मकान नहीं होता। सबों के घर पर छत हो, ताकि – जैसा हमारे बंशी भाई ने कहा कि लोगों के मकान में टप-टप करके पानी चूता था, उनकी खटिया पर चूता था, लेकिन वैसे में भी वे रहने के लिए मजबूर थे, तो उनकी वैसी स्थिति नहीं हो, इसके लिए प्रधान मंत्री जी ने आवास योजना, ग्रामीण आवास और शहरी आवास, दोनों का काम किया है। मैं अभी ग्रामीण आवास की चर्चा करूंगा। यह जो ग्रामीण आवास योजना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, यह पहले भी थी। ऐसा नहीं है कि वह पहले नहीं थी, लेकिन उसकी गति क्या थी? उसकी गति यह थी कि 2004 से 2014 के बीच में, 10 वर्षों में जो मकान बने, उनकी संख्या काफी कम है। वे जो मकान बनते थे, उनके लिए जो राशि दी जाती थी, वह भी काफी कम थी। वह मात्र 70,000 रुपये थी या पहाड़ी क्षेत्रों में 1 लाख, 20 हज़ार थी। वह मकान 20 वर्ग मीटर का बनता था। उसमें कोई शौचालय नहीं, कोई kitchen नहीं होती थी। लेकिन हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने इसको बढ़ाने का काम किया। अब जो प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, वे 25 वर्ग मीटर में बन रहे हैं। उन्होंने योजनाओं का convergence किया है, सम्मेलित करने का काम किया है। अब प्रधानमंत्री आवास में kitchen भी बन रहा है, शौचालय भी बन रहा है। मनरेगा के तहत उसे converge किया गया। उसके तहत 12,000 रुपये भी दिये जाते हैं। अब रसोई गैस का सिलेंडर भी दिया गया और महिला सशक्तिकरण के लिए भी उसको एक उपाय के रूप में उपयोग किया गया। ये जो आवास बन रहे हैं, उनका स्वामित्व अब

Contents Page

महिलाओं के नाम पर किया जा रहा है। जब यह महिलाओं के नाम पर किया जा रहा है, तो उसमें अन्य कई तरह के incentives भी दिए जा रहे हैं। हमने सिर्फ मकान नहीं बनाये हैं, बल्कि उन मकानों में हमने नल से जल की आपूर्ति करने का काम भी किया है। 'हर घर जल' हमारी एक योजना है। 'हर घर जल' योजना से अब तक 15 करोड़ घरों में हमने स्वच्छ जल पहुंचाने का काम किया है।

(**उपसभापति महोदय** *पीठासीन हुए।*)

हमारी सरकार बधाई की पात्र है। ये पीने का पानी तक नहीं पहुंचा पाए थे, लेकिन हमारी सरकार ने 15 करोड़ घरों को पानी का पानी पहुंचाने का काम किया है। अगर हम बिजली की बात करें, तो जैसा कि आप जानते हैं कि देश में 18,000 गांव ऐसे थे, जहाँ लोगों ने बिजली का खंभा नहीं देखा था, बिजली की बत्ती नहीं देखी थी। मोदी जी ने सत्ता में आने के साथ ही दो-तीन वर्षों के अंदर उन 18,000 वंचित गाँवों में बिजली पहुँचाने का काम किया। आज देश में जितने भी गाँव हैं, वे सभी गाँव इलेक्ट्रीफाइड हैं, सभी घरों में बिजली पहुँच गई है।

महोदय, बिहार में तो अद्भुत काम हुआ है। बिहार में तो डबल इंजन की सरकार ने ऐसा काम किया कि वहाँ अब गाँव में भी 18 से 20 घंटे बिजली रहती है। मैं बिहार से आता हूँ, इसलिए बिहार को अंडरलाइन करना चाहता हूँ। यह काम वहाँ के मुख्य मंत्री के सक्षम नेतृत्व और माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के परम समर्थन व परम सहयोग से हुआ है। हमने केवल घर ही नहीं दिया, पानी ही नहीं दिया, बल्कि आप जानते हैं कि जब कोविड का संकट आया, तो गाँव के लोगों को खास तौर पर रोजगार की कमी हो गई, हमारे जो प्रवासी मजदूर थे, वे घर वापस आ गए और उनके खाने के लिए अनाज की कुछ कमियाँ महसूस हुईं, तो हमारी सरकार ने, हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी ने 'गरीब कल्याण अन्न योजना' चालू की। आज हमारी सरकार इस योजना के माध्यम से 81 करोड़ से अधिक लोगों के घरों में अनाज भी पहुँचा रही है। आज उनके लिए घर है, खाने के लिए अनाज है, पीने के लिए पानी है और बिजली से उनका घर चकाचक कर रहा है। उनके लिए ये सारी सुविधाएँ हैं। इसके अतिरिक्त यदि किसी को इलाज की भी जरूरत हो, तो इलाज के लिए भी 'आयुष्मान भारत योजना' भी मौजूद है। हमारी सरकार हर एक क्षेत्र में काम कर रही है। अभी अनाज की चर्चा की, तो अब यह प्रश्न आया कि बिना रसोई गैस के खाना कैसे बनेगा? लकड़ी की समस्या पर हमारे साथी बंशीलाल जी ने आपको बताया कि महिलाओं को दूर से लकड़ी लाने में तकलीफ होती थी। प्रधान मंत्री जी ने इस पर भी गौर किया और 'उज्ज्वला योजना' के तहत लगभग सभी घरों में गैस सिलेंडर पहुँचाने का काम किया है। जहाँ तक आम उपभोक्ता का संबंध है, 2014 तक, जब यूपीए सरकार थी, उस समय तक भारत में केवल 14 करोड़ गैस उपभोक्ता थे, जबकि आज हमारे देश में 32 करोड़ से भी ज्यादा गैस उपभोक्ता हो चुके हैं। गैस कवरेज 99.9 परसेंट हो गया है। इतना सब कुछ हमारी सरकार कर रही है।

महोदय, ये जिस 'मनरेगा' का ढोल पीटते हैं, उस 'मनरेगा' के तहत भी इन्होंने कुछ नहीं किया था। यूपीए सरकार के शासनकाल के दौरान 2006-07 में 'मनरेगा' का बजट 11,300 करोड़ रुपए का था और 2013-14 में इनका अधिकतम बजट था, जो 33,000 करोड़ रुपए का था, लेकिन

Contents Page

हमारी सरकार ने इसको बढ़ा कर 2025-26 में 86,000 करोड़ रुपए तक ले जाने का काम किया था। अब 'वीबी - जी राम जी' आया है। राम जी की जय हो। अब राम जी का नाम आते ही ये बहुत चिढ़ते हैं। राम जी के नाम से इनको इतनी चिढ़ होती है, लेकिन जो 'वीबी - जी राम जी' आया है, इसके तहत भी 95,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है और 'मनरेगा' के काम में भी अगर कोई बकाया है, तो उसके लिए भी 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये 'मनरेगा' का ढोल तो पीटते हैं, लेकिन इनके यूपीए शासन काल के 10 वर्षों के दौरान 'मनरेगा' के तहत केवल 2,13,000 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, जबकि हमारी सरकार, यानी मोदी जी की सरकार ने पिछले 11 वर्षों में 8,53,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, जो उनके आवंटन से चार गुना ज्यादा है। हम मनरेगा को क्यों मारेंगे? हमने तो मनरेगा में आपसे चौगुना दिया! लेकिन समय बदल गया है, टेक्नोलॉजी बदल गई है, आवश्यकता बदल गई है, इसलिए हमने उसे संशोधित रूप में "जी राम जी" के नाम से लाया है। "जी राम जी" के तहत भी जो काम होंगे, उनमें स्थाई और टिकाऊ काम पर जोर दिया गया है। इसमें मजदूरों के काम के दिवस भी बढ़ाये गये हैं। पहले मनरेगा कानून के तहत जहाँ 100 दिनों के रोजगार की गारंटी थी, वहीं अब 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है। हम काम की निगरानी भी करेंगे। CAG ने कई जगह पर पाया, कई राज्यों में पाया कि गड़बड़ी होती है, तो हमने इसमें यह व्यवस्था की है कि अब मजदूरों की अटेंडेंस भी हो। हमने इसमें यह व्यवस्था भी की है कि उनकी मजदूरी का तत्काल रियल टाइम भुगतान हो, उनको उसके लिए बहुत दिन तक इंतजार न करना पड़े। इन सारे संशोधनों में टेक्नोलॉजी का सहारा लेने की आवश्यकता थी और उस आवश्यकता के अनुरूप एक नया कानून लाया गया। इसके तहत हमने देश का एक नक्शा बनाया है। हमारे प्रधान मंत्री जी ने देश का एक नक्शा बनाया है कि 2047 तक विकसित भारत होगा। उस विकसित भारत का यह प्रस्थान बिंदु है। जी राम जी की जो यह स्कीम है, यह प्रस्थान बिंदु है। उसके लिए यह रोड मैप का काम करेगा। इससे स्थायी संपत्ति का निर्माण होगा। अब मनरेगा के तहत इन्होंने काम कितना दिया, मैं यह भी बताता हूँ। मनरेगा के तहत जो रोजगार सृजन हुआ, उसका डेटा बताता है कि 1,660 करोड़ कार्यदिवस आपने सृजित किया। हमारी सरकार ने इसको लगभग डबल से भी ज्यादा कर दिया। ...(**समय की घंटी**)... हमारी सरकार ने 30,029 करोड़ कार्यदिवस सृजित करने का काम किया है। हमारी सरकार ने इसको भी डबल करने का काम किया है। ...(**समय की घंटी**)... सर, दो-चार मिनट और दे दीजिए।

श्री उपसभापतिः अब आप कन्क्लूड कीजिए।

डा. भीम सिंहः जी, सर। मैं कन्क्लूड ही कर रहा हूँ।

DR. JOHN BRITTAS: Sir,... ...(*Interruptions*)...

श्री उपसभापतिः माननीय ब्रिटास जी, सारे लोगों को समय मिला, इसलिए उनको भी मिला। Please.

Contents Page

डा. भीम सिंहः महोदय, गांव की महिलाओं के अवसर बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का गठन किया है। ...(**व्यवधान**)... अब 10 करोड़ से अधिक महिलाएं हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ गई हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः कृपया आपस में बात न करें। ...(**व्यवधान**)... John Brittas*ji*, Chair will decide.

डा. भीम सिंहः हमारे प्रधान मंत्री ने चार करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का निर्णय लिया है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि ये जो सारा काम हो रहा है, इससे ...(**व्यवधान**)... सुनो भाई, सुन लो। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. John Brittas, जो भी नाम यहां लिखे हुए हैं, I will call all of them. ...(*Interruptions*)... There is a procedure for that. ...(*Interruptions*)...

डा. भीम सिंहः महोदय, अब मैं एक मिनट में कन्क्लूड कर रहा हूँ। अब जो गांव की स्थिति बदली है...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Up to 2.30 pm, जो भी नाम आए हैं, they have all been included. ...(*Interruptions*)... Please. I will give him... ...(*Interruptions*)... Let him finish. ...(*Interruptions*)... John Brittas*ji*.

DR. JOHN BRITTAS (Kearla): My point is very simple. While we were speaking, when we exceeded three minutes, there was a *hulla-gulla* from that side. There was bell ringing. We stopped after three-four minutes. Now, two hours forty two minutes has been exceeded from this side. Now, I cannot speak again. Otherwise, you should tell me, if you want...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, John Brittas*ji*, अन्य सदस्यों की मांग पर सदन ने तय किया, वही माननीय चेयरमैन ने डिसीजन लिया, वही फॉलो हो रहा है।

DR. JOHN BRITTAS: Sir, I agree. ...(*Interruptions*)... Sir, you didn't hear what I am saying.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. I got your point, please. ...(*Interruptions*)...

DR. JOHB BRITTAS: No, no. My last point is...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, I got it. ...(*Interruptions*)...

DR. JOHN BRITTAS: One second, Sir. If at all, we want to speak further, the other points which we could not speak, will you allow us, Sir? That is the question.

Contents Page

श्री उपसभापतिः जो नए नाम आए हैं और सदन ने सहमति व्यक्त की है, उसी से यह decision हुआ है और सदन चल रहा है। माननीय श्री बृज लाल जी। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंहः सर, ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः माननीय संजय जी, ढाई बजे तक जो भी नाम आए हैं, वे इन्क्लूड किए गए हैं। भीम सिंह जी, आप बोलें। ...(**व्यवधान**)...बृज लाल जी, एक मिनट।

डा. भीम सिंहः महोदय, मैं concluding line ही बोलूंगा। सारे कामों से आज गाँव में हरा-हरा है

श्री उपसभापतिः धन्यवाद, भीम सिंह जी।

डा. भीम सिंहः और कवि कहते हैंः

"हरी-भरी खेत लहराती, मंद समीर सदा मुस्काती।
गाय-बैल खेतों में जाते, किसान श्रम से अन्न उगाते।
सादा भोजन, सादा वेश, नहीं छल-कपट का परिवेश।..."

श्री उपसभापतिः भीम सिंह जी, आपका समय ओवर हो चुका है, धन्यवाद।

डा. भीम सिंहः

"मिल-जुल कर सब रहते लोग, सुख-दुख में सब होते योग।
प्रकृति की गोद में पलता जीवन, शुद्ध हवा और निर्मल सावन।
ऐसा प्यारा ग्राम निवास, जहाँ बसता सच्चा विश्वास।"

श्री उपसभापतिः माननीय बृज लाल जी, आप बोलिए।

श्री बृज लाल (उत्तर प्रदेश)**:** उपसभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यकरण की चर्चा में बोलने का अवसर दिया।

DR. JOHN BRITTAS**:** Sir*...(Interruptions)...*

श्री उपसभापतिः माननीय बृज लाल जी की बात ही रिकॉर्ड पर जा रही है। ...(**व्यवधान**)... आपको पहले ही बोलने का मौका दिया जा चुका है।

श्री बृज लालः महोदय, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गांव और ग्रामीण के विकास के लिए जो लक्ष्य तय किया है, उसमें गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों पर विशेष ध्यान देना ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN**:** John Brittas*ji,* आप बड़े seasoned Member हैं, please take your seat.

Contents Page

श्री बृज लाल: महिलाओं एवं अन्य कमज़ोर वर्गों की आजीविका के अवसर प्रदान करना ...(**व्यवधान**)...

DR. JOHN BRITTAS: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is not going on record.

श्री बृज लाल: ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा को सुनिश्चित करना शामिल है। परिवार को कम से कम 100 दिन ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. John Brittas, please take your seat.

श्री बृज लाल: महोदय, 100 दिन की जगह अब 125 दिन मजदूरों को काम देना और मजदूरी देना ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please take your seat.

श्री बृज लाल: ग्रामीण आबादी को all-weather road, बाज़ार तक, स्कूल तक पहुँचने के लिए connectivity देना। बीपीएल परिवारों को मूलभूत आवास, वृद्धजन, विधवाओं और दिव्यांगजनों को सामाजिक सहायता प्रदान करना। ग्रामीण जीवन में शहरी सुविधाएँ उपलब्ध कराना, जैसे पेयजल, गैस, स्वास्थ्य सेवा आदि और वह जमीन जो उपजाऊ नहीं रह गई है, उसको नेचर के आधार पर विकसित करना और उसे उत्पादक बनाना — महोदय ,यह मूल उद्देश्य है। महोदय, चूंकि हमारे पूर्व वक्ता काफी बोल चुके हैं। इसलिए मैं 'प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना' से शुरुआत करूँगा। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. I have already explained the things. Dr. John Brittas, it is not going on record. Please take your seat. ...*(Interruptions)*...

श्री बृज लाल: उपसभापति महोदय, मैं एक अति पिछड़े गाँव का रहने वाला व्यक्ति हूँ। सिद्धार्थनगर मेरे गाँव की सीमा नेपाल से लगता है। अभी वह आकांक्षी जिला है। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is no such provision. ...*(Interruptions)*...

श्री बृज लाल: महोदय, मैं एक शब्द से शुरुआत करूँगा, जो मेरे कानों में आज भी गूंजता है। जब शाम होने लगती थी, तो माँ कहती थी कि गोधूरि हो गया है। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will go as per rules now. ...*(Interruptions)*...

* Not recorded.

Contents Page

श्री बृज लालः महोदय, तो गोधूरि शब्द का अर्थ बाद में समझ में आया। इसका नाम है गोधूलि। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. John Brittas, nothing is going on record. Please take your seat.

श्री बृज लालः गोधूलि का मतलब होता था कि जब गायें शाम को चरकर गाँव में आती थीं और उस समय उनके पाँवों से जो धूल उठती थी, that was called *Godhuli*. ...*(Interruptions)*... वह गोधूलि बरसात के अलावा धूल होती थी और जब पानी बरसता था, तो वह कीचड़ में बदल जाती थी। महोदय, यह गाँव की स्थिति थी। ऐसी हालत में हमारे पूर्व प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सन् 2000 में 'ग्रामीण सड़क विकास योजना' की शुरुआत की। ...(**व्यवधान**)... महोदय, इसके लिए जो शुरुआत की गई, उसमें 8,25,114 किलोमीटर रोड बनाने का लक्ष्य था और उस लक्ष्य में 7,87,520 किलोमीटर सड़कें हम already बना चुके हैं। इसके लिए मैं प्रधान मंत्री जी को और हमारे माननीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ।

महोदय, ये phase-wise हुए हैं। इस समय यह चौथा फेज चल रहा है, जो 2024 से 2029 तक का है। इसके लिए कैबिनेट ने 70,125 करोड़ रुपये का फंड अप्रूव किया है। इसमें मोटे तौर पर 60 परसेंट सेंटर देता है और 40 परसेंट राज्य सरकारें देती हैं। हिमालयी स्टेट्स और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में, इसमें 90 परसेंट केंद्र सरकार का और 10 परसेंट संबंधित स्टेट गवर्नमेंट का शेयर होता है। महोदय, यह शेयर है और इस तरह से इन सड़कों का निर्माण होना शुरू हुआ। अब तो हर गांव कनेक्टिड है, स्कूल कनेक्टिड है, बाजार कनेक्टिड है। आप कहीं भी हों, आज गांव में भी मोटर साइकिलें हैं, चार पहिया कारें हैं। हम ईस्टर्न यूपी की बात कर रहे हैं, जहाँ पहले साइकिल भी नहीं होती थी, लेकिन आज यह स्थिति बन गई है, जिससे अब विकास ही विकास है।

महोदय, अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जिस पर हमारे प्रधान मंत्री जी ने विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने लेफ्ट विंग एक्स्ट्रिमिज्म अफेक्टेड एरियाज़ पर ध्यान दिया। जो नक्सल प्रभावित जिले हैं और स्टेट्स हैं, उनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश राज्य थे। ये जो नक्सल अफेक्टेड जिले थे, इसको उन राज्यों में शुरू किया गया। इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई। उपसभापति महोदय, यह क्यों किया गया? यह 2016 से शुरू हुआ, जब मोदी जी की सरकार आई। वे नक्सल अफेक्टेड एरियाज ऐसे थे, जहाँ उन्हें डेमोक्रसी पसंद नहीं थी। वहाँ जो स्कूल थे, वे तोड़ दिए गए थे, हाट बंद हो गए थे और वहाँ कोई जाता नहीं था। वहाँ पर उन्हीं का राज था और केवल उन्हीं का राज था। हमें इसको रेड कॉरिडोर बनाना है, इसलिए जो डेवलपमेंट था, वह खत्म हो गया था। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी जो लेफ्टिस्ट पार्टियाँ थीं, वे उनको सीधे सपोर्ट करती थीं और कहती थीं। महोदय, एक राइटर रहीं, जिनको बड़ा पसंद था, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने उन नक्सलाइट्स को, जो कत्लेआम कर रहे थे, उन्हें नाम दिया था—"Gandhi with Rifle" यह उस समय की मेंटेलिटी थी। महोदय, उसका जो हुआ, सो हुआ, पर अब मैं सड़क पर आता हूँ। प्रधान मंत्री जी ने उन जिलों में सड़क को क्यों चुना? यह इसलिए किया गया क्योंकि

Contents Page

नक्सलाइट्स ने सड़कें नहीं बनने दीं, नक्सलाइट्स ने स्कूल्स नहीं चलने दिये, बाजार नहीं चलने दिये और यह दशकों तक चलता रहा। उपसभापति महोदय, बंगलादेश का जितना एरिया है, भारत में उसके बराबर जंगल और एरियाज़ उन नक्सलाइट्स के कब्जे में थे। जब तक सड़क नहीं बनेगी, कनेक्टिविटी नहीं होगी, तब तक उस क्षेत्र का विकास नहीं होगा। उपसभापति महोदय, मैं एक नक्सलाइट्स को इंटेरोगेट कर रहा था। वे बिहार के रहने वाले थे, एम.फिल और पी.एच.डी. थे। वे यहाँ के एक फेमस दिल्ली विश्वविद्यालय से, सिंदरी के इंजीनियर थे। उन्हें आँख पर पट्टी बाँध कर लाया गया था। तब मैं एडीजी होता था। वे बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलते थे। मैंने भी उनसे अंग्रेजी में बोला। वे बोले—"What is your rank?" I said, "I am a Sub Inspector, Sir." वे बोले — No, no, you can't be a Sub Inspector." मैंने कहा, Why not? Our Sub Inspectors are also Graduate and Post Graduate. वे इंचार्ज थे, सेंट्रल कमेटी के मेम्बर थे। He was Head. मुझे अभी भी याद है— Three USAC, 'Three U' means Uttar Bihar, Uttar Pradesh, Uttarakhand Special Area Committee. उसके हेड थे। उनकी पट्टी खोली गई। मैंने पूछना शुरू किया। मैंने कहा—आप यह बताएँ कि आपने बिहार में काफी एरिया कब्जा कर लिया, झारखंड में कर लिया, छत्तीसगढ़ में कर लिया, ओडिशा में कर लिया, आप यूपी में क्यों नहीं कर पाए? वे बोले, साहब, यूपी में हम लोगों ने चंदौली में, हिनौता घाट में 2004 में किया था। उसमें आपके 17 पीएसी जवानों को ब्लास्ट करके मार दिया गया था। उसके बाद आपने जो कार्रवाई शुरू की, तो जो कार्रवाई पुलिस की होती है, वह तो हुई ही, लेकिन आपने जो community policing शुरू की, उसने बहुत प्रभावित किया। महोदय, मैंने ट्राइबल्स के बीच जाकर उनके बच्चों की शादियाँ कराई। मैंने सोनभद्र में तीन बार सौ-सौ शादियाँ कराईं, मिर्जापुर में शादियाँ कराईं, चंदौली में शादियाँ कराईं। वे बोले, साहब, आप इस तरह के काम करके उनके बीच में गए। उस समय स्कूलों को सरकारी बस्ते नहीं मिलते थे। उस समय security-related expenditure और कुछ व्यापारी घरानों से लेकर मैं उन्हें बस्ते और किताबें इत्यादि देता था। वे बोले कि जो vacuum था, आपने उसको पाट दिया। हम इस एरिया में इसलिए सफल हो गए, क्योंकि वहाँ की जो सरकारें थीं, वे ध्यान नहीं देती थीं। वहाँ न स्वास्थ्य सेवाएँ थीं, न कोई एजेंसी थी, न कोई डेवलपमेंट था, हमें ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया गया था। So, there was a vacuum and when there was a vacuum, we occupied it. महोदय यह स्थिति थी। उस समय की सरकारें, जिन्होंने सत्तर सालों तक शासन किया, उन्होंने वहाँ डेवलपमेंट नहीं किया। इसीलिए मोदी जी ने यह स्पेशल व्यवस्था की कि जो नक्सलाइट्स प्रोन एरियाज हैं, उनका डेवलपमेंट किया जाए। आज उनका डेवलपमेंट हो रहा है। आज नक्सलिज्म अंतिम सांसें गिन रहा है। महोदय, उस समय जब हमारी फोर्सेस को वहाँ जाना पड़ता था, तब पहले रोड ओपनिंग पार्टी जाती थी। उनके पास विशेष टाइप की गाड़ी होती थी, जिसमें सेंसर होते थे, जिससे पता लग सके कि कहीं वहाँ पर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस तो नहीं लगा है, कहीं वे ब्लास्ट न कर दें। हमारे जवान पहले तमाम एरियाज़ में मोटरसाइकिलों से जाते थे, क्योंकि उनके वेट कम होते हैं। वहाँ पर एंटी पर्सनल माइन्स और एंटी व्हीकुलर माइन्स बिछाई जाती थीं। अगर उन पर वेट पड़ जाता था, तो ब्लास्ट हो जाता था। महोदय, इससे उन सड़कों पर जवानों को मूव करने में दिक्कत होती थी और वे सड़क नहीं बनने

Contents Page

देते थे। जब पीडब्ल्यूडी या वहाँ की एजेंसी सड़क बनाती थी, तब वहाँ ब्लास्ट करते थे कि सड़क नहीं बननी चाहिए। महोदय, उन सरकारों में ये हालात थे।

Sir, naxalism is a socio-economic problem. जो गरीब लोग, आदिवासी लोग बहकावे में आकर नक्सलाइट बने, उनका विकास जरूरी था। उस विकास के लिए दो टाइप के काम हुए। माननीय अमित शाह जी ने बीड़ा उठाया कि हम नक्सलिज्म खत्म करेंगे। महोदय, वह 31 मार्च का दिन आने वाला है, जब नक्सलिज्म भारत की केवल डिक्शनरी में रह जाएगा, आर्म्ड स्ट्रगल खत्म हो जाएगा। इसके साथ-साथ, वहाँ पर ग्रामीण रोड बने हैं, वहाँ पर विकास हो रहा है, स्कूल फिर चालू हो गए हैं, अस्पताल चालू हो गए हैं। इस तरह से नक्सलाइट एरिया पर विशेष ध्यान दिया गया है, जैसे सड़कों का जाल बिछाना, गाँवों को कनेक्टिविटी देना, जिससे उन ग्रामीणों का, आदिवासियों का जीवनस्तर ऊँचा होगा। महोदय, वहाँ पर ये काम किए गए हैं, जिनके लिए मैं अपने प्रधान मंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, आवास एक मूलभूत सुविधा होती है, जैसा कि कहा भी जाता है, रोटी, कपड़ा और मकान। मैं गाँव का रहने वाला हूँ। मैंने अपने बचपन में देखा है कि गाँवों में एकाध खपरैल के मकान होते थे और बाकी सब छप्पर वाले होते थे। वहाँ पर लोगों के पास फाटक तो थे नहीं, तो हम टटरा बनाते थे। बाँस की फट्टियाँ चीरकर, उन्हें कील से ठोककर लगा दिया जाता था। हालांकि घर में कुछ नहीं था, फिर भी वह केवल इसलिए लगाया जाता था कि कुत्ते-बिल्लियाँ न आ पाएं। महोदय, आवास की यह हालत थी। आज स्थिति यह है कि 2025 तक रूरल एरियाज़ में भारत सरकार अब तक 2.97 करोड़ मकान बना चुकी है और अर्बन एरियाज़ में 97.3 लाख मकान बन चुके हैं। इस तरह से उन गरीबों को मकान दिया गया है। एक गरीब मजदूर मजदूरी करता है, तो उसकी चिंता रहती है कि मुझे शाम को दो रोटी मिल जाए। वह बच्चों को पढ़ा नहीं पाता है। उसके लिए पक्का मकान तो बहुत बड़ा सपना होता है। इसे हमारे प्रधान मंत्री, मोदी जी ने साकार किया है। आज आप गाँव में जाएंगे, तो पाएंगे कि आपको कहीं भी कच्चा मकान नहीं मिलेगा। जब उसे पक्का मकान मिला है, तो उसका भी मनोबल बढ़ा है। 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए गए हैं, किसान सम्मान निधि दी जा रही है। किसान सम्मान निधि को लेकर बहुत लोग कहेंगे कि 6,000 रुपये क्या हैं। महोदय, तमाम गाँवों में ऐसे गरीब आदिवासी हैं कि उनके पास मात्र दो-चार बिसवा जमीन है। बड़े लोग कहा करते थे कि इसका क्या करेगा, खेती कर नहीं पा रहा है, इससे तो इसे बेच दे। लेकिन आज उसे उसी चार बिसवा जमीन पर 6,000 रुपये मिल रहे हैं। महोदय, इससे उसकी जमीन बच गई है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 2004 से 2007 में एक सरकार थी। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, आप समझ गए होंगे। वे 2004 में एक बिल लेकर आए थे। अभी आदिवासी और दलित अपनी जमीन बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए एक राइडर है कि इसके लिए पहले डीएम से अनुमति लेनी होगी, नहीं तो कोई व्यक्ति, जो दलित नहीं है, वह उसकी जमीन नहीं खरीद सकता है। महोदय, यह इसलिए है कि कोई उसे बहका करके उसकी जमीन अपने नाम न लिखवा ले। इसके बाद यह प्रयास हुआ कि डीएम के इस राइडर को खत्म कर दिया जाए, जिससे खुला मैदान मिल जाए। हमारी पिछली सरकार में लखनऊ के मंत्री थे। वे उस सरकार में मंत्री थे। उन्होंने कहा कि यह नहीं होने देंगे। अगर वे न होते, तो जो कुछ जमीनें दलितों के पास थीं, वे भी खत्म हो गई

Contents Page

होतीं। वे लोग पीडीए की बात करते हैं। पीडीए को मैं परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी कहता हूँ। वे सोचते थे कि यह खत्म हो जाएगा, तो हम कब्जा कर लेंगे। महोदय, ये हालात थे और इन हालातों में यह उत्तर प्रदेश में होता था। अब मैं उत्तर प्रदेश में खासकर मकान के संबंध में जो डेवलपमेंट हुआ है, इस पर आता हूं। वहां जो मकान दिए गए हैं, उनमें विशेष ख्याल रखा गया है। वहां टोटल 53.3 लाख हाउसेज़ ग्रामीण क्षेत्र में बन चुके हैं। इसी तरह से शहरी क्षेत्र योजना है। वहां भी मकान बन रहे हैं। महोदय, एक चीज़ का ख्याल रखा गया। ऐसी कुछ जातियां, जनजातियां हैं, जिनको भूल गए हैं। उपसभापति महोदय, आप तो पूर्वी-उत्तर प्रदेश से परिचित हैं, सोनभद्र से परिचित हैं, जहां आदिवासी रहते हैं – चंदौली, मिर्जापुर। इसके अलावा जो तराई एरिया है, वहां एक कम्युनिटी रहती है - बोक्सा, यह मोस्टली उत्तराखंड में है। हमारा जिला बिजनौर लगता है। वे गरीब लोग हैं। एक बोक्सा और एक बैगा जनजाति है, जो सोनभद्र में रहती है। बैगा की आबादी मात्र 47 हज़ार है और बोक्सा हमारे यहां 4,367 हैं। मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इनके लिए अलग व्यवस्था की, क्योंकि ये सबसे पिछड़े थे। उनके लिए 1,584 घर बनाए गए और उनको इसकी स्पेशल जरूरत थी। इसलिए मैं आज यहां पर अपने मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उन लोगों पर ध्यान दिया।

महोदय, आप जानते होंगे हमारे यहां जंगल हैं। झारखंड में भी जंगल हैं। साल का एक खास पेड़ होता है। उस साल के पेड़ को पहले वनटांगिया लगाते थे। ब्रिटिशर्स टाइम से वे पेड़ लाइन से लगाते थे और बीच में जो जमीन खाली रहती थी, वहां उनको खेती करने का अधिकार था। यह व्यवस्था आजादी के बाद खत्म हुई। वहां जो उनके गांव थे, पता चला कि वे गांव नोटिफाइड नहीं थे। वे बिना गांव के थे। महोदय, जब गांव नोटिफाइड नहीं हैं, तो उनको क्या सहायता मिलेगी? उनको कोई सहायता नहीं मिलती थी, क्योंकि उनका तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी ने इस पर ध्यान दिया और आज वे उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और गोरखपुर के जंगलों में वनटांगियों के साथ दीवाली मनाते हैं। उन्होंने उनके गांव को मान्यता दी। आज इस तरह से वनटांगियों को आवास मिला, सुविधाएं मिलीं। इसी तरह से मुसहर एक कम्युनिटी थी। हमारे यहां मूस चूहे को कहते हैं। ये ऐसी कम्युनिटी थी जो चूहे मारकर खाते थे। इनके कच्चे मकान थे। योगी आदित्यनाथ जी ने उनकी तरफ भी ध्यान दिया। इस तरह से आज उन गरीबों को भी आवास मिला है और उनको भी सम्मान मिला है।

उपसभापति महोदय, इसके अलावा मैं सोशल सिक्योरिटी के बारे में कहना चाहूंगा। मैं विधवा पेंशन, वृद्धजन पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन के संबंध में कुछ कहना चाहूंगा। ये जो पेंशन शुरू की गई थी, उसको हमारी सरकार ने काफी बढ़ा दिया है। उससे उनको एक सहायता मिल रही है। यह जो पेंशन है, इससे उनको बड़ा लाभ हो रहा है। मैं अनुसूचित जाति और जनजाति के संबंध में कहना चाहूंगा। जब 2014 में मोदी जी की सरकार आई, तब 2015 में उन्होंने एससी/एसटी एक्ट में, जो 1989 में कांग्रेस की सरकार में बना था, उसको अमेंड करना शुरू किया। इस पर माननीय तत्कालीन हमारे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी ने 31 दिसम्बर, 2015 को हस्ताक्षर किए and it became the Act No.1 on 1st January, 2016. महोदय, कांग्रेस सरकार में वह एक्ट 1989 में बना और रूल बनाते-बनाते 1995 आ गया। जब रूल बनता है, तब वह लागू होता है। मोदी सरकार

Contents Page

ने 14 जून, 2016 को रूल बना दिया और उस रूल में कई चीज़ों की व्यवस्था की गई है। आर्थिक सहायता बढ़ा दी गई। उसमें एक विशेष व्यवस्था हुई है कि अगर किसी दलित या आदिवासी की नॉन-दलित द्वारा हत्या होती है और अगर वह घर का कमाऊ है, उसी से घर की रोटी चलती है, उसी से घर चलता है, तो उसके लिए मोदी जी ने 5,000 रुपये महीने की पेंशन दी है with dearness allowance to dependants for life. महोदय, उसके बच्चों को जो अनाथ हो गए, उनको ग्रेजुएशन तक फ्री एजुकेशन दी गई है। मकान नहीं है, तो मकान की व्यवस्था की है और घटना से 3 महीने तक घर के खर्च की भी व्यवस्था की गई है। यह पेंशन की व्यवस्था पहली बार हुई है। मैं राज्य सभा में इसको पहले भी उठा चुका हूं। एकाध स्टेट अब भी ऐसे हैं, जिन्होंने इस योजना को लागू नहीं किया है। चूंकि अभी मेरे पास स्टैडिंग कमिटी ऑन पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवांसेज़ है, तो उसमें मैंने समीक्षा की। मैं स्टेट का नाम नहीं लेना चाहूंगा। कई स्टेट्स ने तो इसको लागू ही नहीं किया है, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, जिनमें से ज्यादातर नॉन-बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं। एकाध स्टेट ने ऐसा किया कि हम 5 हजार रुपए पेंशन देंगे, लेकिन महंगाई भत्ता लागू नहीं करेंगे। मैंने कहा कि उनको ज़रा बुलाइए, इसकी समीक्षा की जाए, यह एक सेंट्रल एक्ट है। जब यहां हमारे अपोजिशन के मित्र भाषण देते हैं, तो सबके मुंह से एक ही बात निकलती है - आदिवासी, गरीब, दलित, मज़लूम। इससे उनका भाषण शुरू होता है, लेकिन सेंट्रल एक्ट लागू करने में उनको तकलीफ होती है, क्योंकि उससे गरीबों का जीवन स्तर उठता है।

महोदय, उसी पेंशन स्कीम में एक और बात है। अगर किसी दलित महिला के साथ रेप होता है, वह रेप विक्टिम है, तो रेप विक्टिम को अलग से एक मुश्त अनुदान मिलता है। जैसे मर्डर में 8.25 लाख रुपए एक मुश्त मिलते हैं, उसी तरह से वह जो रेप विक्टिम है, उसको भी 5 हजार रुपए महीना पेंशन मिलती है। ...(**समय की घंटी**)...

श्री उपसभापतिः आप कन्क्लूड करिए।

श्री बृज लालः महोदय, मैं एक-दो मिनट लेकर कन्क्लूड करूंगा।

महोदय, इसी तरह से अगर किसी दलित व्यक्ति का, आदिवासी का अंग भंग हो गया और वह काम करने लायक नहीं रहा, तो उसको भी 5 हजार रुपए महीना till his life, यह पेंशन की व्यवस्था की गई है। महोदय, विधवा पेंशन, इसके अलावा वृद्ध जन पेंशन, फिर आयुष्मान योजना है, जिसमें 55 करोड़ से ज्यादा लोग कवर्ड हैं। ...(**समय की घंटी**)... इस तरह से स्पेशियली उन्होंने जो एक्ट में अमेंडमेंट किया और पीड़ितों के लिए यह जो पेंशन की व्यवस्था की, इसके लिए मैं प्रधान मंत्री जी को बहुत-बहुत साधुवाद देता हूं। उपसभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Sant Balbir Singh.

Contents Page

SHRI SANT BALBIR SINGH (Punjab): [&] Sir, the development of villages depends on basic infrastructure—roads, water management, drinking water supply, housing schemes, and employment programmes like MGNREGA. For all these development activities, adequate financial resources are essential. Unfortunately, funds amounting to more than ₹8,000 crore meant for Punjab have been stopped. Without these funds, rural development activities are severely affected. Through you, Sir, I request the hon. Minister to kindly ensure that these pending funds are released to Punjab. Under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, about ₹828.87 crore was sanctioned for roads and bridges in Punjab. Under this scheme, 64 roads and 38 bridges were proposed to be constructed. However, the tenders for these projects were linked to FDR technology, and in the last six to seven months, no company has come forward to bid using that technology. As a result, all these works have come to a standstill. In many villages, these 64 roads are still incomplete or have not been taken up for construction. I request, through you, Sir, that the sanctioned amount of ₹828 crore should be allowed to be utilised so that these roads can be built. Roads are the lifeline of rural areas. Farmers, labourers, and villagers depend on them for transportation, livelihood, and access to services. When road construction stops, the overall development of villages also comes to a halt.

I would also like to bring another issue to the attention of the Government. Farmers in Punjab are facing serious difficulties as no one is willing to purchase the potatoes produced in the State. The market price has fallen below ₹200 per quintal, and heaps of potatoes can be seen lying on the roads. I request the Government to intervene and provide support to farmers by ensuring procurement or appropriate market support, so that they are encouraged to sow the next crop.

Sir, the development of villages depends on ensuring employment for rural labourers and providing farmers with proper infrastructure. When funds under MGNREGA and other rural development schemes are not released, villagers suffer greatly. Many development works such as road construction, water supply systems, and housing scheme require funds from the Rural Development Department. If the State Government does not receive its due funds, it cannot contribute its share for these schemes, and the projects remain incomplete. At present, the biggest challenge we face is the blockage of the Rural Development Fund. I request the hon. Minister, through you, Sir, to kindly consider the plight of the people. What is the fault

[&] English translation of the original speech delivered in Punjabi.

Contents Page

of the villagers that they should suffer because funds are withheld? People are waiting for the completion of pending works and are asking when the funds will come and when their development projects will be completed. If these funds continue to remain withheld, Punjab will suffer significant losses in rural development. Punjab's farmers and labourers are hardworking people who contribute immensely to the nation. They actively participate in and support every Government scheme through their hard work. I, therefore, urge the Government to release the pending funds at the earliest.

Punjab is also a border State and the development of its rural areas has strategic as well as economic importance. I once again request that the funds meant for rural development be released without delay so that the pending works can be completed and the villagers do not continue to suffer. Thank you, Sir.

श्री उपसभापतिः माननीय श्री रामेश्वर तेली जी। आपके पास 8 मिनट हैं। आप असमिया में बोलेंगे।

श्री रामेश्वर तेली (असम): माननीय उपसभापति महोदय, मैं अपनी मातृभाषा असमिया में बोलना चाहता हूं। [&] "Mr. Deputy Chairman, Sir, I support the Demands for Grants of the Ministry of Rural Development. This Ministry plays a vital role in advancing rural development and, I believe, it requires increased budgetary support. During my tenure as an MLA in 2001, I observed significant challenges in villages, particularly regarding roads, electricity and housing. At that time, under Atal Bihari Vajpayee ji's Government, important initiatives such as the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana were launched to address these issues. During my tenure as an MLA, I witnessed village roads being constructed, which enabled farmers to transport their produce to towns. The Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana was instrumental, resulting in the construction of many roads and bridges. I thank Atal Bihari Vajpayeeji for launching this scheme. Under Modi ji's Government, the scheme was further expanded by reducing the eligible population threshold, allowing even smaller villages to benefit. It started from 1000 population per village and got reduced to 500 and now 250. Yesterday, our Member of Parliament from Arunachal Pradesh also said that there are only five households in some of the villages. He asked whether there will be roads for them or not. So now, he has requested the construction of the roads as per the rule. I also mentioned that in 2001, when I became an MLA, there was a village called Brahmin village near my house. We used to visit them and they were all poor village people, they all needed a house, and we used to tell them that, slowly and gradually, everything would be done and achieved. Then, it happened in 2016 when Narendra

[&] English translation of the original speech delivered in Assamese.

Contents Page

Modi's Government came into power. In 2016, these people got pucca houses, under the Pradhan Mantri Awas Yojana. I observed that most of the people were from SC community. Now, every house is pucca, with electricity, drinking water, and toilets. Roads have been constructed under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, and these efforts have transformed the villages significantly since 2001. And you all know that I was MoS in the Petroleum ministry and, during that time, Dharmendra Pradhan Ji started Ujjwala Yojana. Those beneficiaries who received Pradhan Mantra Awas Yojana were also the beneficiaries of Ujjwala Yojana, through which we provided gas cylinders to them. We could see the happiness among people when they received a house and a gas cylinder. We could feel their happiness because we live in small towns and we can see the changes that our Government has brought in. You all know that, at present, our hon. Prime Minister has taken a decision to transform 6 crore women into lakhpati didis and to make it happen, the decision is being taken. Three crore women have already been transformed into lakhpati didis, but our target is to make 6 crore women as lakhpati didis. To make 40 lakh women as Lakpati didis in Assam, a few days back, our hon. Chief Minister Shri Himanta Biswa Sarma, distributed ₹10,000 to every woman. This was done through Women Empowerment Scheme in order to make them empowered. By this they can be independent, become lakhpatis. Such initiatives have been undertaken in Assam right now. Our popular Chief Minister of Assam, said that this money, which was distributed, would be used by the women for goat rearing, cow rearing, farming, and in such a way, they become independent and become lakhpatis. Many women have become lakhpatis now. The scheme VB-GRAM G is being implemented in the villages, and roads are being constructed. Now, the villagers are getting employment for 125 days, and they are getting work within their village only. And now they are working in their villages, and they don't have to go out. And through this scheme, right now, the laborers are benefiting, and are getting jobs.

I wanted to say many things, but I have been given only 8 minutes' time. So, I don't want to extend my speech much, and I am very thankful to our hon. Deputy Chairman, Sir, for giving me this opportunity. With this, I would like to conclude my speech and I support the Demands for Grants."

श्री उपसभापतिः धन्यवाद, आपने समय से पहले पूरा किया। Shrimati Rajathi. Not present. Shri Baburam Nishad. Not present. Shri Imran Pratapgarhi. You have five minutes.

Contents Page

श्री इमरान प्रतापगढ़ी (महाराष्ट्र): उपसभापति महोदय, मैं रूरल डेवलपमेंट पर अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

"कोई खुशबू, न कोई फूल, न कोई रौनक,
उस पर कांटों की जहालत नहीं देखी जाती।
हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें,
हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती।।

रात बस रात ही होती तो कोई बात नहीं,
उसका आकार मगर दूना नजर आता है।
जितने चमकीले सितारे थे, वो सब डूब चुके,
सारा आकाश बड़ा सूना नजर आता है।।

बुलबुलें खुश थीं, उम्मीदों के तराने गाए,
ले के पतझर से बहारों को चमन सौंप दिया।
अब तो मासूम गुलाबों की यह घायल खुशबू,
शीश धुनती है कि ख़ारों को चमन सौंप दिया।।

तुमने क्या काम किया उनके अभावों के लिए,
जिनकी मेहनत से तुम्हें तख्त मिला, ताज मिला?
उनके सपनों के जनाजों में तो शामिल होते,
जिनके चुप रहने की वजह से तुम्हें राज मिला!

उदय प्रताप जी ने बहुत शानदार यह कविता कही है,
कि कवि की आवाज़ बगावत पर उतर आई है,
दल के दलदल से हमें कोई सरोकार नहीं।
तुमने इस देश की तस्वीर बिगाड़ी ऐसे,
जैसे इस देश की मिट्टी से तुम्हें प्यार नहीं।।

वरना अंजाम वही होगा, जो पहले भी हुआ।।
कुर्सी तो कुर्सी है, निगाहों से उतर जाओगे,
मौत आनी है, जब आएगी तुम्हारी खातिर,
मौत से पहले, बहुत पहले ही मर जाओगे।"

उपसभापति महोदय, गांव की परिकल्पना में प्यार था, अपनापन था, भाईचारा था। कभी महात्मा गांधी ने जब गांव का सपना बुना, तो मुझे लगता है कि उसमें वह मोहब्बत थी कि गांव में अगर किसी बिटिया की शादी होती थी, तो पूरा गांव अपने संसाधन लेकर खड़ा हो जाता था। कोई

Contents Page

चारपाई लेकर, कोई गुड़ लेकर, कोई प्रेम लेकर खड़ा हो जाता था, लेकिन 2014 के बाद से गांवों में जो नफरत बो करके विकास किया गया है, वह अद्भुत और अकल्पनीय है। हालत यह है कि हम जिस गांव में पैदा हुए, उस गांव में कोई सीताराम चाचा, कोई भगवती चाचा हम लोगों की उंगली पकड़ करके चौराहों पर मिल जाते थे। वे हमें आशीर्वाद भी देते थे और डांटते भी थे। लेकिन मौजूदा स्थिति यह हो गई है कि गांव में पहले जो गुड़ की चाय बना करती थी और उसकी चकल्लस में जो चर्चा होती थी, उसमें जब से चाय पर चर्चा वाली राजनीति घुसी है, उसने पूरे गांव का माहौल ऐसा कर दिया कि अब आप बैठकर एक-दूसरे से प्रेम से बात भी नहीं कर सकते।

माननीय मंत्री जी यहां पर मौजूद हैं। रूरल डेवलपमेंट के मंत्रालय के बजट पर चर्चा हो रही है। चाहे मनरेगा हो, चाहे किसान हो, इससे जुड़ा सारा वर्ग परेशान है। मजदूरों की स्थिति ऐसी है कि आप मनरेगा को प्रोत्साहित करने के बजाय मनरेगा को समाप्त करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। सच बात यह है कि राज्यों पर भार डाल करके आप मनरेगा खत्म कर देना चाहते हैं और उसका नाम वीबी-जी राम जी करके यह सोच रहे हैं कि उसके पीछे आप इसको छुपा लेंगे। गांवों में सड़कों की स्थिति खस्ताहाल है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो या राजस्थान हो, गांवों में सड़कों की स्थिति ऐसी है कि किसी गर्भवती महिला को अगर अस्पताल ले जाना हो, तो वहां की सड़कों पर चलने वाले वाहन में शायद अस्पताल तक महिलाएं पहुंच भी नहीं पाती हैं, उनका प्रसव रास्ते में ही हो जाता है। महोदय, गांव में हालत यह है कि किसान आपके सामने, सरकार के सामने लगातार अपनी मांगें लेकर खड़ा रहा, लेकिन इस सरकार ने दिल्ली के रास्ते की तरफ कूच करने वाले किसानों की राह में फूल नहीं बिछाए, बल्कि कीलें बिछाईं, 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए।

"कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की,
लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की।
मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते
तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की।"

सभापति महोदय, इस सरकार में बातें तो बड़ी-बड़ी रहीं। बजट की बात करके यह कहा गया कि गाँव का विकास करेंगे, लेकिन प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत गाँव में जो आवास बनते हैं, उन आवासों पर इनकी राज्य सरकारें बुलडोज़र चलाती हैं। ऐसे कई मामले अलग-अलग राज्यों में देश के सामने हैं। आप कहेंगे तो मैं पटल पर रख दूँगा। ...(**व्यवधान**)... हाँ, पटल पर रख दूँगा, ऑथेंटिकेट कर दूँगा। महोदय, जब पीएम आवास योजना के तहत बनने वाले घरों पर बुलडोज़र चलेंगे, तो आप गाँव के किस विकास की परिकल्पना कर रहे हैं? गाँव को तो आपने भगवान भरोसे छोड़ दिया है। गाँव में रहने वाला किसान अपनी मेहनत से अगर अन्न उपजा रहा है, तो आप उसका एमएसपी भी नहीं दे पा रहे हैं। आप उसको सहायता नहीं दे पा रहे हैं, बल्कि धन्ना सेठों की सरकार बनाकर रख दी है आपने। ...(**समय की घंटी**)... महोदय, मैं जानता हूँ, मेरा बोलने का समय समाप्त होने वाला है।

Contents Page

श्री उपसभापतिः समाप्त हो चुका है।

श्री इमरान प्रतापगढ़ीः एक मिनट में मुझे कंक्लूड करने दें। सर, हमारी आँखों में तो ऐसे गाँव के सपने थे, जहाँ रहने वाले ग्रामीण अंचल के लोग शहरों की तरफ पलायन न करें — ऐसा सपना हम देखा करते थे, लेकिन गाँवों में डेवलपमेंट के नाम पर इस सरकार ने मूलभूत सुविधाओं से भी गाँवों को वंचित रखा हुआ है, जिसकी वजह से गाँव पलायन करके शहरों की तरफ भाग रहे हैं और गाँव के गाँव खाली होते जा रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: आपको ऑलरेडी एक मिनट का समय अतिरिक्त दे चुका हूं। No, no. You can't dictate to the Chair. Now, Shrimati Rajathi.

SHRIMATI RAJATHI (Tamil Nadu): [&] Hon. Deputy Chairman Sir, thank you for giving me this opportunity to speak. Mahatma Gandhiji once said, "India's soul lives in its villages." I myself come from a remote village, and I have also served as a Panchayat Union leader for five years. Through that experience, I have understood the real needs of rural areas. These needs include basic amenities such as proper roads, drinking water, medical care, electricity, and employment opportunities. However, today, the ruling Government seems to believe that merely enacting laws from Delhi or allocating funds on paper will automatically fulfill all the needs of the villages. But what are the real needs of a village? What are the real needs of a State? Only the people of that village and the respective State Government can truly understand and decide these matters. Under this Government, the prices of fertilizers and seeds have increased drastically, severely affecting the livelihood of farmers. What kind of laws has this Government enacted for their welfare? In fact, the most significant action of this Government, in my view, was the introduction of the four controversial farm laws that caused great distress among farmers across the country. But when we look at Tamil Nadu, the situation has been different. During the rule of the Dravida Munnetra Kazhagam in 1974, under the leadership of Dr. Kalaignar Karunanidhi, the then Chief Minister, every village in the State was fully electrified. He was also the one who introduced 100 percent free electricity for farmers. Even today, under the leadership of our hon. Chief Minister, Thiru M.K. Stalin, free electricity connections have been provided to 2.5 lakh farmers. In the present situation, people in rural areas expect only basic facilities - good roads, safe drinking water, proper medical care and employment opportunities. But what is the thinking of the hon. Prime Minister and this Government today? It appears that they believe governance can be carried out only

[&] English translation of the original speech delivered in Tamil.

Contents Page

through announcements and advertisements. The people of this country know that such illusions cannot address the real problems.

Today, the Central Government has not released ₹4,034 crore to Tamil Nadu under the MNREGA scheme. Similarly, ₹3,458 crore allocated for education has also not yet been released. The Government itself admitted on February 6 that each State is supposed to receive ₹1,200 crore. With elections approaching, our hon. Chief Minister announced that the rightful funds for Tamil Nadu would surely be received. But unfortunately, our voices have not been heard and the funds have still not reached us.

Sir, I am also a member of the Standing Committee on Rural Development. During our study tours to various States, officials themselves informed us that sufficient funds have not been released. I, personally, witnessed this situation in West Bengal and Tamil Nadu. However, when we visited Madhya Pradesh, we were told that funds had been fully received for their projects. This raises a serious question in my mind: why is the Government adopting such a discriminatory approach? We also live in this country. Our States are an integral part of India. A united India must include and respect all its States equally. At the same time, allocations for major rural welfare schemes have been drastically reduced. The allocation for the MNREGA scheme has been reduced from ₹86,000 crore to ₹30,000 crore. The allocation for the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana has been reduced from ₹19,000 crore to ₹11,000 crore. Similarly, the allocation for the Pradhan Mantri Awas Yojana has been reduced from ₹54,832 crore to ₹32,500 crore. Hon'ble Deputy Chairman Sir, I would like to ask: is there any reason or justification for reducing these crucial allocations? For effective governance, the Central Government must function cooperatively with State Governments and listen to their concerns and opinions. Only when we build a cooperative and harmonious relationship with the States, can the development of the nation be complete. Arbitrary decisions taken without consultation will not help the country progress.

I would also like to highlight another important issue. Recently, I read news reports about Bihar and Uttar Pradesh where many children died due to malnutrition, largely because of the lack of basic medical facilities. Studies published in newspapers last week revealed these disturbing facts. In many villages, there are still no adequate medical facilities, proper roads, or reliable electricity supply. If a Government fails to provide these basic necessities, it is difficult to understand the

Contents Page

reason for its pride. I, therefore, humbly request that greater attention be given to the development of rural infrastructure. Rural people are not greedy like urban populations. Their expectations are simple and basic—they only ask for fundamental amenities necessary for a dignified life.

Finally, I would say, you may attempt to hide the name of Mahatma Gandhiji or even move his statue from one place to another. But his greatness can never be hidden. The memories and ideals of Mahatma Gandhiji can never be erased from the hearts of the people. With these words, I conclude my speech. Thank you.

श्री उपसभापतिः राजाथी जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय श्री बाबू राम निषाद जी, आपके पास आठ मिनट हैं, कृपया समय का पालन करें।

श्री बाबू राम निषाद (उत्तर प्रदेश)**:** उपसभापति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों पर हो रही चर्चा में बोलने का अवसर दिया है। हमारे सभी सांसदों के विषय आए हैं और आपने मुझे भी ग्रामीण विकास मंत्रालय की चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया है। हमारे पूर्व मुख्य मंत्री एवं ग्रामीण विकास मंत्री, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी विराजमान हैं। माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने और अमितभाई शाह जी ने ग्रामीण विकास की जो आधारशिला रखी है, उसके बारे में पूरा देश जान रहा है, समझ रहा है और पूरी जनता जनार्दन भी उस ग्रामीण विकास से सहमत हुई है। हमारे कांग्रेस के मित्र और बहुत ही वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं। मैं गांव का रहने वाला हूं। कांग्रेस ने पचास साल में गांव में ऐसा कौन-सा विकास किया, जिससे उन गरीब किसानों का, उन मजदूरों का विकास हुआ हो? हमारे विपक्ष के बंधु अपने व्याख्यान में यह भी बताएं कि हमने क्या किया। मुझे तो याद नहीं आ रहा है, मुझे कोई भी ऐसी योजना याद नहीं आ रही है, जो कांग्रेस ने पचास-पचपन साल तक, जब देश में राज किया हो और कुछ ऐसा किया हो, जिसकी जनचर्चा आज भी दूर- दूर तक कहीं सुनाई देती हो। मैं सदन में यह बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। मैं गाँव से निकलकर आया हूँ और आज भी गाँव में जाना होता है। आप सब लोग भी गाँव में जाते हो। अभी गोहिल साहब कह रहे थे कि गाँव में कोई विकास नहीं पहुंचा है। गाँव में विकास नहीं पहुंचा है! मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गाँव में क्या नहीं पहुंचा है? गाँव में आज बड़े आदमी के मकान बनने बंद हैं, क्योंकि गरीब के मकान बन रहे हैं। तिवारी जी, आप थोड़ा जाकर देखिए। आप तो काँग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। कई बार विधायक भी रहे हैं। वर्तमान में काँग्रेस की तरफ से राज्य सभा के सांसद हैं। आप गाँव में जाकर देखिए। जब गाँव की गलियों में गंदगी फैलती थी, तब वहाँ पर क्या स्थिति थी। आप इससे वाकिफ नहीं होंगे, लेकिन मैं और मेरी तरफ बैठे लोग अवगत हैं कि गाँव की गलियों से निकलना दूभर होता था। गंदगी फैली रहती थी, क्योंकि शौच के लिए बेचारी महिलाएँ, किसान, मजदूर, बच्चे रास्ते के किनारे ही जाते थे। यह किसी को याद नहीं आया। याद किसको आया? ग्रामीण क्षेत्र की यह तस्वीर बदलने की याद मोदी जी को आई। जब से 2014 से वे प्रधान मंत्री बने हैं, उन्होंने लगातार ग्रामीण विकास पर काम किया है। हम सब कहते हैं कि गाँव विकसित होगा, तभी देश विकसित होगा, लेकिन जब मोदी जी गरीब को मजबूती देने का

Contents Page

काम करते हैं, तब कोई - न - कोई ऐसा विषय छेड़ने का प्रयास किया जाता है कि उस पर चर्चा न हो। चर्चा के लिए भी सहमत होते हैं, तो चर्चा नहीं करते हैं, सदन छोड़कर चले जाते हैं। उन गलियों की गंदगी के लिए मोदी जी ने जो सफाई अभियान चलाया, आज मैं कहूँगा कि उसकी वजह से गाँव की तस्वीर बदली है। अब गाँव में नाक में रुमाल लगाकर नहीं निकलना पड़ता। बाहर गाड़ी से उतरकर पैदल चले जाइए और दो किलोमीटर दूर अपने घर तक जाइए, तब पता लगेगा कि हाँ, गाँव में शुद्ध हवा आ रही है। आपको एहसास होगा, पता लगेगा कि गाँव की मिट्टी की खुशबू आ रही है। अगर बंद गाड़ी में बैठे घर में उतरेंगे, तब नहीं एहसास होगा। माननीय उपसभापति जी, मैं सदन में और सदन के माध्यम से से कहना चाहता हूँ कि सभी सांसद ऐसा प्रयास करें और ज़रा गाँव जाकर देखें। सफाई अभियान के माध्यम से ये शौचालय बने हैं। शौचालय वोट लेने के लिए नहीं बने हैं, बल्कि माँ, बहन, बेटियों की इज्जत-आबरू सेफ करने के लिए बने हैं, सफाई के लिए बने हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि कोई 80 साल का मेरा बुजुर्ग, मेरी माँ, जब वे चल नहीं पा रहे होंगे, तब लोटा लेकर शौच के लिए खेत, खलिहान और जंगल में कैसे जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। अगर जाएंगे भी तो वहाँ से गंदगी लेकर घर में आएंगे। यह होता था, लेकिन मोदी जी ने इसके लिए सफाई अभियान चलाया और घर-घर शौचालय बनवाए। खाने से पहले शौचालय बनवाना प्राथमिकता थी। यह आपको स्वीकारना चाहिए कि मोदी जी ने जो शौचालय अभियान चलाया, वह भी ग्रामीण विकास के लिए है और गाँव की तस्वीर बदलने का प्रयास है। गांव में आवास के लिए अब किसी भी लाभार्थी को नेताजी, किसी अधिकारी अथवा किसी कर्मचारी के पास चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। अब सब ऑनलाइन सिस्टम है और उस मानक में कौन आता है, जिसे वह आवास मिले, उस मानक की परख प्रशासन करता है। ऑनलाइन सूची होती है और उस सूची के मुताबिक यह तय होता है। लाभार्थी रात में सोता है और सुबह उसे अचानक जानकारी मिलती है कि उसे आवास उपलब्ध हुआ है। एक पैसे की भी बेइमानी नहीं है। पूरा का पूरा पैसा उसे आवास बनाने के लिए दिया जा रहा है। ...(**समय की घंटी**)... गरीब कभी ऐसा सपना नहीं देखता था। माननीय उपसभापति जी, मैं एक मिनट में समाप्त कर दूंगा।

श्री उपसभापतिः आप एक मिनट के अंदर आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री बाबू राम निषादः पहले पीने के पानी की घोर समस्या बनी हुई थी। उस घोर समस्या के निदान के लिए मोदी जी ने नल से जल पहुंचाया। कल ही हमारे आम आदमी पार्टी के सदस्य संजय सिंह जी कह रहे थे कि गलियां टूटी हैं, पानी नहीं पहुंचा है। वे मूल रूप से सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, दिल्ली में बस गए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वहां जाकर देखिए कि उत्तर प्रदेश की गलियों में घर-घर नल पहुंच गया है और शुद्ध पानी गांव के किसानों को, नौजवानों को मिल रहा है। ...(**समय की घंटी**)... मेरे पास आंकड़ों की फाइल भी है। मैं आंकड़े भी बता सकता हूं। मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी ने जो विकास का आधार स्तम्भ ग्रामीण क्षेत्र में खड़ा किया है ...(**समय की घंटी**)...

श्री उपसभापतिः बाबू राम जी, आपका समय समाप्त हो गया है। धन्यवाद। ...(**व्यवधान**)...

Contents Page

श्री बाबू राम निषादः गांव को जो विकास दिया है, उसके बिना यह संभव नहीं हो पाता। आप तो कभी सोच भी नहीं सकते कि हम सरकार रहते यह कर पाते! ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः श्रीमती सीमा द्विवेदी जी। ...(**व्यवधान**)... श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, अब आपकी ही बात रिकॉर्ड पर जाएगी। ...(**व्यवधान**)...

श्री जयराम रमेशः सर, यह बता दीजिए कि मंत्री जी का जवाब कब होगा? ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः पहले बहस पूरी हो जाने दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री जयराम रमेशः सर, हमें इतना जानने का तो अधिकार है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः श्रीमती सीमा द्विवेदी जी। ...(**व्यवधान**)...

श्री जयराम रमेशः सर, हमें इतना जानने का तो अधिकार है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः बिलकुल है।

श्रीमती सीमा द्विवेदी (उत्तर प्रदेश)**:** आदरणीय उपसभापति महोदय, ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान मांगो की चर्चा में समर्थन रखने के लिए, मैं आज अपने वक्तव्य में कुछ कहना चाहती हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः बिजनेस एडवाइज़री कमेटी में आप बैठते हैं। आप चीजों को तय कर करते हैं। आपको सब पता है। प्लीज़...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सीमा द्विवेदीः महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की आत्मा गांवों में बसती है। श्रद्धेय प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में ...(**व्यवधान**)... प्रधान मंत्री जी ने देश की सेवा करने के लिए संकल्प लिया कि वे गांव को बहुत ही सुंदर बनाने का काम करेंगे, उसके लिए आज मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूं कि आज का हमारा गांव बदल गया है। हमारे कृषि मंत्री, आदरणीय शिवराज जी यहां मौजूद हैं। एक विधायक के रूप में, एक मुख्य मंत्री के रूप में, एक सांसद के रूप में, एक कृषि मंत्री के रूप में यदि उनकी सेवाओं को और उनके काम को देखा जाए, तो मैं यही कहूंगी कि आपने एक ऐसी रेखा खींच दी है, जिस रेखा को पार करने के बारे में विपक्ष न कभी सोच सकता है और न ही कर सकता है। हमारे मंत्री जी ने इतना बेहतरीन काम किया है।

महोदय, मैं गांव से आती हूं और मैं भी एक किसान की बेटी हूं। मेरे पिता स्वर्गीय पंडित माता सेवक उपाध्याय जी, तहसील स्तर के बड़े किसान थे। मैंने बचपन में देखा था कि वे कैसे काम करते थे, कैसे हमारे घर में खेती होती थी। यह मैंने बहुत नजदीक से देखा था। महोदय, गांव में बिजली नहीं थी, गरीबी थी और डीजल भी नहीं था। ऐसे में सिंचाई कैसे की जाए? गन्ने को पानी चाहिए, गेहूं को पानी चाहिए, धान को पानी चाहिए। महोदय, मैंने अपनी आंखों से देखा है,

Contents Page

माघ-पूस की रात में, जब कोहरा हुआ करता था, जब गेहूं की भराई होती थी, जब गन्ने की भराई होती थी, दिन में बिजली नहीं आती थी, तो रात में सिंचाई होती थी। सिंचाई करने के बाद इंसान बीमार हो जाया करता था। येन केन प्रकारेण अगर सिंचाई हो भी गई, फसल तैयार भी हो गई, तो सबसे बड़ा संकट यह था कि हमारे अनाज का कोई भी समर्थन मूल्य नहीं था। हमारा अनाज तैयार तो हो गया, लेकिन हमारा अनाज जाए कहां, क्योंकि मंडी नहीं थी। क्रय केंद्र नहीं थे। हम किसानों के अनाज आने-पौने दामों पर व्यापारी खरीदते थे। महोदय, हमारी सरकार आने के बाद हमने समर्थन मूल्य दिया, किसानों को आगे बढ़ने के लिए किसान सम्मान निधि योजना को दिया। हमारी सरकार ने कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए उस पर भारी छूट दी। इतना ही नहीं, मान्यवर, किसान की आय कैसे दोगुनी हो, इसके लिए हमारी सरकार ने पूरा का पूरा प्रयास किया है।

महोदय, अगर मैं बिजली की बात करूं, तो आज मैं वही कहूंगी, जो मेरे साथ गुजरा है। मेरी शादी 1991 में एक गांव में हुई। मान्यवर, यह केवल मेरे गांव की बात नहीं है, हजारों-हजार गांवों की यही बात है। जिस गांव में मेरी शादी हुई, हमारा घर बहुत शिक्षित था, बहुत संभ्रांत परिवार था। जिनको ददिया ससुर कहते थे, वे एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे - पंडित गया प्रसाद द्विवेदी जी। वे प्रमुख भी थे। मान्यवर, मेरे गांव में जाने के लिए रास्ता नहीं था। हम 3 किलोमीटर पैदल चलते थे, तब अपने गांव को पहुंचते थे। हमारे गांव में बिजली नहीं थी। हम मई-जून के महीने में सोते थे, तो सपना आता था कि काश, क्या मेरे गांव में भी कभी लाइट आएगी! मेरे घर पहुंचने के लिए जो रास्ता था, जो नाला था, उस पर पुल नहीं था। मैं आपको सही में यह गांव की हकीकत बता रही हूं, जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। समय बदला, परिस्थितियां बदलीं, परिवर्तन आया और एक परिवर्तन ऐसा भी आया, जब हमारे देश की बागडोर एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में गई, जिस व्यक्ति ने जन सेवा का संकल्प लिया है। प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल में 2016 के बाद से देश में इतना बड़ा परिवर्तन करके दिखाया कि आज गांव-गांव नहीं रहा, आज गांव बहुत रमणीक लगने लगा है। महोदय, जब हम छोटे थे, हमारे परिवार के हमारे चाचा-ताऊ लोग बड़े-बड़े अफसर थे, मेरे पिता जी किसान थे, मैं गांव में रहती थी, जब छुट्टियां होती थीं, तो मेरा मन मचलता था कि मैं भी शहर में जाऊं, देखूं, मैं शहर जाऊंगी। मैं शहर में जाऊंगी, तो बिजली मिलेगी; मैं शहर में जाऊंगी, तो टोटी से हमको पानी मिलेगा; मैं शहर में जाऊंगी, तो हमें सफाई मिलेगी, सड़कें मिलेंगी, शौचालय मिलेगा। मैंने जो कल्पना की थी, मैंने जो पहले सोचा था कि जो चीजें शहर में मिलेंगी, आज वे ही सारी चीजें हमारे गांव में मिल गई हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहती हूं कि जब हम किसानों की बात करते हैं, तो किसान की आय कैसे दोगुनी हो, इसके लिए हमारी सरकार ने समय-समय पर इसको लेकर कुछ न कुछ अच्छा काम करने का प्रयास किया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहती हूं कि महिलाओं के अंदर शुरू से काम करने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा रही है। महिलाओं को जो जिम्मेदारी मिलती है, वे औसत दर्जे से बेहतर काम करके दिखाती हैं। लेकिन महिलाओं के इस हुनर को, महिलाओं की इस योग्यता को किसी सरकार ने देखने का काम नहीं किया। श्रद्धेय प्रधान मंत्री जी ने महिलाओं के हुनर को

Contents Page

समझा। महिलाओं के अंदर कितना हुनर है! वे पढ़ी-लिखी भले कम हो सकती थीं, उनके पास डिग्री भले नहीं थी, लेकिन वे सिलाई करती थीं, बुनाई करती थीं, कढ़ाई करती थीं, पेंटिंग करती थीं और बढ़िया-बढ़िया ऐसे काम करती थीं, वे अचार बनाती थीं, मुरब्बा बनाती थीं। हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए एक इतना बड़ा काम किया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से ग्रामीण आजीविका और कौशल विकास पर बल दिया गया, जिसके लिए 19,200 करोड़ की राशि आवंटित की गई। आज हमारी बहनें लखपति दीदी बन गईं। आज हमारी दीदी, हमारी बहनें गांव में ड्रोन दीदी बन गईं, आशा सखी बन गईं, बैंक सखी बन गईं। महिलाओं के हुनर को परखने का काम हमारी सरकार ने किया है, जिसके माध्यम से स्वयं-सहायता समूहों से जुड़ी हुई लाखों महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ रही हैं।

महोदय, 2016 से अब तक 14.7 लाख से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया तथा 10.2 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार दिया गया। महोदय, ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए सरकार ने ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया। सशक्त गांव के माध्यम से विकसित भारत की उस दृष्टि से प्रतिबद्धता है, जिससे ग्रामीण नागरिक भारत की समावेशी और लगातार विकास यात्रा में भागीदार बन सकें।

महोदय, आज परिवर्तन का दौर है। परिवर्तन का दौर ऐसे आ गया कि इस परिवर्तन के दौर में आज हमारी सरकार एकदम से खड़ी है, कमर कस कर खड़ी है कि हम अपने देश के किसानों को आगे लेकर जाएंगे। अगर हम गांव की बात करें, सड़कों की बात करें, शौचालयों की बात करें, तो पहले सड़कें नहीं हुआ करती थीं। आज हमारी सरकार ने हर गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया है। मैं गारंटी के साथ इस बात को कह सकती हूं कि अब शायद ही कोई ऐसा गांव बचा होगा, जो मुख्य मार्ग से न जुड़ा हो। हमारी सरकार ने गांव में सड़क देने का काम किया, शौचालय देने का काम किया। आज हमारे गांव में जो सबसे बड़ी बात है, वह यह बात है कि हर व्यक्ति आत्मनिर्भर हो रहा है, अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। हमारा देश आगे बढ़े, हमारा देश 'विकसित भारत' बने। 2047 में हमारा देश 'विकसित भारत' बनेगा, ऐसा संकल्प हमारे प्रधान मंत्री जी ने दिया है। उसका रास्ता अगर कहीं से गुजरता है, तो वह गांवों से गुजरता है। अगर हमारे गांव सुदृढ़ होंगे, अगर हमारे गांव मजबूत होंगे, अगर हमारे गांव अपने पैरों पर खड़े रहेंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि लोग पहले जो कल्पना किया करते थे कि हमारा भारत देश 'सोने की चिड़िया' है, आज हमारा भारत देश पूरे विश्व में जगमगा रहा है। इसका कारण क्या है - आज हमारे कदम तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं, आज हम स्वावलंबी हो रहे हैं। ...(**समय की घंटी**)... सरकार ने समय-समय पर किसानों के लिए, ग्रामीणों के लिए, पेयजल की व्यवस्था के लिए, शौचालय के लिए, तालाबों के लिए, पोखरों के लिए, नहरों के लिए – महोदय, आज गांव-गांव में नहर से पानी जा रहा है। पहले क्या होता था - कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि गांव में भी नल के माध्यम से जल मिलेगा। ऐसी कल्पना अगर किसी ने की है, तो हमारे श्रद्धेय प्रधान मंत्री जी ने की है।

Contents Page

महोदय, मुझे एक-दो लाइनें और बोलनी हैं। अगर मुझे दो मिनट का समय और मिल जाता, तो अच्छा होता। महोदय, आज यह जो बजट रखा गया है, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो बजट रखा है, यह बजट बहुत सोच-समझ कर रखा गया है और बहुत दूर तक देख करके रखा गया है कि आने वाले कल में हमारा किसान अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो। किसान मजदूरी करता है, किसान दो पैसे की आमदनी करता है, किसान कमाता है, लेकिन अगर उसकी फसल खराब हो जाए, जैसे कोई आकस्मिक दुर्घटना हो गई, ...(**समय की घंटी**)... बारिश हो गई, ओले पड़ गये, कुछ भी पड़ गया, तो फसल खराब होने की स्थिति में, फसलों को बचाने के लिए भी हमारी सरकार द्वारा बीमा का कवर दिया गया है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं इस विषय पर अपना भरपूर समर्थन देती हूँ। ...(**समय की घंटी**)... मैं श्रद्धेय प्रधान मंत्री जी को और आदरणीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने किसानों को जीवित करने का काम किया है।

श्री उपसभापतिः माननीय श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (राजस्थान)**:** माननीय उपसभापति महोदय, आज ग्रामीण विकास और रोजगार के संबंध में चर्चा हो रही है, लेकिन मुझे इस पर चर्चा करते समय यह बात कहनी है कि मैं गांव में जन्मा, 8वीं तक गांव में ही पढ़ा। आज हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय शिवराज सिंह जी, जो हमारे वरिष्ठतम नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, उनके निर्देशन में यह विभाग चल रहा है। मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन मुझे इस बात की तकलीफ है कि आज चर्चा इस बात की होनी चाहिए थी कि भारत में ग्रामीण विकास की रूप-रेखा किसने तय की? मैंने शुरू से देखा है कि जब कांग्रेस पार्टी का राज था, तब ग्रामीण क्षेत्र की ओर ध्यान नहीं दिया गया था। 1977 में जब पहली बार सरकार बदली और जनता पार्टी की सरकार आई, तो 'अंत्योदय योजना' चालू हुई, 'काम के बदले अनाज योजना' चालू हुई, तब से ग्रामीण विकास की ओर ध्यान दिया गया। उसके पहले ग्रामीण विकास की ओर ध्यान दिया नहीं गया था। उसके बाद, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, तो उस सरकार में सबसे पहले 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' शुरू हुई। उस योजना का आज क्या स्वरूप है, वह मैं आपको निवेदन करूंगा। उसी प्रकार से गांवों में शिक्षा के लिए 'सर्वशिक्षा अभियान' अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर माननीय मुरली मनोहर जोशी के शिक्षा मंत्री काल में चालू हुआ। कांग्रेस पार्टी के राज में हमने देखा कि कोटा, परमिट और लाइसेंस का राज था। तब उसी प्रकार राज था कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद पहली बार ग्रामीण विकास की ओर ध्यान दिया गया। अब, जब मोदी जी की सरकार आई है, इस मोदी जी की सरकार ने, जो 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' है, उसके तहत कुल 8 लाख, 49 हजार, 320 किलोमीटर की सड़कें स्वीकृत हुईं और उनमें से अब तक 7 लाख, 91 हजार, 269 किलोमीटर की सड़कें बनकर तैयार हो चुकी हैं। इसके लिए माननीय मंत्री जी और माननीय प्रधान मंत्री जी बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। यह आवास योजना शुरू हुई। पहले गांवों में बिजली नहीं थी। जब मोदी जी की सरकार बनी थी, तो 18,000 गांवों में बिजली नहीं थी। उन 18 के 18 हजार गांवों में आज बिजली का काम पूरा हो गया है, यह ग्रामीण विकास का कार्यक्रम है।

Contents Page

माननीय उपसभापति महोदय, मुझे एक बात को कहते हुए बड़ी तकलीफ है। गुजरात से आने वाले हमारे एक माननीय सदस्य शक्तिसिंह गोहिल जी यहां बैठे हैं। उनका भाषण था, इमरान प्रतापगढ़ी जी का भी भाषण था। उन्होंने अपने भाषण में ग्रामीण विकास पर चर्चा करने के बजाय, प्रधान मंत्री जी को अपमानित करने वाले शब्दों का प्रयोग किया। उन शब्दों का प्रयोग सुनने के बाद भी मैं कहना चाहता हूँ कि भारत के प्रधान मंत्री को उन्होंने देखा ही नहीं। नरेन्द्र सरेंडर नहीं है, नरेन्द्र समर्थ है, प्रचंड है। वह सरेंडर नहीं, समर्थ है और मोदी है, तो मुमकिन है। उन्होंने यह आज करके दिया। पारस की खाड़ी में जिन जहाजों को रोका गया था, आज ईरान ने कह दिया कि जिस जहाज पर तिरंगा लगा होगा, वह उस जहाज को allow कर देंगे। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Jairamji, let him speak. ...(*Interruptions*)... Please.

श्री जयराम रमेश: सर, पिछले सत्र में तिवाड़ी जी ने खुद कहा था कि नरेन्द्र मोदी ट्रम्प कार्ड हैं। वह ट्रम्प कार्ड तो वे निकले। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No discussion, Jairamji. Please.

श्री घनश्याम तिवाड़ी: सर, यह मैंने बिल्कुल कहा था और आपने सही सुना। आपने सही देखा कि वास्तव में नरेन्द्र मोदी ट्रम्प कार्ड हैं। उन्होंने इस प्रकार तीन बार करके दिखा दिया। अमेरिका से डील की, उसमें करके दिखा दिया; यूक्रेन की लड़ाई में करके दिखा दिया और आज भी करके दिखा दिया। शक्तिसिंह जी, आप उनको तो नजदीक से जानते हैं। उनके लिए एक शब्द कह सकते हैं कि ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shaktisinhji, please. घनश्याम जी, कृपया आप बोलें। सिर्फ आपकी बात ही रिकॉर्ड पर जा रही है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनको कहा गया है:

'वज्रादपि कठोराणि, मृदूनि कुसुमादपि।'

जब राष्ट्र का सवाल आता है, तो नरेन्द्र मोदी वज्र के समान कठोर हैं और जब व्यक्तिगत बातों का सवाल आता है, परस्पर संबंधों का सवाल आता है, तो वे फूल के समान कोमल हैं। यह उनकी विशेषता है, इसलिए कोई आदमी इस विश्व में ऐसा नहीं है, जो भारत के interest के खिलाफ श्री नरेन्द्र मोदी को झुका सके। बार-बार मोदी जी की आलोचना करने से आपको कुछ मिलेगा नहीं। ...(**व्यवधान**)...

एक माननीय सदस्य: तारीफ करने से कुछ मिल जाएगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: हाँ, तारीफ करोगे, तो फिर कुछ-न-कुछ मिल ही जाएगा।...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, please.

Contents Page

श्री घनश्याम तिवाड़ीः उनकी बुराई करने से आपको क्या मिलेगा? उनकी बुराई करने से हरियाणा हाथ से निकल गया, महाराष्ट्र हाथ से निकल गया, बिहार हाथ से निकल गया और अब पश्चिमी बंगाल भी निकलने वाला है, इसलिए उनकी ज्यादा बुराई मत कीजिए। उनकी बुराई करने से आपको हानि ही हानि होने वाली है।

ग्रामीण विकास का जो कार्यक्रम है, इस काम में इतना बड़ा विरोध! अग्निवीर योजना आई, तो उसका भी इन्होंने विरोध किया। वह बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र की योजना थी। अब यह जो विकास की 'वीबी - जी राम जी' योजना आई है, ये इसका भी विरोध कर रहे हैं। इसका विरोध करने से क्या लाभ है? जब सरकार ने इसमें चार बड़े काम तय किए हैं। जल संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है और सरकार ने यह तय किया है कि जल संरक्षण के लिए इस योजना से पैसा लग सकेगा। इसका मतलब, पूंजीगत व्यय भी इस योजना के अंतर्गत होगा। वह 'नरेगा' में नहीं था, 'मनरेगा' में भी नहीं था। इसमें दूसरी बात गांव की आधारभूत अवसंरचनाएँ हैं, जैसे गाँव में सामुदायिक भवन की जरूरत है, गाँव में और कोई काम की जरूरत है, उसमें material का अलग कंपोनेंट भी लगेगा और यह भी लगेगा। इस प्रकार से वह काम भी पूरा होगा।

माननीय उपसभापति महोदय, मैंने 'मनरेगा' में देखा है कि जेसीबी ले जाकर रखते थे, जेसीबी से काम करते थे, जेसीबी वाले को पेमेंट करते थे और मजदूरों के नाम से पेमेंट उठता था। इस तरह से 'मनरेगा' में मजदूर नाम मात्र का था। सरपंच या ठेकेदार या अफसर के द्वारा 'मनरेगा' में जितनी बड़ी अनियमितताएं हुई है, उतनी बड़ी अनियमितताएं और किसी कार्यक्रम में आज तक नहीं हुई है। मैं यह कहना चाहता हूँ। अब हम उसको बदल कर एक गारंटी की योजना, 125 दिन की रोजगार की गारंटी की योजना दे रहे हैं। उसमें अगर 15 दिन बाद भुगतान नहीं हुआ, तो उसके लिए penalty लगाने की योजना दे रहे हैं। सरकार इसके लिए इस साल के बजट में 95,000 करोड़ रुपए रख रही है। सरकार सारा काम कर रही है, उसके बाद उसका विरोध क्यों? आपको उसका विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका स्वागत करना चाहिए।

अब जहाँ तक ग्रामीण विकास की बात है, तो आप आज के गाँव को देखिए। मैंने मेरे समय के गाँव को देखा है, आज के गाँव में देखिए, दोनों काम साथ-साथ हो रहे हैं। विरासत का भी संरक्षण हो रहा है और साथ-साथ विकास भी हो रहा है। विरासत भी और विकास भी, ये सारे काम हो रहे हैं। ऐसे समय में अब आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर देखिए। मैंने ग्रामीण क्षेत्र देखे हैं। चार करोड़ मकानों की घोषणा की गई थी, उनमें से अब तक 3 करोड़ 20 लाख मकान मिल गए हैं। माननीय उपसभापति महोदय, 2.93 करोड़ घर महिलाओं के नाम से या संयुक्त रूप से स्वीकृत किए गए हैं। 67,32,882 पक्के कर अनुसूचित जातियों को दिए गए हैं, 63,80,776 पक्के मकान अनुसूचित जातियों को दिए गए हैं व 38,079 पक्के घर दिव्यांगजनों को प्रस्तुत किए गए हैं। उनको घर देना, उनको सड़क देना, उनको रोजगार देना, उनको पीने के लिए पानी देना, उनको शौचालय देना, उनको सारे काम घर बैठकर करने की सुविधा देना, इन सब कदमों के साथ इतने बड़े ग्रामीण क्षेत्र का विस्तार इसलिए किया गया है कि 2047 का सपना ध्यान में है। प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी द्रष्टा भी हैं और कर्ता भी हैं। वे द्रष्टा हैं, तो उसके रूप में 2047 उनके सामने है। वे

Contents Page

कर्ता हैं, तो सारा बजट आज उनके सामने है। इस प्रकार, द्रष्टा और कर्ता का समन्वय, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में लेकर जाएगा। जब भारत एक विकसित राष्ट्र होगा, तो सोने की चिड़िया केवल शहरों तक नहीं रहेगी, बल्कि गांव-गांव में भी उस सोने की गूंज जाएगी, इसीलिए विकास की ये सारी योजनाएं हैं। यह रूरल डेवलपमेंट का काम है। ऐसे समय में, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को, माननीय कृषि मंत्री जी को और माननीय रोजगार मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इन सारी परिस्थितियों में इस प्रकार का बजट प्रस्तुत किया है, जो भारत के सर्वांगीण विकास का, गांवों के एकीकृत विकास का और ग्रामोदय का बजट है। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, all those Members who had given their names for participation in the discussion have spoken. शाम तक जिन सदस्यों ने भी अपने नाम दिए, उन सबको माननीय चेयरमैन के आदेश से इस डिस्कशन में रखा गया। Hon. Minister will reply to the discussion subsequently. Now, we will take up Special Mentions.

SHRI JAIRAM RAMESH: When, Sir? ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have already said 'subsequently'.

श्री जयराम रमेश: सर, subsequently की परिभाषा क्या है? सर, कल या कब?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. आप BAC में हैं और आप बड़े सजग आदमी हैं। आप जानते हैं कि कल फ्राईडे है और कल क्या होगा। Now, Special Mentions - Dr. Laxmikant Bajpayee. ...(*Interruptions*)...

श्री संजय सिंह: सर, ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: सदन में नियमित रहना है, संजय जी। ...(**व्यवधान**)... प्लीज़।

SPECIAL MENTIONS

Demand for allocation of funds to Cantonment Boards for the development of cantonment areas

डा. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं केन्द्र सरकार का ध्यान देश के सभी कैन्टोनमेंट बोर्ड क्षेत्रों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। देश के अनेक छावनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नागरिक निवास करते हैं। ये नागरिक राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था के बीच रहते हुए भी कई मूलभूत नागरिक सुविधाओं के अभाव का सामना कर रहे हैं। इसलिए इन क्षेत्रों के संतुलित और समुचित विकास के लिए एक स्पष्ट तथा विशेष नीति बनाना अत्यंत आवश्यक है। केन्द्र सरकार द्वारा वित्त आयोग तथा अमृत योजना के अंतर्गत राज्यों को जो धनराशि प्रदान की जाती है, उसमें कैन्टोनमेंट

Contents Page

बोर्डों को भी उचित अंशदान सुनिश्चित किया जाए। वर्तमान व्यवस्था में यह राशि मुख्यतः नगर निगमों और अन्य स्थानीय निकायों को प्राप्त होती है, जबकि छावनी क्षेत्रों के निवासी भी जीएसटी, आयकर, वैट, एक्साइज, आबकारी, बिजली ड्यूटी और भू-राजस्व जैसे विभिन्न करों का नियमित भुगतान करते हैं। उदाहरण के रूप में, मेरठ कैन्टोनमेंट क्षेत्र के बाजारों से लगभग 3,147 करोड़ रुपये का जीएसटी एकत्रित किया जाता है, किन्तु इस राजस्व का कोई प्रत्यक्ष हिस्सा कैन्टोनमेंट बोर्ड को नहीं मिलता, जबकि क्षेत्र में स्वच्छता, सड़क, जलापूर्ति और अन्य नागरिक सुविधाओं की जिम्मेदारी उसी बोर्ड पर होती है। अतः सरकार से आग्रह है कि वित्त आयोग और अमृत योजना की राशि में कैन्टोनमेंट बोर्डों को भी समुचित हिस्सा देने की नीति बनाई जाए, जिससे छावनी क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Special Mention made by hon. Member, Dr. Laxmikant Bajpayee:

Shri Sat Paul Sharma (Jammu and Kashmir), Shri Devendra Pratap Singh (Chhattisgarh), Shri Tejveer Singh (Uttar Pradesh), Shri Brij Lal (Uttar Pradesh), Dr. Bhim Singh (Uttar Pradesh), Shrimati Darshana Singh (Uttar Pradesh), Shri Baburam Nishad (Uttar Pradesh), Shrimati Seema Dwivedi (Uttar Pradesh), Shri Deepak Prakash (Jharkhand), Ms. Indu Bala Goswami (Himachal Pradesh), Dr. Sikander Kumar (Himachal Pradesh), Shri Ram Chander Jangra (Haryana), Shri Subhash Barala (Haryana), Shrimati Ramilaben Becharbai Bara (Gujarat), Shri Mayankkumar Nayak (Gujarat), Dr. Parmar Jashvantsinh Salamsinh (Gujarat), Shri Mokariya Rambhai (Gujarat), Shri Balyogi Umeshnath (Madhya Pradesh), Dr. Sumer Singh Solanki (Madhya Pradesh), Shri Sadanand Mhalu Shet Tanavade (Goa), Dr. Anil Sukhdeorao Bonde (Maharashtra), Dr. Bhagwat Karad (Maharashtra), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Shri Lahar Singh Siroya (Karnataka), Shri Shambhu Sharan Patel (Bihar), Shri Rameshwar Teli (Assam), Shri Madan Rathore (Rajasthan) and Dr. John Brittas (Kerala).

Concern over decline in the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Sector in Madhya Pradesh

श्रीमती माया नारोलिया (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं सरकार का ध्यान मध्य प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) की गंभीर चुनौतियों की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। ये उद्यम राज्य में रोजगार सृजन और स्थानीय आर्थिक विकास की रीढ़ हैं। आंकड़ों के अनुसार, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल (URP) पर पंजीकृत MSMEs की संख्या में पिछले दो वर्षों में गिरावट आई है और पंजीकरण रद्द होने के मामले बढ़े हैं। यह व्यवसाय बंद होने का स्पष्ट संकेत है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव सीधे तौर पर आजीविका और औद्योगिक स्थिरता पर पड़ रहा है। विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में केंद्रीय योजनाओं की पहुँच और जानकारी का अभाव इस स्थिति

Contents Page

को और चिंताजनक बना रहा है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि इस क्षेत्र को पुनर्जीवित करने हेतु निम्नलिखित लक्षित कदम उठाए जाएं।

जागरूकता एवं क्षमता निर्माण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं के प्रसार हेतु विशेष अभियान चलाए जाएं; वित्तीय एवं तकनीकी सुगमता हेतु ऋण, सब्सिडी और तकनीकी सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए; कौशल एवं नवाचार हेतु उत्पादकता बढ़ाने के लिए कौशल विकास और नवाचार आधारित कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाए; सरल अनुपालन हेतु डिजिटल ऑनबोर्डिंग और नियामक बाधाओं को कम कर व्यापार सुगमता सुनिश्चित की जाए; बाजार एवं क्लस्टर विकास हेतु MSMEs को सीधे बाजार से जोड़ने और क्लस्टर विकास के माध्यम से सशक्त बनाया जाए। मेरा सरकार से आग्रह है कि इन उपायों को लागू किया जाए ताकि मध्य प्रदेश में MSMEs के लिए एक अनुकूल वातावरण निर्मित हो सके और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई शक्ति मिल सके।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Special Mention made by the hon. Member, Shrimati Maya Naroliya:

Dr. Sumer Singh Solanki (Madhya Pradesh), Shri Sat Paul Sharma (Jammu & Kashmir), Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh) and Dr. Parmar Jashvantsinh Salamsinh (Gujarat).

Concern over nexus of coaching institutes in India

डा. संदीप कुमार पाठक (पंजाब): महोदय, शिक्षा को सामाजिक उन्नति और आर्थिक प्रगति का प्रमुख साधन माना जाता है। किंतु औपचारिक विद्यालयी शिक्षा के साथ-साथ कोचिंग संस्थानों, विशेषकर UPSC, IITs, JEE जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के नाम पर कोचिंग उद्योग एक समानांतर शिक्षा व्यवस्था बन चुका है। सीमित सीटों और तीव्र प्रतिस्पर्धा के कारण अभिभावक और छात्र कोचिंग संस्थानों पर निर्भर हो जाते हैं, जिससे कोचिंग लगभग अनिवार्य प्रतीत होने लगती है। इनकी ऊँची फीस मध्यम एवं निम्न आय वर्ग के परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ है। परिणामस्वरूप शिक्षा अवसर का साधन न होकर एक महँगा निवेश बनती जा रही है। कोचिंग संस्कृति ने अभिभावकों और छात्रों के जीवन में अत्यधिक तनाव और प्रतिस्पर्धा का वातावरण बना दिया है। कई मामलों में यह आत्महत्या जैसी गंभीर समस्याओं को जन्म देता है। कोचिंग संस्थान केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने की रणनीतियों पर ध्यान देते हैं, न कि समग्र ज्ञान और व्यक्तित्व विकास पर। इस प्रकार शिक्षा का उद्देश्य केवल चयन तक सीमित हो जाता है। भारत में कोचिंग संस्थानों का यह दुष्चक्र केवल शैक्षिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना से जुड़ा प्रश्न भी है। आवश्यकता है कि शिक्षा को केवल रोजगार प्राप्ति का माध्यम न मानकर, व्यक्तित्व निर्माण और समाजोपयोगी ज्ञान का साधन बनाया जाए।

Contents Page

मेरी सरकार से यह मांग है कि विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाए; रटने की बजाय विश्लेषणात्मक एवं कौशल-आधारित मूल्यांकन को बढ़ावा दिया जाए; कोचिंग संस्थानों की फीस, विज्ञापन और कार्यप्रणाली पर प्रभावी नियंत्रण किया जाए; छात्रों को वैकल्पिक करियर विकल्पों की जानकारी दी जाए; तथा ऑनलाइन माध्यम से गुणवत्तापूर्ण सामग्री सुलभ कराई जाए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Special Mention made by the hon. Member, Dr. Sandeep Kumar Pathak: Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Dr. V. Sivadasan (Kerala) and Dr. John Brittas (Kerala).

Demand for establishment of a National Commission for Persons with Disabilities

डा. भीम सिंह (बिहार): महोदय, मैं सरकार का ध्यान दिव्यांगजनों की समस्याओं एवं उनके अधिकारों की रक्षा हेतु एक "राष्ट्रीय दिव्यांग आयोग" के गठन की आवश्यकता की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। वर्तमान में 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' के अंतर्गत मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन का पद है, जो अधिकारों की निगरानी और शिकायतों के समाधान का कार्य करता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने दो सहायक आयुक्तों के पद भी स्वीकृत किए हैं, जिनमें से एक स्वयं दिव्यांग होंगे। यह एक प्रशंसनीय कदम है। किन्तु, देश में करोड़ों दिव्यांगजन आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी ढांचे से वंचित हैं। उनके लिए केवल एक आयुक्तीय तंत्र पर्याप्त नहीं है। एक पूर्णकालिक राष्ट्रीय आयोग उनके अधिकारों के लिए एक मजबूत मंच बन सकता है, जो राज्यों के साथ समन्वय स्थापित कर नीति निर्माण, कार्यान्वयन की निगरानी, बजट अनुशंसा और विधायी सुझाव देने जैसे कार्य कर सके।

यह आयोग अन्य राष्ट्रीय आयोगों की तरह स्वतंत्र शक्तियों से युक्त हो और इसके पास क्षेत्रीय कार्यालयों का भी प्रावधान हो, जिससे दूरदराज के दिव्यांगजनों तक इसकी पहुँच बन सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांगजनों के आत्मसम्मान और सशक्तिकरण के लिए अनेक ऐतिहासिक पहल की है जैसे 'दिव्यांग' शब्द को सम्मानपूर्वक स्थापित करना, सरकारी नौकरियों में आरक्षण बढ़ाना, और सुगम भारत अभियान शुरू करना। अब समय है कि इन प्रयासों को एक स्थायी संस्थागत ढाँचे में परिवर्तित किया जाए। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा तथा उनके सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय दिव्यांगजन आयोग का गठन किया जाए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Special Mention made by the hon. Member, Dr. Bhim Singh:

Dr. Anil Sukhdeorao Bonde (Maharashtra), Shri Sat Paul Sharma (Jammu and Kashmir), Shri Banshilal Gurjar (Madhya Pradesh), Dr. Sumer Singh Solanki

Contents Page

(Madhya Pradesh), Shri Devendra Pratap Singh (Chhattisgarh), Shri Ram Chander Jangra (Haryana) and Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra).

Now, Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik.

Demand for exemption of senior teachers from mandatory requirement of TET

श्री धनंजय भीमराव महादिक (महाराष्ट्र): महोदय, मैं सरकार का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जिसका संबंध देश के लाखों शिक्षकों और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act, 2009) के प्रावधानों के तहत कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (Teacher Eligibility Test) अनिवार्य की गई है। इसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना था जो एक सराहनीय कदम है। लेकिन वास्तविक समस्या उन वरिष्ठ और अनुभवी शिक्षकों के साथ उत्पन्न हो रही है, जो पिछले 20-25 वर्षों से निरंतर सेवा दे रहे हैं। शिक्षकों में मानसिक दबाव बढ़ रहा है, असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है, सेवा सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ रही है, शिक्षा व्यवस्था का मनोबल प्रभावित हो रहा है। जो शिक्षक दशकों से विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहे हैं, उनके अनुभव और सेवा को नजरअंदाज करना उचित नहीं है। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि 20 से 25 वर्ष सेवा पूर्ण कर चुके वरिष्ठ शिक्षकों को TET अनिवार्यता से छूट दी जाए। उनकी सेवा, अनुभव और कार्य मूल्यांकन को ही पात्रता माना जाए। यह निर्णय न केवल न्यायसंगत होगा, बल्कि लाखों शिक्षकों को भी राहत देगा।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Special Mention made by the hon. Member, Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik:

Dr. Anil Sukhdeorao Bonde (Maharashtra), Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh), Dr. Sumer Singh Solanki (Madhya Pradesh), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Dorjee Tshering Lepcha (Sikkim), Shri Banshilal Gurjar (Madhya Pradesh) and Shri Devendra Pratap Singh (Chhattisgarh).

Now, Shri Akhilesh Prasad Singh.

Demand for completion of railway underpass in Phulwari Sharif area of Patna

श्री अखिलेश प्रसाद सिंह (बिहार): महोदय, मैं सरकार का ध्यान पटना शहर के नागरिकों, विशेषकर फुलवारी शरीफ क्षेत्र के निवासियों को हो रही गंभीर कठिनाइयों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। पटना हवाई अड्डे के पीछे स्थित एक अत्यंत महत्वपूर्ण रेलवे क्रॉसिंग को पिछले छह महीनों से बंद कर दिया गया है, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हवाई अड्डे की उपस्थिति के कारण फुलवारी शरीफ रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण संभव नहीं है। इस व्यावहारिक बाधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने क्रॉसिंग के नीचे अंडरपास निर्माण का निर्णय लिया। इस अंडरपास के लिए निविदा प्रक्रिया भी पूरी की जा

Contents Page

चुकी है। इसके बावजूद, पिछले छह महीनों से रेलवे क्रॉसिंग को सील कर दिया गया है और अब तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। इस कारण हजारों स्थानीय नागरिकों का दैनिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। लोगों को अब अत्यंत संकरी गलियों और आसपास से होकर लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है, जिससे प्रतिदिन भारी यातायात जाम की स्थिति बन रही है। स्कूली बच्चों को समय पर विद्यालय पहुँचने में परेशानी हो रही है, आपातकालीन सेवाओं में विलंब हो रहा है और आम नागरिक प्रशासनिक निष्क्रियता की कीमत चुका रहे हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस विषय में हस्तक्षेप कर फुलवारी शरीफ रेलवे क्रॉसिंग के नीचे अंडरपास के निर्माण को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराया जाए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Special Mention made by the hon. Member, Shri Akhilesh Prasad Singh:

Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shri Neeraj Dangi (Rajasthan), Shrimati Phulo Devi Netam (Chhattisgarh), Dr. John Brittas (Kerala) and Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala).

Now, Shri Dorjee Tshering Lepcha.

Need for revival of large cardamom cultivation in Sikkim

SHRI DORJEE TSHERING LEPCHA (Sikkim): Sir, I draw attention of the Government towards the need for revival and strengthening of large cardamom cultivation in the State of Sikkim, which has long been known as the traditional home of this valuable spice. Large cardamom is not only an important cash crop but also a major source of livelihood for thousands of small and marginal farmers in the Himalayan region.

In recent years, the production of large cardamom in Sikkim has declined significantly due to several challenges, such as plant diseases, climate variability, aging plantations and lack of adequate scientific support. This decline has directly affected the income and economic security of farmers, who depend heavily on this crop.

In this regard, the role of the Spices Board India becomes extremely important. The Board has been implementing various schemes for the development of cardamom cultivation, including replantation, quality planting material distribution and technical training for farmers. However, there is a need to further strengthen these interventions specifically for Sikkim, considering the unique agro-climatic conditions of the State.

Contents Page

I urge the Government of India to enhance financial and technical support through the Spices Board for large-scale rejuvenation of cardamom plantations, establishment of disease-resistant nurseries, research on climate-resilient varieties and improved post-harvest processing facilities. Special incentives may also be provided to encourage young farmers to continue cardamom cultivation. Revival of large cardamom cultivation will not only boost farmers' income but also strengthen India's position in the global spice market.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Special Mention made by hon. Member, Shri Dorjee Tshering Lepcha: Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh) and Shri Devendra Pratap Singh (Chhattisgarh).

Now, Shri Mayankkumar Nayak.

Demand for construction of a Rail over Bridge in Mehshana, Gujarat

श्री मयंककुमार नायक (गुजरात): मैं सरकार का ध्यान गुजरात के उत्तर क्षेत्र के प्रमुख व्यापारिक केंद्र मेहसाणा की एक अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मेहसाणा शहर अब नगर निगम (कॉरपोरेशन) बन चुका है और शहर का विस्तार तेजी से हो रहा है। वर्तमान में मेहसाणा शहर मेहसाणा-1 और मेहसाणा-2, दो भागों में विभाजित है, जिनके बीच से रेलवे लाइन गुजरती है। इस कारण दोनों क्षेत्रों के बीच आवागमन में लगातार बाधा उत्पन्न होती है तथा लोगों को लंबा इंतजार और ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। इस क्षेत्र के व्यापार, उद्योग तथा आम नागरिकों की सुविधा के लिए रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। स्थानीय नागरिकों द्वारा इसकी मांग काफी समय से लंबित है। अत: मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि मेहसाणा-1 और मेहसाणा-2 को जोड़ने के लिए शीघ्रातिशीघ्र रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) के निर्माण को स्वीकृति प्रदान कर आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ करने की कृपा करें, जिससे क्षेत्र के व्यापार, यातायात एवं आम जनजीवन को बड़ी राहत मिल सके।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Special Mention made by hon. Member, Shri Mayankkumar Nayak:

Shri Mahendra Bhatt (Uttarakhand), Dr. Parmar Jashvantsinh Salamsinh (Gujarat), Shri Kesridevsinh Jhala (Gujarat) and Shri Sat Paul Sharma (Jammu and Kashmir).

Now, Shri Niranjan Bishi.

Contents Page

Demand for establishment of AIIMS hospitals in Sambalpur, Koraput and Baleshwar in Odisha

SHRI NIRANJAN BISHI (Odisha): Mr. Deputy Chairman, Sir, there is a critical need for the establishment of AIIMS hospitals in Sambalpur, Koraput and Baleshwar in the State of Odisha. Sir, Odisha, with its diverse geography, requires comprehensive healthcare facilities spread across its regions to ensure equitable access to quality medical care. Currently, we have an AIIMS in Bhubaneswar, which has significantly improved healthcare standards in the region. However, the western region of Odisha, represented by Sambalpur, and the coastal region, represented by Baleshwar, along with the tribal-dominated Koraput, still lack such advanced medical infrastructure. The establishment of AIIMS hospitals in these locations will address the healthcare disparities and bring high-quality medical services closer to the people. These AIIMS hospitals should not merely be satellite facilities but full-fledged institutions like AIIMS Bhubaneswar, with all necessary departments, advanced medical equipments and specialized staff. This will ensure that residents of these regions receive the same level of care as those in Bhubaneswar.

By setting up AIIMS hospitals in Sambalpur, Koraput, and Baleshwar, we will not only improve healthcare accessibility, but also boost medical education and research in these areas. This initiative will be a significant step towards creating a healthier and more equitable Odisha. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The hon. Member, Dr. V. Sivadasan (Kerala), associated himself with the Special Mention made by the hon. Member, Shri Niranjan Bishi.

Now, Shri Rajib Bhattacharjee; not present. Shri Satnam Singh Sandhu.

Demand for comprehensive plan and special incentives to boost the dairy industry

श्री सतनाम सिंह संधू (नामनिर्देशित): महोदय, मैं सरकार का ध्यान देश के Dairy Sector और उसकी capacity building की नई requirements की ओर लाना चाहता हूँ। डेयरी सेक्टर हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो लगभग 8 करोड़ पशुपालकों को रोजगार देता है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। 2014-15 के 146 मिलियन टन से बढ़कर आज हम लगभग 240 मिलियन टन उत्पादन पर पहुँच गए हैं। यह शानदार वृद्धि राष्ट्रीय गोकुल मिशन और पशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों जैसी महत्वपूर्ण सरकारी पहलों का ही परिणाम है। लेकिन आज समय की मांग है कि इस डेयरी सेक्टर की capacity building पर और अधिक ध्यान दिया जाए। जमीनी स्तर पर काम कर रही हमारी cooperative societies के बुनियादी ढांचे और प्रोसेसिंग क्षमता को

Contents Page

आधुनिक बनाने की सख्त जरूरत है। हमें productivity, fodder management, climate resilience और value addition जैसी नई और गंभीर चुनौतियों से प्राथमिकता के आधार पर निपटना होगा। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि एक 'Integrated National Dairy Growth Strategy' तैयार की जाए। इसमें अच्छी breed upgradation, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड और पशुओं के लिए पौष्टिक चारे की उचित व्यवस्था हो। साथ ही, पशुओं के लिए आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा को वैज्ञानिक समर्थन मिले, ताकि एंटीबायोटिक्स पर हमारी निर्भरता कम हो सके। डेयरी सेक्टर में 70 प्रतिशत महिलाएँ employed हैं। इसलिए महिला सहकारी समितियों और FPOs को आसान लोन, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट और ट्रेनिंग देकर और सशक्त किया जाना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि सरकार इस क्षेत्र को विशेष प्रोत्साहन दे, ताकि हमारी सहकारिता व्यवस्था और डेयरी उद्योग 'आत्मनिर्भर भारत' का सबसे मजबूत स्तंभ बन सके।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Satnam Singh Sandhu:

Shri Sat Paul Sharma (Jammu and Kashmir), Dr. Sikander Kumar (Himachal Pradesh), Shri Subhash Barala (Haryana), Shri Lahar Singh Siroya (Karnataka), Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh), Dr. Sumer Singh Solanki (Madhya Pradesh), Shrimati Darshana Singh (Uttar Pradesh) and Shri Rambhai Mokariya (Gujarat).

Now, Shri Masthan Rao Yadav Beedha.

Need to enhance allocation under MPLADS

SHRI MASTHAN RAO YADAV BEEDHA (Andhra Pradesh): Sir, I seek to raise an important issue concerning the Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS), which is a vital instrument for addressing local developmental needs. At present, each Member of Parliament is allocated Rs. 5 crore per year under the MPLADS. However, the effective value of development works executed on the ground is considerably reduced due to statutory deductions such as GST at 18 per cent, seigniorage charges of around 5 per cent, quality control charges and other mandatory recoveries during implementation. As a result, the actual developmental output comes down to nearly 75 per cent of the sanctioned amount. Consequently, from the nominal allocation of Rs. 5 crore, the real value of works executed is only about Rs. 3.5 to Rs. 3.75 crore. This limits the ability of MPs to adequately meet growing local demands relating to rural infrastructure, drinking water, education, health facilities and community assets. At the same time, the cost of construction materials, labour and infrastructure development has increased substantially due to

Contents Page

inflation and rising input prices. Despite these changes, the MPLADS allocation has remained unchanged for several years, making it increasingly difficult to undertake meaningful and impactful projects, particularly in rural and backward areas. In view of these realities, I urge the Government to consider enhancing the annual MPLADS allocation from Rs. 5 crore to at least Rs. 10 crore per Member of Parliament. Such an increase will enable MPs to respond more effectively to constituency needs, strengthen grassroots infrastructure and ensure better developmental outcomes for the people. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Special Mention made by the hon. Member, Shri Masthan Rao Yadav Beedha:

Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Shri Mokariya Rambhai (Gujarat), Shri Devendra Pratap Singh (Chhattisgarh), Shri Haris Beeran (Kerala) and Shri Kesridevsinh Jhala (Gujarat).

Now, Shri Ryaga Krishnaiah.

Need to address the issues of linkage between academia and industry

SHRI RYAGA KRISHNAIAH (Andhra Pradesh): Sir, premier academic institutions and industries tend to forge ahead in different directions as both streams have their own vested interests. However, the Governments have long ago realized the importance of industry-academia symbiosis for mutual benefit. As State funding to the universities is on the decline, such collaborations become the need of the day for self-reliance and optimization of resources. But profit specificity and confidentiality issues of the industries stand in the way of a healthy commensalism. Industries can provide financial support for projects, boosting academic research capacities. Human resources of the universities and funding support by the industries can be lethal combination. For example, Boeing's grants to universities for aerospace research have driven advancements in aviation technology. Universities can develop curricula integrating practical, industry-relevant skills. This is particularly relevant to bridge the employability gap. Universities could identify areas of cooperation with the local industries, to begin with. Ultimately most of the graduates from the universities gravitate towards the industries and industrial compatibility is a prime necessity. Academia-industry collaboration offers immense potential to advance technology, solve real-world problems and create economic value. With proper frameworks and mutual respect for each other's objectives, such partnerships can achieve

Contents Page

extraordinary outcomes. The emerging mutuality between industries and academic institutions is an imperative for survival and progress. Even amidst divergent vested interests, it is possible to identify viable avenues of rewarding cooperation. I urge the Government to look into it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Special Mention made by the hon. Member, Shri Ryaga Krishnaiah:

Dr. Sumer Singh Solanki (Madhya Pradesh), Shri Amar Pal Maurya (Uttar Pradesh), Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh) and Dr. Bhim Singh (Bihar).

Shrimati Sangeeta Yadav. Not present. Shri Subhas Chandra Bose Pilli.

Concern over the incident of adulterated milk in Rajamahendravaram, Andhra Pradesh

SHRI SUBHAS CHANDRA BOSE PILLI (Andhra Pradesh): In late February 2026, the residents in localities such as Swaroop Nagar and Chowdeswari Nagar in Rajahmundry, Andhra Pradesh, fell ill with symptoms like vomiting, abdominal pain and acute kidney function (failure to produce urine) after consuming milk supplied by local dairy vendor. Samples of milk and clinical specimens were sent to labs for forensic and chemical analysis. Many people died after consuming the suspected milk with death toll rising to 8 to 9 as per the official updates. 20-25 persons were hospitalized who are threatened with kidney complications requiring dialysis and ventilator support and are in critical condition. The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) sought a detailed report and is monitoring the case closely with Andhra Pradesh State Government. The contaminated milk was traced back to a local diary unit in Narasapuram Village, Korukonda Mandal, East Godavari District. The Government and officials have issued a detailed public Health Bulletin on the incident, confirming that many people were diagnosed with symptoms like severe kidney stress, high blood urea and high creatinine levels and these are the symptoms of kidney failure. I urge the Central Government to order a detailed enquiry in the matter. I also urge the Government to provide financial assistance to the affected families. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Special Mention made by the hon. Member, Shri Subhas Chandra Bose Pilli:

Dr. John Brittas (Kerala) and Dr. V. Sivadasan (Kerala).

Contents Page

The House stands adjourned to meet at 11.00 a.m. on Friday, the 13th March 2026.

The House then adjourned at thirty-five minutes past five of the clock till eleven of the clock on Friday, the 13th March, 2026.

Contents Page

PUBLISHED UNDER RULE 260 OF RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN THE COUNCIL OF STATES (RAJYA SABHA)